# हरियाणा सरकार

# सहकारिता विभाग

# अधिसूचना

**27 जनवरी, 1989**

सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 57/ह॰ अ॰ 22/84/धा॰ 131/89– हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984, की धारा 131 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

## अध्याय I

## प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम** :– ये नियम हरियाणा सहकारी सोसाइटी नियम, 1989 कहे जा सकते हैं ।

2. **परिभाषा** :– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984;

   ख) "परिशिष्ट" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

   ग) "सहकारी वर्ष" से अभिप्राय है, मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाला वर्ष, अथवा किसी सहकारी सोसाइटी अथवा सहकारी सोसाइटी के किसी वर्ष की दशा में, जिसके लेखे रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य तिथि तक बनाये जाते हैं, ऐसी तिथि को समाप्त होने वाला वर्ष ;

   घ) "डिक्री" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 110 में निर्दिष्ट कोई विनिश्चय, पंचाट अथवा आदेश ;

   ब) "परिवार" से अभिप्राय है, सम्बद्ध व्यक्ति, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्री और अविवाहित भाई व बहिन ;

   ड) "प्रारूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप;

   च) "अधिकतम उधार सीमा" से अभिप्राय है, वह सीमा, जहां तक कोई सहकारी सोसाइटी सदस्यों और गैर–सदस्यों से निक्षेप और कर्जे प्राप्त कर सकती है;

   छ) "आदर्श उपविधियां" से अभिप्राय है, सहकारी सोसाइटी अथवा सहकारी सोसाइटियों के एक वर्ग द्वारा सामान्य रूप से अपनाने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित अथवा प्रस्तावित उप–विधियों का सैट;

   ज) "स्वामित्वाधीन पूंजी" से अभिप्राय है, कुछ समावत्त अंश–पूंजी और आरक्षित निधि तथा संचित हानियों को घटाकर लाभों तथा अवितरित लाभों से संचित अन्य निधियां ;

   झ) "समादत्त अंश–पूंजी" से अभिप्राय है, अभिदत्त अंश पूंजी का ऐसा प्रभाग जो वास्तव में समादत्त किया जाता है ;

   ञ) "वसूली अधिकारी" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रार का अधीनस्थ व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 110 के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त है;

   ट) "सम्बन्धी" से अभिप्राय है, सम्बद्ध व्यक्ति के माता, पिता, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, पुत्री या उसके पुत्र की पत्नी अथवा पुत्री का पति;

   ठ) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की कोई धारा ;

   ड) "अंश–पूंजी" से अभिप्राय है, अभिदत्त अंश–पूंजी ;

   ढ) "कार्यशील पूंजी" से अभिप्राय है, कुल स्वामित्वाधीन पूंजी का कुल जमा उधार ली गई पूंजी;

ण) अधिनियम में परिभाषित और इन नियमों में प्रयुक्त किये गये शब्दों तथा पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिया गया है;

त) "विक्रय अधिकारी" से अभिप्राय है, कोई अधिकारी जिसे रजिस्ट्रार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा व्यतिक्रमी की सम्पत्ति के कुर्क करने और बेचने अथवा अधिनियम के अध्याय X के प्रयोजन के लिये जिसमें सरकार द्वारा विक्रय अधिकारी नियुक्त किया जाता है, के सिवाय अन्य सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा कोई डिक्री निष्पादित करने और बेचने के लिये सशक्त किया गया हो ।

## अध्याय II

## सहकारी सोसाइटियों का पंजीकरण और उनकी उप–विधियां

3. **सहकारिता सिद्धान्त [ धारा 4 और 131 (2) (ii)] :–** किसी सोसाइटी का उद्देश्य सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हित को बढ़ाना होगा, जिससे अभिप्राय है :–

1) स्वैच्छिक और खुली सदस्यता;
2) लोकतंत्रीय नियन्त्रण;
3) पूंजी पर सीमित ब्याज;
4) अधिशेष का समान वितरण;
5) सहकारी शिक्षा;
6) सहकारी सोसाइटी के बीच सहकारिता ।

4. **पंजीकरण पर प्रतिबन्ध [धारा 5 और 131 (2) (ii)]** :– उस ऐसी सोसाइटी से भिन्न कोई ऐसी सोसाइटी, जिसका कोई सदस्य सहकारी सोसाईटी है, तब तक पंजीकृत नहीं की जायेगी, जब तक उसमें कम से कम पांच परिवारों से सम्बन्धित व्यक्ति शामिल न हों ।

5. **आवेदन का प्रारूप [धारा 17 और 131 (2) (ii)]** :– किसी सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिये आवेदन प्रारूप 1 में दिया जायेगा और उसमें आवेदकों में से किसी एक का नाम और पता विनिर्दिष्ट होगा जिसे रजिस्ट्रार नियम 9(2) तथा 10 के अधीन अपना पत्र–व्यवहार सम्बोधित कर सके ।

6. **आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली दस्तावेज [धारा 131 (2) (ii)]** :–पंजीकरण के लिये आवेदन के साथ उप–विधियों की तीन प्रतियां, जिनको सहकारी सोसाइटी अपनाने का प्रस्ताव करती है, संलग्न की जायेगी। उप–विधियों की ऐसी प्रतियों पर प्रस्तावित सहकारी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कम से कम दो आवेदकों के हस्ताक्षर होंगे ।

7. **आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रक्रिया [धारा 131 (2) (ii)]** :– 1) धारा 8 के अधीन अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व रजिस्ट्रार आवेदकों से कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है अथवा कोई स्वतंत्र जांच कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

   2) धारा 8 की उपधारा (1) में उल्लिखित विषयों के संबंध में रजिस्ट्रार की संतुष्टि हो जाने के बाद, वह सहकारी सोसाइटी और उसके उप–नियमों को पंजीकृत कर सकता है । पंजीकृत उप–नियमों की एक प्रति प्रारूप II में पंजीकरण के प्रमाण–पत्र के साथ उसके द्वारा सहकारी सोसाइटी को भेजी जायेगी ।

3) उप–नियम (2) के अधीन पंजीकृत किसी सहकारी सोसाइटी की विशिष्टियां प्रारूप III में दर्ज की जायेगी ।

8. **व्यक्ति, जिसे आदेश संसूचित किया जाना है [धारा 8(2) तथा 131 (2) (ii)]** :– धारा 8 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया आदेश पंजीकरण के लिये आवेदन में विनिर्दिष्ट आवेदक को पावती सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा संसूचित किया जायेगा ।

9. **पंजीकरण से इन्कार के विरुद्ध अपील [धारा 131 (2) (xxviii)]** :– यदि किसी सहकारी सोसायटी के पंजीकरण के लिये रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन रद्द कर दिया जाता है, तो अपील, यदि की जाती है, पंजीकरण के लिये आवेदन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी ।

परन्तु यदि पंजीकरण के लिये आवेदन दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो अपील, पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल होने वाले कम से कम दो तिहाई व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी ।

10. **उप–विधियों के संशोधन की प्रक्रिया [धारा 131(2) (iii)]** :– सहकारी सोसाइटी की सामान्य बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार जिसके संशोधन पर विचार–विमर्श के आशय से सम्यक् नोटिस दे दिया गया हो, नियम 13 के अधीन कोई संशोधन नहीं किया जायेगा ।

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी ऐसी सामान्य बैठक में, जिसमें उस समय सहकारी सोसाइटी के कम से कम दो–तिहाई सदस्य उपस्थित हों, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित न किया जाये ।

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित आदर्श उप–विधियों को एक साधारण सामान्य बैठक के बहुमत द्वारा अपनाया जा सकता है ।

11. **संशोधन के पंजीकरण के लिये आवेदन [धारा 131 (2) (iii)]** :–नियम 10 के अधीन सामान्य बैठक द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत सहकारी सोसाइटी के दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकार किये गये संशोधनों की तीन प्रतियां पंजीकरण के लिये उपर्युक्त सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेंगी । ऐसे संशोधनों की प्रतियों के साथ सहकारी सोसाइटी के उपर्युक्त दो अधिकारियों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण–पत्र लगाया जायेगा कि नियम 10 के उपबन्धों का पालन कर लिया गया है ।

12. **संशोधन का पंजीकरण [धारा 10 (4) और 131 (2) (iii) ]** :– 1) धारा 10 की उप–धारा (2) में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार की संतुष्टि हो जाने के बाद वह संशोधनों को दर्ज करेगा और पंजीकृत संशोधनों की एक प्रति सहकारी सोसाइटी को लौटा देगा ।

2) धारा 10 की उप–धारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया आदेश सहकारी सोसाइटी को पावती सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा संसूचित किया जायेगा ।

13. **उप–विधियों में संशोधनों के दर्ज करने से इंकारी के विरुद्ध अपील [धारा 131 (2) (xxviii)]** :– जहां धारा 10 की उप–धारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों में किसी संशोधन के पंजीकरण के लिये आवेदन रद्द कर दिया जाता है, वहां अपील, यदि कोई हो, केवल सामान्य निकाय की बैठक में मामले पर पुनर्विचार करने और अपील दायर करने का निर्णय लेने के बाद ही की जायेगी तथा सामान्य बैठक द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा

हस्ताक्षरित की जायेगी ।

## अध्याय III

## सहकारी सोसाइटी के सदस्य, उनके अधिकार और दायित्व

14. **सदस्यता के लिये निरहर्ता । धारा 131 (2) (v)]** :– 1) कोई भी व्यक्ति सहकारी सोसाइटी में सदस्य के तौर पर प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा, यदि उसने :–

क) न्यायनिर्णीत दिवालिया होने के लिये आवेदन किया है अथवा वह अनुन्मोचित दिवालिया है, अथवा

ख) राजनैतिक स्वरूप के अपराध अथवा ऐसे अपराध, जिसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं है, के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध के लिये दण्ड दिया गया हो, और दण्ड की समाप्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो ।

2) यदि वह उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी निरहर्ता के अधीन रहते हुए सदस्य बन जाता है तो निरहर्ता की तिथि से उसकी सदस्यता समाप्त हो गई समझी जायेगी ।

15. **दो सहकारी उधार अथवा सेवा सोसाइटियों में सदस्यता का निषेध धारा 131 (2) (v) तथा (xx)** :– 1) कोई भी व्यक्ति, किसी प्राथमिक सहकारी सोसाइटी, जिसका एक उद्देश्य अपने सदस्यों की उधार देने के लिये निधियों की रचना करना है, का सदस्य होने के नाते रजिस्ट्रार की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना किसी भी ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा और जहां कोई व्यक्ति ऐसी दो सहकारी सोसाइटियों का सदस्य बन गया हो, वहां रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रभाव से लिखित अपेक्षा पर एक अथवा दोनों सहकारी सोसाइटियां उसे सदस्यता से हटाने के लिये आबद्ध होंगी ।

2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी सहकारी सोसाइटी का अधिकारी है, रजिस्ट्रार की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना किसी ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं बनेगा जिसके उद्देश्य उस सोसाइटी के उद्देश्यों के समान हैं जिस का वह अधिकारी है और जहां ऐसा कोई व्यक्ति समान उद्देश्य रखने वाली किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य बन जाता है, वहां एक अथवा दोनों सहकारी सोसाइटियां, रजिस्ट्रार की इस प्रभाव की लिखित अपेक्षा पर उसे सदस्यता से हटाने के लिए आबद्ध होंगी । यदि दोनों सोसाइटियों के समान उद्देश्यों के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस बिन्दु पर रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम होगा ।

16. **सामान्य बैठक से पूर्व सदस्य का प्रवेश [धारा 131 (2) (v)]** :– कोई सहकारी सोसाइटी अपनी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से पूर्व चौदह दिन के भीतर किसी सदस्य को प्रवेश नहीं देगी ।

17. **सदस्य के प्रवेश के लिए आवेदन का निपटान [धारा 131 (2) (v)]** :– उत्पादक सोसाइटी के अतिरिक्त कोई सहकारी सोसाइटी सदस्य के रूप में प्रवेश के लिये प्राप्त आवेदन का यथा–सम्भव शीघ्र निपटान करेगी और ऐसे निपटान में किसी भी स्थिति में आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक मास की अवधि से अधिक देर नहीं की जाएगी । इनकार करने की स्थिति में ऐसी सोसाइटी अपना निर्णय इनकार के कारणों सहित आवेदक को सूचित करेगी ।

18. **सदस्यता से प्रत्याहरण [धारा 131 (2) (xx)]** :– 1) असीमित दायित्व वाली किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य जो सहकारी सोसाइटी का ऋणी न हो, और जो भुगतान न किए गए ऋण के लिए प्रतिभू नहीं है, सोसाइटी के सचिव को ऐसा नोटिस जैसा कि सहकारी सोसाइटी की उप–,विधियों में अधिकथित किया जाए, देने के पश्चात् सहकारी सोसाइटी से प्रत्याहरण कर सकता है ।

2) असीमित दायित्व वाली किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य, जो सोसाइटी से प्रत्याहरण करता है, इस का सदस्य बना नहीं रहता, उस द्वारा अथवा उसके पूर्वाधिकारी द्वारा हिस्सों की खरीद के हित में भुगतान की गई किसी धन राशि को ब्याज के बिना, ऐसी अवधि के बाद, जो उप–विधियों में अधिकथित की जाये, उसके पुनः भुगतान के लिए हकदार होगा ।

3) सीमित दायित्व वाली किसी सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य को साधारणतया अपने अंश निकालने अथवा वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी ।

परन्तु जहां सोसाइटी ने अपने अर्जित लाभों में से अंश अन्तरण निधि की रचना की हो, वहां उसकी प्रबन्ध समिति, सोसाइटी के समूचे हितों को ध्यान में रखते हुए, अंशों को निकालने की अनुमति देगी;

परन्तु यह और कि किसी भी समय निकाले जाने वाले ऐसे अंशों की राशि, सोसाइटी की कुल भुगतान की गई अंश–पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, इसमें सरकारी अंशदान, जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को था, शामिल नहीं होगा ।

4) सहकारी सोसाइटी के दायित्व को ध्यान में रखते हुए किसी सहकारी सोसाइटी में राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी केन्द्रीय शिखर सहकारी वित्तीय संस्था द्वारा अभिदत्त अंश–पूंजी को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के दौरान जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाये, वापिस कर दिया जाएगा ।

5) व्यक्तिगत सदस्यों वाली कोई केन्द्रीय अथवा शिखर सोसाइटी सभी व्यक्तिगत सदस्यों के अंशों को वापिस करेगी ।

19. **निष्कासन का दायित्व [धारा 131 (2) (x)]** :– कोई सोसाइटी, किसी ऐसी सामान्य बैठक में जो इस प्रयोजन से बुलाई गई हो, उपस्थित मतदान के लिए हकदार सदस्यों के बहुमत से, जो दो–तिहाई से कम नहीं होगा, पारित किसी प्रस्ताव से किसी सदस्य को, उसके ऐसे कार्यों के लिये जो सोसाइटी के हितों अथवा उचित कामकाज के लिए हानिकारक हों, निकाल सकती है ।

20. **सोसाइटी के निमित्त मत देने के लिए सदस्य की नियुक्ति [धारा 21]** :– 1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी सोसाइटी की किसी समिति का कोई सदस्य, किसी ऐसी प्राथमिक सोसाइटी के मामले के सिवाय जो किसी अन्य सहकारी सोसाइटी की सदस्य है, उसकी ओर से, किसी अन्य सोसाइटी के मामलों में मत देने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्राथमिक सोसाइटी की समिति के उपस्थित और मत देने वाले समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया जाता ।

2) किसी ऐसी प्राथमिक सोसाइटी का कोई सदस्य, जो किसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य है, सोसाइटी की ओर से किसी अन्य सोसाइटी के मामलों में मत देने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राथमिक सोसाइटी की समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया जाता ।

21. **उत्तराधिकारी का नाम निर्देशन [ धारा 131 (2) (xx)]** :– 1) सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करेगा, जिनको धारा 23 में निर्दिष्ट उनका अंश अथवा ब्याज या अंश अथवा ब्याज में से ऐसी राशि का जो सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, सदस्य की मुत्यु पर, अन्तर्गत अथवा भुगतान कर दिया जायेगा जैसा कि उप–विधियों में अधिकथित है ।

2) ऐसा नाम निर्देशन, सदस्य द्वारा समय–समय पर प्रतिसंहृत अथवा उपान्तरित किया जा सकता है ।

3) किसी सदस्य द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या उस द्वारा धारित अंशों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

4) जब किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य, एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता है, तो वह जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे नामनिर्देशिती को पूर्ण अंश के रूप में और उस पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज का भुगतान अथवा अन्तरित की जाने वाली राशि विनिर्दिष्ट करेगा ।

5) सहकारी सोसाइटी द्वारा नामनिर्देशन का अभिलेख ऐसी रीति में रखा जायेगा, जैसी की उप–विधियों में अधिकथित की जाये ।

6) किसी नामनिर्देशिती अथवा नामनिर्देशितियों को अन्तरित भुगतान किये जाने वाले अंश अथवा ब्याज, का मूल्य, सदस्य द्वारा ऐसा अंश अथवा ब्याज प्राप्त करने के लिए वास्तविक तौर पर भुगतान की गई राशि के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ।

22. **सदस्यों का रजिस्टर रखा जाना [धारा 131 (2)(xvi)]** :– प्रत्येक सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित को दर्शाते हुए सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी :–

क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता और व्यवसाय तथा उस द्वारा धारित अंशों का विवरण;

ख) तिथि, जिसको सदस्य का नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया;

ग) तिथि, जिसको कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहा;

घ) सदस्य द्वारा नियुक्त नामनिर्देशिती ।

## अध्याय IV

## सामान्य बैठकें

23. **बैठक का बुलाया जाना [धारा 26 और 131 (2)(vii)]** :– किसी सहकारी सोसाइटी की कोई सामान्य बैठक या किसी समिति की बैठक सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा या उस द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी, चाहे उसे किसी भी नाम से अभिहित किया जाये, ऐसे प्राधिकारी के निर्देशों पर बुलाई जायेगी जिसे उप–विधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये :

परन्तु सहकारी सोसाइटी की समिति की बैठक उस सोसाइटी के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बुलाई जा सकती है ।

24. **साधारण निकाय की बैठक में शक्तियां [धारा 131 (2) (vii)]** :– धारा 25 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण निकाय को ही अपनी बैठक में रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए सहकारी सोसाइटी की अधिकतम उधार सीमा नियत करने की शक्ति होगी ;

परन्तु प्राथमिक उधार सेवा सोसाइटियों की दशा में रजिस्ट्रार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा ।

25. **समिति के सदस्यों का निर्वाचन [धारा 28 (1) और 131 (2) (x)]** :– किसी सहकारी सोसाइटियों की समिति के सदस्य परिशिष्ट 'क' में दिये गये उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे।

26. **समिति के गठन के लिये व्यक्तियों और समितियों का अनुपात [धारा 131 (2)(ix)]** :– किसी सहकारी सोसाइटी में जिसकी सदस्यता केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, समिति और सामान्य निकाय में व्यक्तियों और सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व उतना होगा जो सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों में अधिकथित किया जाये ।

27. **समिति की सदस्यता के लिये निरर्हता [धारा 131 (2)(xiii)** :– कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि :–

क) वह सोसाइटी की देय किसी राशि के सम्बन्ध में किसी सहकारी सोसाइटी के प्रति व्यतिक्रमी है अथवा उसमें किसी सहकारी सोसाइटी को, अपनी अधिकतम उधार सीमा से अधिक कोई राशि देनी है;

ख) उपविधियों में उल्लिखित अनुसार, सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसार एक सदस्य के रूप में सहकारी सोसाइटी के साथ किये गये लेन–देन के अतिरिक्त किसी संविदा में, जिस में सहकारी सोसाइटी एक पक्षकार है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई हित रखता है;

ग) वह नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि से एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान किसी समय, सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले किसी किस्म के गैर सहकारी कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय में लग जाता है ;

घ) वह नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि से पांच वर्ष पूर्व अवधि के दौरान दोष सिद्ध हुआ हो, जिसमें बेईमानी और नैतिक अधमता शामिल है ;

ड.) वह नियम 28 में दिए गए किसी प्रतिषेध के अधीन है ;

च) वह नामनिर्देशन पत्र भरने की तिथि से 12 मास पूर्व की अवधि के दौरान सदस्य के रूप में निष्क्रिय रहा है अथवा वह, ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न जिसका वह सदस्य है, अभिकरणों के माध्यम से, वही कारोबार कर रहा है, जो सहकारी सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है ;

छ) ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की निर्वाचित समिति का सदस्य है, जिसने काम करना बन्द कर दिया है अथवा जिसने इसकी उप–विधियों में उल्लिखित अनुसार अपने उदेश्य पूरे नहीं किये हैं और जिसे रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई 'घ' वर्ग की सोसाइटियों की सूची में शामिल कर दिया गया है अथवा ऐसी सोसाइटी की निर्वाचित समिति का सदस्य है, जो परिसमापन प्रक्रिया के अधीन है ;

ज) जो रजिस्ट्रार द्वारा बनाई गई 'घ' वर्ग की सोसाइटियों की सूची में ऐसी सोसाइटी शामिल किए जाने की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के भीतर, अथवा अधिनियम की धारा 105 के अधीन ऐसी सोसाइटी परिसमापन आदेश के प्रवर्तन में ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की निर्वाचित समिति का सदस्य नहीं रहा है ;

परन्तु खण्ड (छ) और (ज) की किसी भी बात से ऐसा नहीं समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वर्जित कर दिया गया है, यदि परिसमापन प्रक्रिया के अधीन सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, समिति दायित्व वाली सोसाइटी है और वह व्यक्ति अपने सभी दायित्वों का जिसमें ऐसी सोसाइटी के सम्बन्ध में प्रतिभू के रूप में दायित्व, यदि कोई हो, शामिल है, निर्धारण आदेशों की प्राप्ति के दो साल के भीतर निर्वहन करता है ।

झ) वह सहकारी सोसाइटी का वेतन भोगी कर्मचारी है परन्तु यह उत्पादक सोसाइटी के मामले में लागू नहीं होगा ।

ञ) वह सोसाइटी की उप–विधियों, नियम तथा अधिनियम में अधिकथित कोई अन्य निरहर्तत प्राप्त कर लेता है ।

व्याख्या :– खण्ड (च) के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को सोसाइटी के सदस्य के रूप में निष्क्रिय समझा

जायेगा जहां उसने ऐसे क्रियाकलापों में भाग न लिया हो, जिसके लिए सोसाइटी पंजीकृत की गई है ।

28. **समिति की सदस्यता की समाप्ति [धारा 131 (2)(x)]** :– 1) समिति का कोई सदस्य उस रूप में पद–धारण करने वाला नहीं रहेगा यदि वह :–

क) ऐसी किसी राशि के बारे में लगातार व्यतिक्रम कर रहा है, जो उस द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी को तीन मास से देय है;

ख) सदस्य नहीं रहता है;

ग) दिवालिया घोषित कर दिया जाता है;

घ) विकृत–चित्त हो जाता है;

ड़) बेईमानी अथवा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिये सिद्धदोष है; अथवा

च) नियम 31 में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता के अध्यहीन हो जाता है ।

2) समिति रजिस्ट्रार को सूचित करेगी कि सदस्य उप–नियम (1) निरर्हता उपगत कर ली है इसलिये वह पद से हटाने योग्य है ।

3) उपनियम (2) के अधीन समिति की सूचना पर या सोसइटी के किसी सदस्य के आवेदन पर अथवा स्वतः रजिस्ट्रार समिति और सम्बद्ध सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के बाद पद से सदस्य के हटाने के आदेश कर सकता है ।

29. **सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारी [धारा 131 (2) (xxxix)]** :– अधिनियम की धारा 37 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सोसाइटी, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से अपने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमति करने के लिये नियम बनायेगी ।

30. **संविदाओं आदि में अभिरूचि रखने के विरुद्ध निषेध [ धारा 131 (2)(x) तथा (xxxix)]** :– 1) उपविधियों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निम्नलिखित में ऐसे अधिकारी के रूप से अन्यथा कोई रूचि नहीं लेगा :–

क) सोसाइटी के साथ की गई किसी संविदा में : अथवा

ख) किसी ऐसी सम्पत्ति में, जो सोसाइटी द्वारा, अथवा सोसाइटी को बेची अथवा खरीदी अथवा पट्टे पर दी गई है; अथवा

ग) किये गये निवेश, अथवा सोसाइटी से लिए गए कर्जे अथवा सोसाइटी द्वारा अपने किसी वेतनभोगी कर्मचारी के लिए रिहायशी आवास की व्यवस्था के सिवाय सोसाइटी के किसी अन्य लेन–देन में ।

2) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सोसाइटी के किसी सदस्य की कोई ऐसी सम्पत्ति नहीं खरीदेगा जो उस की ओर से सोसाइटी को देय राशि की वसूली के लिए बेची गई हो ।

3) इस नियम में दिये गये प्रतिषेद, किसी व्यक्ति पर सोसाइटी का अधिकारी न रहने के बाद दो वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगे ।

## अध्याय V

## संवर्ग सोसाइटियों की वार्षिक समीक्षाएं

31. **संवर्ग सोसाइटी की समीक्षा धारा 38 तथा धारा 131 (2) (xv)]** :– 1)संवर्ग सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चाहे उसे जिस भी नाम से पुकारा जाये, सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन महीनों के अन्दर सोसाइटी के कार्यों की और इस की सदस्य सोसाइटियों की वार्षिक समीक्षा तैयार करेगा और उसे सोसाइटी के समक्ष रखेगा ।

2) समिति अगले तीन महीनों के अन्दर परन्तु वर्ष के 31 दिसम्बर तक ऐसी वार्षिक समीक्षा अपनी टिप्पणियों सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी ।

3) रजिस्ट्रार शीर्ष सोसाइटी की वार्षिक समीक्षा, अपनी टिप्पणी सहित, यदि कोई है सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

## अध्याय VI

## सहकारी समितियों के विशेषाधिकार

32. **पुस्तकों में लेखा/प्रविष्टियों की प्रतियों को प्रमाणित करने की रीति [धारा 42 (1) तथा 131 (2)(xviii)]** :– धारा 42 के प्रयोजनार्थ सहकारी सोसाइटी की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों की एक प्रति ऐसी प्रति के नीचे एक लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा प्रमाणित की जायेगी जिसमें वह घोषणा की जायेगी कि यह ऐसी प्रविष्टि की एक सही प्रति है और प्रविष्टि की लेखा पुस्तक सहकारी सोसाइटी की अभिरक्षा में है ;

परन्तु उक्त प्रमाण–पत्र पर सहकारी सोसाइटी के उस अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाये ।

33. **सरकार द्वारा कर्जे तथा आर्थिक सहायता [धारा 131 (2) (xxxvi)]** :– सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटियों के वर्ग को कर्जे तथा आर्थिक सहायता सरकार द्वारा ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर दी जायेगी, जो सरकार द्वारा समय– समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकथित किये जायें ।

34. **कर्जे या आर्थिक सहायता के लिये आवेदन देने की रीति [धारा 131 (2) (xxxvi)]** :– सरकारी विभाग या सरकार द्वारा प्रायोजित अभिकरण से कर्जे या आर्थिक सहायता अथवा दोनों के लिए सहकारी सोसाइटी द्वारा आवेदन रजिस्ट्रार के माध्यम से दिया जायेगा। आवेदन अग्रेषित करते समय रजिस्ट्रार उक्त कर्जे या आर्थिक सहायता या दोनों के लिये सहकारी सोसाइटी की पात्रता, उसकी वित्तीय स्थिति और सोसाइटी को उक्त कर्जे या आर्थिक सहायता या दोनों स्वीकृत करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में अपनी राय अभिलिखित करेगा।

35. **राज्य भागीदारी वाली सहकारी सोसाइटियों द्वारा सूचना तथा विवरणियों का प्रस्तुतीकरण [धारा 131(2)(xv)]** :– सहकारी कर्जा या आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली सहकारी सोसाइटी अथवा वह सोसाइटी, जिसमें अंश या अंशों का अभिदाय किया गया हो अथवा सोसाइटी की कार्यशील पूंजी का पचास प्रतिशत से अधिक कर्जा लेने के लिए प्रत्याभूति के रूप में दायित्व सरकार द्वारा लिया गया हो, ऐसी सूचना भेजेगी और ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी जिनकी स्वीकृति प्राधिकारी या रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये ।

## अध्याय VII

## लेख तथा अभिलेख

36. **अभिलेख तैयार करना तथा उस की अभिरक्षा करना [धारा 49 :–** 1) सहकारी वर्ष के आरम्भ होने पर, सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, प्रतिभूतियों तथा अन्य सम्पत्ति की सूचियां तैयार करेगी ।

2) ऐसी सूचियां सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चाहे उसको किसी भी नाम से अभिहित किया जाये, द्वारा सत्यापित तथा हस्ताक्षरित की जायेंगी । प्रत्येक सूची पर ऐसी लेखा पुस्तकें, अभिलेख प्रतिभूतियों तथा अन्य सम्पत्तियों के अभिरक्षक, जिसे उप–विधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये या समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाये, का नाम तथा हस्ताक्षर होंगे ।

3) यदि सहकारी वर्ष के दौरान किसी सूची के अभिरक्षक के कार्यकाल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उप–नियम (2) में बताई गई रीति में नई सूची तैयार की जायेगी ।

4) उप–नियम (2) तथा (3) के अन्तर्गत तैयार की गई सूचियों की प्रतियां सोसाइटी द्वारा सहकारी वर्ष के आरम्भ होने या अभिरक्षक के कार्यकाल में परिवर्तन की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से एक मास के अन्दर रजिस्ट्रार तथा सम्बद्ध वित्त प्रबन्ध संस्था को भेजी जायेंगी ।

## अध्याय VIII

## प्रभार तथा बन्धक

37. **धारा 53 के अधीन घोषणा [ धारा 53 तथा 131 (2) (xxxiii)]** 1) धारा 53 के खण्ड (ख) के अधीन घोषणा प्ररूप 4 में दिये गये रूप में चार प्रतियों में की जायेंगी ।

2) सहकारी सोसाइटी द्वारा रखा जाने वाला ऐसी घोषणाओं का रजिस्टर प्ररूप 5 में दिये गये रूप में होगा ।

## अध्याय IX

## कर्जे तथा उधार

38. **सहकारी सोसाइटी द्वारा उधार लेने पर प्रतिबन्ध [धारा 63 तथा 131 (2) (xxxvii)]** 1) उप–नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई सहकारी सोसाइटी सदस्यों या असदस्यों से निक्षेप और कर्जे प्राप्त नहीं करेगी जो रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए एक सामान्य बैठक में समय–समय पर नियत सीमाओं से बढ़ जाते हैं, जो किसी भी समय इसे कम कर सकता है :

परन्तु प्राथमिक कृषि उधार/सेवा सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार का अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

(2) कोई सहकारी सोसाइटी जो केवल सदस्यों से निक्षेप तथा कर्जे प्राप्त करती है और जिस पर सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक ऐसे निक्षेप तथा कर्जे प्राप्त कर सकती है । यदि ऐसी अधिक राशियां किसी सहकारी बैंक में जमा करवा दी जाती हैं, जिससे यह सम्बद्ध है अथवा भारतीय न्याय अधिनियम, 1982 की धारा 29 में विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में विनिहित करवा दी जाती है, परन्तु इस प्रकार जमा करवाई गई या विनिहित

की गई कोई राशि या उसका कोई भाग उपर्युक्त सीमाओं से अधिक स्वीकृत निक्षेपों की अदायगी को छोड़कर, निकलवाई या अन्यथा उपयोग में न लाई जाए ।

(3) कोई सहकारी सोसाइटी तीन प्रतिशत से अधिक ब्याज की दर पर, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिसके कार्यक्षेत्र में सोसाइटी स्थित है, द्वारा उसी प्रकार के निक्षेपों या कर्जों पर दिया जाता है, सदस्यों या असदस्यों से निक्षेप और कर्जे स्वीकार नहीं करेंगी, सिवाय इसके कि रजिस्ट्रार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सोसाइटियों के किसी वर्ग या व्यक्तिगत सोसाइटी को इस नियम के लागू होने से छूट या ढील दे सकता है ।

39. **अस्थायी साधनों का अनुरक्षण [धारा 63 तथा 131 (2)(xxxvii)]** :– निक्षेप स्वीकार करने तथा नकद उधार देने वाली प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ऐसे रूप में तथा ऐसे मानकों के अनुसार, जो रजिस्ट्रार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, अस्थायी साधनों का अनुरक्षण करेगी ।

40. **सदस्यों की अधिक उधार सीमा [धारा 64 तथा 131 (2)(xxii)]** :– सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों में सीमा अधिकथित की जा सकती है जिससे पूर्व सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार की पूर्व सहमति के बिना व्यक्तिगत सदस्यों को कर्जे नहीं दे सकती ।

41. **कर्जों के लिये प्रतिभूतियों का स्वरूप तथा सीमा [धारा 64 तथा 131(2) (xxii)]** :– रजिस्ट्रार समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह प्रतिभूति के स्वरूप तथा सीमा को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे, जिनकी सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटियों का कोई वर्ग उस द्वारा दिये गये कर्जो के सम्बन्ध में मांग करें ।

42. **अपने निजी अंशों में किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा कर्जे देने पर प्रतिबन्ध [ धारा 64 तथा 131(2)(xxii)]** :–कोई भी सहकारी सोसाइटी अपने निजी अंशों की प्रतिभूति पर कोई कर्जे अथवा पेशगियां नहीं देगी ।

## अध्याय X

## उपज की बिक्री की प्रक्रिया

43. **कुर्की तथा बिक्री आदि की घोषणा से सम्बन्धित प्ररूप** :– (क) धारा 72 की उप–धारा (1) के प्रयोजनों के लिए आवेदन प्ररूप VI में होगा ।

ख) उपज के कुर्क लिए जाने से पहले व्यतिक्रमी पर तामील दिया जाने वाला मांग नोटिस प्ररूप VII में होगा ।

ग) कुर्की आदेश प्ररूप VIII में होगा ।

घ) यदि भुगतान आदि करने से असफल रहा हो तो कुर्क करने के बाद मांग नोटिस, ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए जिसके लिये उपज कुर्क की गई है । उसमें विक्रय हुए दिन, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए, प्ररूप IX में होगा ।

44. **उपज की कुर्की** :– जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति प्रभारित या बन्धकित भूमि की उपज है, जिसमें खड़ी फसल भी शामिल है, तो कुर्कीकर्ता द्वारा कुर्की के वारन्ट की एक प्रति चिपका कर कुर्की की जायेगी :–

क) जहां ऐसी उपज से भूमि पर खड़ी फसल है जिस पर ऐसी फसल उगाई गई; या

ख) जहां ऐसी फसल काट दी गई है या गाहने के स्थान पर इकट्ठी कर दी गई है या अनाज को अलग करने के स्थान पर रख दी गई है या चारा भंडार में रख दी गई है या जिसमें यह इकट्ठी की जाती है और

दूसरी प्रति बाहर के दरवाजे पर या उस घर के जहां व्यतिक्रमी सामान्य तौर पर रहता है, किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर चिपका दी जायेगी और एक प्रति गांव या पंचायत घर के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपका दी जायेगी और उपज कुर्कीकर्ता के कब्जे में दे दी गई समझी जायेगी ।

45. **कुर्की करने का समय [धारा 131 (1)]** :– कुर्कीकर्त्ता द्वारा कुर्की केवल सूर्योदय के पश्चात् तथा सूर्योस्त से पहले की जाएगी।

46. **कुर्की की जाने सम्बन्धी सूचना** :– 1) जब कुर्की नियम 48 के अधीन की जाती है, कुर्कीकर्ता प्ररूप 9 में, कुर्की उस राशि का जिसके लिये कुर्की की गई है, उल्लेख करते हुये एक लिखित मांग व्यतिक्रमी को देगा । लिखित मांग में कुर्क सम्पत्ति की एक सूची और स्थान, तिथि तथा दिन और समय सम्बन्धी सूचना होगी जिस पर कुर्क सम्पत्ति बेची जायेगी यदि वह राशि जिसके लिये कुर्की की गई लिखित मांग की तामील की तिथि से 15 दिन के भीतर राशि अदा नहीं की जाती ।

2) लिखित मांग पर कुर्कीकर्ता द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसकी एक प्रति व्यतिक्रमी को या उसके सामान्य निवास स्थान **या कारबार के सामान्य स्थान** पर उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य को या उस द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता को दी जायेगी और जब इस प्रकार तामील न की जा सके, तो लिखित मांग की एक प्रति उसके निवास स्थान और भूमि के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपका दी जायेगी ।

परन्तु जहां व्यतिक्रमी उस गांव में नहीं रहता, जिसमें वह भूमि, खड़ी फसल या उपज जो कुर्क है, स्थित है वहीं व्यतिक्रमी को लिखित मांग रजिस्ट्री रसीदी डाक द्वारा उसके रहने के निवास स्थान या कारबार के सामान्य स्थान पर भेज दी जायेगी ।

47. **कुर्क सम्पत्ति की अभिरक्षा [धारा 131 (1) तथा धारा 73]** :– कुर्कीकर्ता कुर्की तथा बिक्री के बीच के अन्तराल के दौरान कुर्क सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा परिरक्षण की उचित व्यवस्था करेगा । आवेदक द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत सम्बद्ध सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या प्रबन्धक यदि कुर्कीकर्ता द्वारा अपेक्षा की जाये तो कुर्क–सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा परिक्षण की जिम्मेदारी लेगा और वह व्यक्ति, जिसे इस प्रकार सम्पत्ति सौंपी गई है, की लापरवाही के कारण कुर्क सम्पत्ति को हुई हानि या क्षति के लिये उत्तरदायी होगा ।

48. **कुर्क फसल का भंडारकरण [धारा 131 (1) तथा धारा 73]** :– जहां व्यतिक्रमी से सम्बन्धित बन्धक भूमि पर उगाई गई फसल कुर्क की जाती है तो कुर्कीकर्त्ता उसे पक जाने पर अथवा कटाई हो जाने पर बेचेगा और बेचने तक उसका उचित स्थानों में भंडार करेगा ।

49. **कुर्कीकर्ता किन किन स्थानों को बलपूर्वक खोल सकता है [धारा 131 (1)]** :– कुर्कीकर्त्ता के लिये किसी अस्तबल, गोशाला, अन्न भण्डार, गोदाम, बाह्य गृह या अन्य ऐसे भवन को बलपूर्वक खोलना विधिपूर्ण होगा और वह किसी आवास गृह में भी जिसमें प्रभारित या बन्धकित भूमि की उपज का भण्डार किया गया हो कुर्की के प्रयोजन के लिये प्रवेश कर सकता है;

परन्तु ऐसे कुर्कीकर्ता के लिये इस में इस के बाद उपबन्धित के सिवाय, किसी ऐसे स्थान को तोड़ना या प्रवेश करना विधिपूर्ण नहीं होगा, यदि ऐसा स्थान वास्तव में स्त्री के अधिभाग में कोई कक्ष है ।

50. **पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में कुर्कीकर्ता की बलपूर्वक दरवाजे खोलने की शक्तियां [धारा 131(1)]** :– 1) जहां कुर्कीकर्ता के पास विश्वास करने का कारण है कि प्रभावित या बन्धकित भूमि की उपज का उस आवासगृह के जिस का बाहरी द्वार बन्द है, अथवा ऐसी स्त्री के अधिभोग में जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के

सामने नहीं आती किसी कक्ष के भीतर भण्डार किया हुआ है तो कुकीकर्ता उस थाने के कार्यभारी थाना अधिकारी को, जिस के कार्यक्षेत्र में आवास गृह या कक्ष स्थित है, यह तथ्य लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा ।

2) ऐसे प्रतिवेदन पर थाने का कार्यभारी अधिकारी **अधिमानतः महिला पुलिस अधिकारी** को, जो हैडकांस्टेबल की पदवी से नीचे का नहीं, उस स्थान पर भेजेगा, जिस की उपस्थिति में कुर्कीकर्ता ऐसे आवास गृह का बाहरी दरवाजा बलपूर्वक खोल सकता है ।

3) कुर्कीकर्ता ऐसे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में किसी कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी स्त्री को नोटिस देगा कि वह बाहर आने के लिये स्वतन्त्र है और बाहर आने के लिये उसे प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा जुटाएगा और तब उसमें रखी गई प्रभारित या बन्धकित भूमि की उपज, यदि कोई हो, को कुर्की करने के प्रयोजन से कक्ष को बलपूर्वक खोल सकता है और उस में प्रवेश कर सकता है, यदि उसमें ऐसी कोई सम्पत्ति मिलती है तो उसे ऐसे कक्षों से तुरन्त हटा दिया जायेगा जिस के पश्चात् वे उसके अधिभोगियों के लिये खुले छोड़ दिये जायेंगे ।

51. **उपज की बिक्री के समय तथा स्थान की उद्घोषणा [धारा 76(1)]** :– 1) कुर्कीकर्ता बिक्री प्रारम्भ होने से एक दिन पहले और उस दिन बिक्री प्रारम्भ होने से पहले उस गांव में जिसमें व्यतिक्रमी रहता है या उपज रखी जाती है और ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कुर्कीकर्ता बिक्री के उचित प्रचार के लिये आवश्यक समझें, डोंडी पिटवाकर आशंचित बिक्री के समय तथा स्थान की उद्घोषणा करेगा ।

2) कोई बिक्री, अधिनियम की धारा 73 में निर्दिष्ट मांग की तामील की तिथि से 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं की जाएगी ।

परन्तु जहां कुर्क की गई सम्पत्ति शीघ्र तथा प्राकृतिक तौर पर खराब होने वाली हो तो उसे कुर्कीकर्ता तुरन्त बेच सकता है ।

52. **बिक्री कैसे संचलित की जायेगी [धारा 76 (1)]** :– 1) कुर्कीकर्ता निर्धारित समय और स्थान पर, कुर्क की गई सम्पत्ति या उसका ऐसा भाग जो आवश्यक हो, एक या अधिक भागों में, जैसा कुर्कीकर्ता को वांछनीय हो, उसे सब से अधिक बोली देने वाले को सार्वजनिक नीलामी में बेचेगा ।

2) कुर्कीकर्ता अपने विवेक पर ऐसे स्थगन के लिये अपने कारण अभिलिखित करने के बाद विनिर्दिष्ट दिन तथा समय तक बिक्री स्थगित कर सकता है ।

3) जहां बिक्री उप–नियम (2) के अधीन सात दिन से अधिक अवधि के लिये स्थगित की जाती है वहां नियम 55 के अधीन नई उद्घोषणा की जायेगी, जब तक कि व्यतिक्रमी इस सम्बन्धी छूट के लिये सहमति न दे दे ।

53. **बिक्री से पहले देय राशियों तथा खर्चे देने पर कुर्की की वापसी** :– जब बिक्री के लिये नियत दिन से पहले व्यतिक्रमी या उसकी और से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कुर्क सम्पत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति सोसाईटी, रजिस्ट्रार या कुर्कीकर्ता को देय समूची राशि जिसमें ब्याज, यात्रा भत्ता ओर कुर्की करने और बिक्री की उद्घोषणा पर होने वाले अन्य खर्चे भी शामिल हैं, भुगतान कर देता है तो कुर्कीकर्ता बिक्री नहीं करेगा और उपज को तुरन्त मुक्त कर देगा ।

54. **कुर्की की गई उपज की खरीद पर भुगतान [ धारा 76 (1)]** :– क्रयधन को खरीददार द्वारा बिक्री के समय या उसके तुरन्त बाद जो कुर्कीकर्ता द्वारा नियत किया जाए, नकद भुगतान किया जायेगा और खरीददार को सम्पत्ति के किसी भाग को ले जाने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक वह समूचे क्रयधन का भुगतान न कर दे ।

55. **व्यतिक्रम की दशा में पुनः बिक्री धारा 76 (1)]** :– यदि खरीददार क्रयधन के भुगतान में व्यतिक्रम करता है तो उपज की पुनः बिक्री की जायेगी । मूल्य की कोई कमी जो खरीददार के व्यतिक्रम के कारण पुनः बिक्री से हो सकती है और ऐसे पुनः विक्रय पर होने वाले सभी खर्च, भू–राजस्व के बकाया के रूप में व्यतिक्रम करने वाले खरीददार से वसूली योग्य होंगे ।

56. **कुर्क की गई सम्पत्ति में किसी अधिकार अथवा हित के दावों की जांच** :– 1) जहां व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कुर्क की गई सम्पत्ति में किसी अधिकार अथवा हित का कोई दावा किया जाता है वहां, कुर्कीकर्ता दावों की जांच करेगा और उसके गुण दोषों के आधार पर उसका निपटान करेगा : परन्तु जहां कुर्कीकर्ता समझता है कि दावे पर जानबूझ कर या अनावश्यक देरी की गई है वहां ऐसी जांच नहीं की जायेगी ।

2) जहां दावे में सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री के लिये है वहां कुर्कीकर्ता दावे की जांच लम्बित होने के कारण बिक्री स्थगित कर सकता है ।

57. **अचल सम्पति की बिक्री के लिये आवेदन तथा प्रक्रिया । धारा 76 (1)]** :– 1) आवेदन अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन (प्ररूप X में) समिति द्वारा लिखित रूप से समयक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा समिति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा । इसमें ब्याज तथा अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नोटिस की तामील पर हुआ खर्च शामिल करके वसूली योग्य देय राशि तथा व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम (नाम) और पता (पते) जिसे (जिन्हें) ऐसा नोटिस दिया गया था, उल्लेख किया जायेगा । इस में अचल सम्पत्ति, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जानी है, का ऐसा विवरण होगा, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो और यदि ऐसी सम्पत्ति की राजस्व अभिलेख में सीमाओं या किसी संख्या द्वारा पहचान की जा सकती हो तो ऐसी सीमाओं या संस्थाओं की विशिष्टियां भी होंगी ।

2) आवेदन प्राप्त होने पर बिक्री अधिकारी, धारा 75 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सभी व्यक्तियों को लिखित रूप में नोटिस प्ररूप XI में देगा जिस में सोसाइटी द्वारा दावा की गई राशि और नोटिस तामील करने पर होने वाला खर्च भुगतान की जाने की स्थिति में बेची जाने वाली सम्पत्तियों के ब्यौरे, और उस तिथि का भी जिस को अथवा जिसके बाद बिक्री की जायेगी, उल्लेख किया जायेगा ।

58. **जब व्यतिक्रमी भुगतान करने की उपेक्षा करता है [धारा 76 (1) ]**:– यदि नियम 57 के उप–नियम (2) के अधीन जारी किये गये नोटिस में अनुज्ञात समय के समाप्त होने से पहले, ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो बिक्री अधिकारी, सोसाइटी को नोटिस देने के पश्चात् आवेदन में निर्दिष्ट अचल सम्पत्ति को नियम 59 में अधिकथित रीति में बेचने के लिये कार्यवाही करेगा ।

59. **बिक्री से पहले उद्घोषणा [धारा 76 (1)]** :– 1) बिक्री अधिकारी आशयित बिक्री की उद्घोषणा प्ररूप XII में करेगा ।

2) ऐसी उद्घोषणा में बिक्री का समय तथा स्थान बताया जायेगा और यथा सम्भव उचित तथा सही रूप से निम्नलिखित बातें लिखी जायेंगी –

क) बेची जाने वाली सम्पत्ति :

ख) उसके सम्बन्ध में भुगतान – योग्य राजस्व या किराया;

ग) वसूली के लिये राशि जिसके लिये बिक्री की आनी आशयित है, और

घ) प्रत्येक अन्य बात जो बिक्री अधिकारी, सम्पत्ति के स्वरूप और मूल्य को आंकन के लिये खरीददार के लिये तात्विक समझें ।

3) उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले मामलों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये बिक्री अधिकारी किसी भी व्यक्ति को जिसे वह बुलाना आवश्यक समझे, को बुलाएगा और किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में उसकी जांच करेगा और उस मामले से सम्बद्ध उसके कब्जे में या अधिकार में होने वाले किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।

4) प्रत्येक उद्घोषणा, बिक्री के लिये नियत तिथि से कम से कम दस दिन पहले सम्बद्ध सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां, के कार्यालय और तहसील के जिसमें बेची जाने वाली सम्पत्ति स्थित है, तहसीलदार के कार्यालय के सहज–दृश्य भाग पर उसकी एक प्रति चिपका कर की जायेगी और उस गांव में जहां बेची जाने वाली बन्धकित सम्पत्ति स्थित है, बिक्री की तिथि से पहले लगातार दो दिनों तक और बिक्री वाले दिन बिक्री शुरू करने से पहले डोंडी पिटवा कर उद्घोषणा की जायेगी ।

60. **सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाने वाली बिक्री [धारा 76 (1)** :– 1) बन्धकित सम्पत्ति की बिक्री, सम्पत्ति पर पंजीकृत विलेख के आधार पर पूर्व प्रभार, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये की जायेगी और यह सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे अधिक बोली देने वाले के नाम होगी ।

2) बिक्री अधिकारी अपने विवेक से विनिर्दिष्ट दिन और समय तक ऐसे स्थगन के कारण अभिलिखित करते हुये बिक्री स्थगित कर सकता है ।

3) जहां उप–नियम (2) के अधीन बिक्री का स्थगन सात दिन से अधिक अवधि के लिये किया जाता है, नियम 49 के अधीन एक नई उद्घोषणा की जायेगी तथा प्रकाशित की जायेगी, जब तक की बन्धक–कर्ता इस में छूट के लिये अपनी सहमति न दे दे ।

61. **खरीददार द्वारा निक्षेप तथा दोष पर पुनः व्यतिक्रम बिक्री [धारा 76 (1)]** :– 1) जब नीलामी की सब से अधिक बोली अभिलिखित कर दी गई हो, बोली देने वाला वह व्यक्ति, बिक्री अधिकारी की अपेक्षा पर, उस अधिकारी को अपनी बोली की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करवा देगा और उस का भुगतान करने पर, उसे खरीददार घोषित कर दिया जायेगा । यदि अधिकतम बोली देने वाला व्यक्ति ऐसी राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो सम्पत्ति की तुरन्त पुनः बिक्री की जायेगी ।

2) जहां ऐसी सोसाइटी, जिसके अनुरोध से सम्पत्ति बेची जाती है, खरीदार है और नियम 58 के अधीन क्रयधान में मुजरे का हकदार है, वहां बिक्री अधिकारी उपनियम (1) की अपेक्षाओं में छूट दे सकता है ।

62. **क्रयधन के बकाये के भुगतान के लिये समय [धारा 76 (1)]** :– क्रयधन की शेष राशि, बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर बिक्री अधिकारी को खरीददार द्वारा भुगतान की जायेगी ।

परन्तु बिक्री अधिकारी को इस प्रकार भुगतान की जाने वाली राशि की संगणना के समय खरीददार मुजरे के दावे का अधिकार होगा, जिसके लिये वह नियम 66 के अधीन हकदार है ।

63. **भुगतान में व्यतिक्रम पर प्रक्रिया [धारा 76 (1)]** :– नियम 62 में वर्णित अवधि के भीतर क्रयधन के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर जमा राशि यदि बिक्री अधिकारी उचित समझे बिक्री की कुल लागत, प्रभार तथा खर्चे चुकाने के पश्चात् जब्त हो जायेगी और सम्पत्ति पुनः बेची जायेगी और व्यतिक्रमी खरीददार के सम्पत्ति के

या उस राशि के किसी भाग के जिसके लिये इसे बाद में बेची जाए, सभी दावे समाप्त हो जायेंगे ।

64. **पुनः बिक्री पर होने वाली हानि के लिये व्यतिक्रम खरीददार उत्तरदायी होगा धारा 76 (1)]** :– खरीददार की व्यतिक्रम के कारण पुनः बिक्री के मूल्य में कोई कमी और ऐसी पुनः बिक्री पर होने वाला सारा खर्च व्यतिक्रमी खरीददार से अभू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होगा ।

65. **पुनः बिक्री पर उद्घोषणा [धारा 76 (1)]** :– ऐसे भुगतान के लिये अनुज्ञात अवधि के भीतर क्रयधन के भुगतान मं व्यतिक्रम पर बन्धकित सम्पत्ति की प्रत्येक पुनः बिक्री, बिक्री के लिये इसमें इससे पहले विनिर्दिष्ट रीति और अवधि के लिए एक नई उद्घोषणा जारी करने के बाद की जाएगी ।

66. **मुजरा, जहां सोसाइटी खरीददार है [धारा 76 (1)]** :– जहां सोसाइटी, जिसके अनुरोध पर बंधकित सम्पत्ति बेची जाती है, इसे खरीदती है, वहां क्रयधन और देय राशि को एक दूसरे के प्रति मुजरे कर दिया जायेगा और बिक्री अधिकारी तदानुसार बन्धकित धन के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान को सुनिश्चित करेगा ।

67. **सम्पत्ति को मुक्त करना [धारा 76 (1)]** :– जहां बिक्री के लिये नियत दिन से पूर्व बन्धकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या बन्धकित सम्पत्ति में हित रखने वाले कोई व्यक्ति समूची देय राशि जिसमें ब्याज, यात्रा भत्ता, अन्य लागत प्रभार तथा बिक्री के सम्बन्ध में होने वाले खर्चे भी शामिल है, का भुगतान कर देता है वहां बिक्री अधिकारी बिक्री नहीं करेगा और सम्पत्ति को तुरन्त मुक्त कर देगा ।

68. **बिक्री की रिपोर्ट [धारा 76 (1)]** :– बिक्री अधिकारी, बिक्री की समाप्ति पर, बिक्री के परिणामों के सम्बन्ध में उस सोसाइटी को जिसके अनुरोध पर बिक्री की गई थी, रिपोर्ट देगा । इस रिपोर्ट की एक प्रति उचित कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार को भी भेजी जायेगी ।

69. **कुछ मामलों में क्रय धन का वापस करना [धारा 76 (1)]** :– जब कभी अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन बन्धकित सम्पत्ति की बिक्री अपास्त कर दी जाती है, तब जमा राशि का या क्रयधन, जैसी भी स्थिति हो, खरीददार को वापस कर दिया जायेगा, जो अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के उप–खण्ड (ख) के अधीन बन्धकित सम्पत्ति में अधिकार या हित रखने वाले बन्धक कर्ता या व्यक्ति द्वारा जमा करवाई गई क्रयधन के दो प्रतिशत के बराबर की राशि प्राप्त करने का भी हकदार होगा ।

70. **बकाया राशि के भुगतान के लिये रसीद [धारा 76 (1)]** :–किसी देय राशि की ओर, जिसकी वसूली के लिये इन नियमों के अधीन आवेदन किया गया है, भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति रसीद का हकदार होगा और उस पर कुर्कीकर्ता या बिक्री अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के हस्ताक्षर होंगे । ऐसी रसीद पर भुगतान करने वाले व्यक्ति का **नाम तथा पता** और जिस सम्बन्ध में भुगतान किया जाता है उसकी विषयवस्तु का उल्लेख होगा।

## अध्याय XI
## सम्पत्तियां और निधियां

71. **निधियों का निवेश धारा 85 और 131 (2)(xxiii)]** 1) अधिनियम की धारा 85 में उपबन्धित ढंगों के अतिरिक्त, सहकारी सोसाइटी निधियों को अथवा उनके किसी भाग को निम्नलिखित में निवेश अथवा जमा करवा सकती है :–

क) सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये बन्धपत्रों, प्रमाण–पत्रों अथवा कर्जों में ;

ख) सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबैंचरों में ;

ग) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के साथ, भूमि अथवा भवन की खरीद अथवा पट्टे में अथवा किसी भवन के अभिग्रहण, निर्माण अथवा नवीकरण में जो इसके कार्य के संचालन के लिये अनिवार्य हो ।

2) उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन निवेशित निधियों की राशि की पूर्ति ऐसे निबन्धनों पर की जायेगी जो प्रत्येक मामलों में रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित की जाये ।

3) उप–खण्ड (1) के खण्ड (ग) के उपबन्ध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :–

क) खरीदी गई सम्पत्ति को,

i) किसी राशि की वसूली के लिये इस द्वारा प्राप्त बिक्री के निष्पादन में लगाई गई बिक्री पर सहकारी सोसाइटी द्वारा ; अथवा

ii) ऐसी सोसाइटी को देय किसी राशि की वसूली के लिये वित्तीय बैंक द्वारा वित्त–पोषित सहकारी सोसाइटी द्वारा प्राप्त डिक्री निष्पादन में लगाई गई बिक्री पर अथवा ऐसी सोसाइटी के परिसमापक द्वारा लगाई गई बिक्री पर ।

72. **लाभांश का भुगतान [धारा 131 (2)(xxv)]** :– 1) किसी भी सहकारी सोसाइटी में लाभांश, प्रदत्त अंशपूंजी के 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगा ।

2) असीमित दायित्व वाली किसी सहकारी सोसाइटी में किसी भी लाभांश का तब तक भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक कि पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती ।

3) सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जायेगा जहां सहकारी सोसाइटी की ओर से किसी जमाकर्ता अथवा देनदान को देय कोई दावा अपूर्ण रहता है ।

73. **सहकारी शिक्षा निधि का सृजन [धारा 131 (2)(xxv)]** :– प्रत्येक सहकारी सोसाइटी वर्ष के अपने निवल लाभों में से राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशासित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में दो प्रतिशत तक की राशि का अंशदान देगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर निर्देश दिया जाये । सहकारी सोसाइटी द्वारा भुगतान योग्य अंशदान सहकारी सोसाइटी की निधियों पर प्रभारित किया जायेगा और धारा 110 में उपबन्धित रीति में वसूली योग्य होगा । राज्य सहकारी संघ रजिस्ट्रार के अनुमोदन से निधि के उपयोग तथा प्रशासन के लिये विनियम तैयार करेगा ।

74. **आरक्षित निधि [धारा 131 (2) (xxiii)]** :– 1) रजिस्ट्रार धारा 87 के अधीन समय–समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा आरक्षित निधि से अग्रेषित किये जाने वाले लाभों के अनुपात को निवल लाभों के दसवें भाग से बढ़ा कर निवल लाभों के चौथाई भाग तक कर सकता है ।

2) आरक्षित निधि अविभाज्य होगी और कोई भी सदस्य इसमें विनिर्दिष्ट अंश का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में और रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से, आरक्षित निधि का उपयोग सोसाइटी की हानियों को पूरा करने के लिये किया जा सकता है ।

3) ऐसी कोई भी सहकारी सोसाइटी जहां आरक्षित निधि अलग से निवेशित अथवा जमा करवाई गई हो ऐसी निधि को नहीं निकलवायेगी, गिरवी नहीं रखेगी अथवा अन्यथा प्रयोग में नहीं लायेगी ।

75. **प्रत्याभूति निधि में अंशदान आदि [धारा 88]** :– 1) जहां सरकार अधिनियम की धारा 88 की उप–धारा (1) के

अधीन सहकारी सोसाइटी अथवा सहकारी सोसाइटियों के एक वर्ग के लिये प्रत्याभूति निधि गठित करने का निर्णय ले लेती है, तब ऐसी सोसाइटी अथवा सोसाइटियों का वर्ग, अधिनियम की धारा 87 के अधीन आरक्षित निधि के लिये अंशदान देने के पश्चात् इस निधि में शेष लाभों के दो प्रतिशत से कम अंशदान नहीं करेगी ।

2) इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्याभूति निधि का उपयोग, सोसाइटी के कारोबार में नहीं किया जायेगा और इसे राज्य सहकारी बैंक में रखा जायेगा ।

3) प्रत्याभूति निधि का उपयोग ऐसी रीति में किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाये ।

## अध्याय XII

## कमजोर सोसाइटियों की पुनः स्थापना

76. **पुनः स्थापना निधि [धारा 131 (2) (xxii)]** :– 1) सोसाइटी द्वारा स्थापित पुनः स्थापना निधि या तो राज्य सहकारी बैंक में अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक में रखी जायेगी ।

2) इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, पुनः स्थापना निधि का उपयोग सोसाइटी के कारोबार में नहीं किया जायेगा ।

## "अध्याय XII–क"

## बीमार सोसाइटियों की परिसम्पतियों की बिक्री अथवा पट्टेदारी तथा दायित्व

"76क विक्रय द्वारा बीमार सोसाइटी की परिसम्पतियां तथा दायित्वों का अन्तरण–रजिस्ट्रार, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, की गई बीमार सोसाइटी की जांच के आधार पर तथा सरकार और बीमार सोसाइटी की वित्तीय संस्थाओं से परामर्श के बाद, अपनी समिति को, निम्नलिखित शर्तों तथा निर्बन्धनों पर, अनुबंध 'क' में यथा इंगित ऐसे आदेश के जारी होने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किसी अन्य सोसाइटी, फर्म, निकाय अथवा कंपनी को, विक्रय द्वारा, अपनी परिसम्पतियों तथा दायित्व अंतरिम करने के लिए कह सकती है:–

(क) सोसाइटी, फर्म, कम्पनी अथवा निकाय ऐसी अवधि के भीतर, बीमार सोसाइटी तथा प्रस्तावित फर्म, कम्पनी, सोसाइटी अथवा निकाय के मध्य परस्पर करार पाए गए अनुसार, बीमार सोसाइटी के पक्ष में, एक मांग ड्राफ्ट के माध्यम से एकमुश्त सम्पूर्ण भुगतान बीमार सोसाइटी को भेजेगी।

(ख) बीमार सोसाइटी, सम्पूर्ण मशीनरी, फर्नीचर तथा जुड़नार, भूमि तथा भवन, स्टॉक, कच्चा माल, तैयार माल इत्यादि सहित समूचे परिसर का खाली कब्जा, परस्पर करार पाई गई एक विनिर्दिष्ट तिथि पर सौंप देगी।

(ग) बिक्री की कार्यवाहियां पूरी होने पर, बीमार सोसाइटी के स्वामित्वाधिकार प्राप्त करने वाली समिति, फर्म, कम्पनी अथवा निकाय, किसी भी रूप में तथा संगठन के नए नाम से संव्यवहार में "सहकारी" शब्द का प्रयोग नहीं करेगी तथा यह अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटी नहीं रहेगी। रजिस्ट्रार ऐसी बीमार सोसाइटी का पंजीकरण रद्द कर देगा तथा सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित करेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 14क(2) के अधीन बीमार सोसाइटी की समिति को अवसर प्रदान करने की अनुपालना करने में, रजिस्ट्रार की ओर से बीमार सोसाइटी की समिति के सदस्यों द्वारा तथा उसके ऋणदाताओं

द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों/दावों की संतुष्टि तथा निपटान करना बाध्यकर होगा तथा रजिस्ट्रार आक्षेपों/दावों के निपटान के बारे में समिति को सूचित करेगा।

(ड.) रजिस्ट्रार नियमों के अधीन बिक्री के संचालन के प्रयोजन के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, बिक्री अधिकारी नियुक्त करवाने के लिए कार्यवाही करेगा।

(च) यदि बीमार सोसाइटी की समिति नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अनुबन्ध 'ख' के अधीन कार्यवाही करने में असफल रहती है, तो तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रार उक्त अनुबंध 'ख' के अधीन सम्पत्ति आस्तियों, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर तथा जुड़नारों की पूर्ण सूची देते हुए, आशयित बिक्री का पूर्ण तथ्य देते हुए, राज्य मुख्यालय से प्रकाशित व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों तथा नई दिल्ली से प्रकाशित व्यापक प्रसार वाले एक राष्ट्रीय दैनिक में बिक्री का नोटिस जारी करते हुए तथा आगे सम्भावी बोलीदाता/बोलीदाताओं को उपर्युक्त वर्णित चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पूर्ण सम्पत्ति के नोटिस का 10 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

(छ) बिक्री की उद्घोषणा सहायक रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार, बीमार सोसाइटी के कार्यालय तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बीमार सोसाइटी के कार्य कलाप से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध स्थान/स्थानों पर नोटिस लगाकर परिचालित/प्रकाशित की जाएगी तथा सम्पूर्ण बिक्री प्रक्रिया पूरी करने हेतु कम से कम तीस दिन का समय दिया जाएगा। बिक्री के लिए नियत तिथि के प्रारम्भ से पहले दो अनुक्रमिक तिथियों से पूर्व बिक्री अधिकारी, स्वयं को इस बारे आश्वस्त करते हुए कि उक्त सम्पत्ति के ब्यौरे मुनादी द्वारा उचित रूप से युक्तियुक्त ढंग पर जनता के ध्यान में लाए जा रहे हैं, इलाका/गांव/नगर में मुनादी करेगी/घोषणा करेगा। उद्घोषणा में बिक्री का समय/स्थान बताया जाएगा तथा बेची जाने वाली सम्पत्ति के सम्पूर्ण ब्योरे तथा विशेष विवरण सही प्रकृति तथा कोई विल्लंगम जिसकी सम्पति उक्त बीमार सोसाइटियों के दायित्वाधीन है, तथा उसका आवश्यक अभिलेख रखेगा।

(ज) बिक्री अधिकारी सरकारी अनुमोदित संविदाकार/मूल्यांकक से जैसा जहां है, के आधार पर, सम्पत्ति, आस्तियों, मशीनरी, फर्नीचर तथा जुड़नार, स्टॉक, तैयार माल इत्यादि का बाजार मूल्य निर्धारित करवाने की कार्यवाही करेगा तथा बाजार में इन वस्तुओं के प्रचलित रूझान का अध्ययन करते हुए अपने स्तर पर उनके मूल्य को भी सुनिश्चित करेगा तथा इस सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार को, उसके अनुमोदन हेतु, एक लिखित प्रस्ताव भेजेगा। शहरी/अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भू–सम्पत्ति के मामले में, रजिस्ट्रार को विभिन्न प्राधिकरणों अर्थात् शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर पालिकाओं/निगम तथा राजस्व विभाग मार्ग दर्शक सिद्धान्तों इत्यादि के नवीनतम दिशा निर्देश द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।

(झ) बिक्री सूर्योदय के पश्चात् तथा सूर्यास्त से पूर्व की जाएगी तथा किसी अन्य समय पर नहीं।

(ञ) बिक्री अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि जब क्रय–विक्रय पूरा हो जाता है तो क्रेता द्वारा पेश की गई राशि सम्पत्ति/आस्तियों के बाजार मूल्य से कम न हो, तथा यथासम्भव निकट यह सुनिश्चित करेगा कि यह प्रतियोगी मूल्य पर बेची जा रही है न कि असावधानीपूर्ण क्रय विक्रय द्वारा।

(ट) बिक्री अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि बिक्री के लिए प्रकाशित नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा उन तैयार मालों को प्रभावित नहीं करे जो तीव्र तथा प्राकृतिक ह्रास के अधीन हैं तथा तदानुसार नोटिस की अवधि कम करेगा।

(ठ) बिक्री उच्चतम बोलीदाता को उद्घोषणा द्वारा की जाएगी परन्तु बिक्री अधिकारी को पेशकश की गई राशि अत्यधिक कम होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इन्कार करने

का विकल्प होगा तथा रजिस्ट्रार से परामर्श करने के पश्चात्, वह किसी विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय के लिए, ऐसे स्थगन हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, बिक्री स्थगित कर सकता है। जहां बिक्री सात दिन से अधिक की अवधि के लिए स्थगित की जाती है, वहां उपरोक्त खण्ड (छ) के अधीन पुनः एक नई उद्घोषणा की जाएगी।

(ड) अचल सम्पत्ति तथा अन्य आस्तियों की बिक्री से तीस दिन के भीतर, किसी भी समय रजिस्ट्रार, स्वयं विवेक पर अथवा किसी व्यक्ति, जिसके हित बिक्री से प्रभावित होते हैं, की शिकायत पर, जांच करवाकर बिक्री के संचालन में अनियमितता अथवा गलती अथवा छल कपट के आधारों पर बिक्री को रद्द कर सकता है।

(ढ) अंतिम समझौते के बाद, प्रस्तावित बीमार इकाई के क्रेता, ऐसे कर्मचारियों को क्रेता द्वारा जिनकी सेवाएं ग्रहण नहीं की गई हैं, ऐसी राशि का भुगतान करने का दायी होगा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का अधिनियम 14), के उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार सक्षम न्यायालयों द्वारा निर्णित की जाएं।

(ण) दायित्वों को पूरा करने के पश्चात्, बची राशि का, सहकारी सोसाइटी के परिसमापन से सम्बन्धित इन नियमों के अध्याय XV में इस संबंध में विहित रीति में रजिस्ट्रार की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निपटान किया जाएगा।

**<u>पट्टे द्वारा बीमार सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का अंतरण</u>**

76 ख. (क) यदि बीमार सोसाइटी की समिति अनुबन्ध 'ख' में निर्दिष्ट नोटिस में यथा सूचित रजिस्ट्रार के परामर्श पर कार्य करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार न्यूनतम पांच वर्ष तथा अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर बीमार सोसाइटी की आस्तियां तथा दायित्व अन्तरिम करने के लिए कार्यवाही करेगा। रजिस्ट्रार, पट्टे के लिए नोटिस, राज्य के व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र तथा व्यापक प्रसार वाले एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित करवाने के लिए कार्यवाही करेगा तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कम से कम तीस दिन का नोटिस देते हुए पट्टे की प्रस्तुति का तथ्य देगा।

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा, सहायक रजिस्ट्रार तथा उप–रजिस्ट्रार के कार्यालय में तथा उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर भी जहां जनता प्रायः सामान्य रूप से जाती है, पट्टे हेतु नोटिस चिपकवाए जाएंगे तथा रजिस्ट्रार पट्टे की उद्घोषणा ऐसे स्थानों पर तथा ऐसे पक्षकारों के मध्य, जो वह उचित समझे, मुनादी द्वारा आख्यापित करवाएगा।

(ग) पट्टे के लिए नोटिस में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा कि बीमार सोसाइटी की पट्टे पर लेने की सहमति देने वाला पक्षकार इकाई के सहकारी स्वरूप को बनाए रखेगा।

(घ) बीमार सोसाइटी को पट्टे पर लेने की पेशकश करने वाला पक्षकार, बीमार इकाई के उद्देश्य से भिन्न कोई अन्य व्यवसाय अथवा कारबार अथवा औद्योगिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं करेगा।

(ड.) पट्टेदार, प्रस्तावित इकाई के लेखे कठोरतः व्यवहार्य प्रणाली के अनुसार रखेगा।

(च) रजिस्ट्रार अथवा उसका नाम निर्देशित पट्टे पर दी गई इकाई का अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निरीक्षण/लेखा परीक्षा करने हेतु सक्षम होगा। रजिस्ट्रार अथवा निरीक्षण/लेखा परीक्षा करने हेतु प्राधिकृत

व्यक्ति की, लेखा पुस्तकों, पट्टे पर दिए गए परिसर, कारखाना, मशीनरी तथा अन्य आस्तियों तक स्वतन्त्र रूप से पहुंच होगी।

¼X½ ;fn] iVVsnkj chekj I ks kbVh dk ijwk vey k Lohdkj ugha djrs rks osmDr vey sdh ,sh jkf"k ,ka Hkqrku djusdsfy, nk;h gksa st ksvk[S kfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk vf/kfu;e 14½ ds mi cU/kksa ds fucU/kuksa ds vuq kj I {ke U;k;y;ksa }kjk fuf.kZ fd, t k,aA

¼4½ iVVsnkj fdlh Hkh vuqmRiknd vkfLr;ksa dks çfrLFkkfir djus@gVkus ds fy, i wkZ vkSj R;  nsss gq] jft LVªh dh vuqefr ds fcuk fdlh Hkh vkfLr;ksa dks cpus ]s mi iVVsij nsus ]s v Fkok bl ds eny LFkku I s gVkus ds fy, vuq[kr ugha gksxkA

½4½ ikp o'kZ dh vof/k I ekIr gksus ij bdkbZ ds I pkyu ds ifj.kkeksa dh I eh{kk dh t k,xh rFkk iVVsnkj }kjk iVVs dh "krksZ wkZu djus dh n"kk esa iVVk jn~ dj fn;k t k,xk rFkk dkbZ foLrkj vuq[kr ugha fd;k t k,xkA

¼¥½ iVVs dh fucU/ku rFkk "krkZ Hkkjrh; LVkEi vf/kfu;e] 1899 ¼1899 dk vf/kfu;e 2½ }kjk ;Fkki s{kr U;kf;d rsj LVkEi i = ij fyfi c) dh t k,xh A t ksçkf/kdr Q;fDr }kjk gLrk{kfjr fd;k t k,xk rFkk ml {ks= esa vf/kdkfjrk j[kus okys çFke Js.kh eft LVªsV }kjk fof/kor I R;kfir fd;k t k,xk] ft I esa chekj I ks kbVh fLFkr gSA

## अनुबंध क
## (देखिए नियम 76 क)

प्रेषक

रजिस्ट्रार,
सहकारी सोसाइटियां, हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में,

अध्यक्ष,
..............................................

..............................................

**विशयः— .................................. की आस्तियों तथा दायित्वों का.......................... में अन्तरण।**

................................................................ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपकी सोसाइटी के तुलन पत्र का अवलोकन करने पर, अधोहस्ताक्षरी ने .................................... को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्ष के लिए इसकी वित्तीय स्थिति का वस्तुनिष्ठ निर्धारण किया है तथा ऐसी कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती जिससे संचित हानियों का पुनः दावा किया जा सके तथा जैसाकि तुलना पत्र से प्रकट होता है कि इस सोसाइटी के अधिकांश शेयर सरकार के पास हैं, अतः धारा 14 (क) (1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर मेरी राय है कि इस सोसाइटी की आस्तियां तथा दायित्व नब्बे दिन की अवधि के भीतर किन्तु ........................................ (तिथि) के पश्चात् नहीं ................................................... को अन्तरित कर दी जाएं।

इसलिए, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि समिति की बैठक को बुलाते हुए तथा इसकी सहमति प्राप्त करके अधोहस्ताक्षरी को सूचना के अधीन अपनी सोसाइटी की समिति के समक्ष यह विवाधक रखें। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो आस्तियों तथा दायित्वों के अन्तरण के सम्बन्ध में विधि के अधीन आगामी कार्यवाही की जाएगी।

रजिस्ट्रार,
सहकारी सोसाइटियां, हरियाणा,
पंचकूला।

## अनुबंध ख
## (देखिए नियम 76 क तथा 76 ख)

प्रेषक

रजिस्ट्रार,
सहकारी सोसाइटियां, हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में,

....................................................................
(सोसाइटी का नाम)
की समिति के सदस्य।

**विशयः—** **सोसाइटी की आस्तियों तथा दायित्वों का अन्तरण।**

इस कार्यालय के यादि संख्या ........................................................... दिनांक ......................... द्वारा अधोहस्ताक्षरी ने आपकी सोसाइटी की आस्तियां तथा दायित्वों, नामित, एक फर्म, कम्पनी, निकाय अथवा सोसाइटी को अन्तरिम करने हेतु आपको कुछ दिशा—निर्देश जारी किए थे। उक्त दिशा—निर्देशों का पालन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी ने आपको नब्बे दिन का समय दिया था। अभी तक आपकी ओर से किसी प्रकार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अधोहस्ताक्षरी, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां होने के नाते आपको, इसके द्वारा उक्त सोसाइटी की आस्तियां तथा दायित्व तीस दिन की अवधि के भीतर .................. (फर्म सोसाइटी, कम्पनी अथवा निकाय का नाम) को अन्तरित करने का निर्देश देता हूं तथा यदि निर्धारित अवधि के भीतर आपकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो अधोहस्ताक्षरी के पास आपकी सोसाइटी की आस्तियां तथा दायित्व उपर्युक्त फर्म, कम्पनी, निकाय अथवा सोसाइटी को अन्तरित करने के आदेश देने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाएगा तथा आपकी सोसाइटी विघटित हो जाएगी।

रजिस्ट्रार,
सहकारी सोसाइटियां, हरियाणा,
पंचकूला।

## अध्याय XIII

## लेखा परीक्षा और लेखा

77. **लेखों की लेखा परीक्षा [धारा 131 (2) (xiv) ]**:– सहकारी सोसाइटी के लेखों की लेखा–परीक्षा ऐसी रीति में की जायेगी जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाये ।

78. **लेखा पुस्तकों और अन्य अभिलेख का अनुरक्षण, [धारा 131 (2)(xiv) ]**:–सहकारी सोसाइटी अथवा सहकारी सोसाइटियों का कोई वर्ग लेखा पुस्तकों और अन्य अभिलेख को ऐसे रूप एवं रीति में रखेगा जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ।

79. **तुलन पत्र और अन्य लेखे तैयार करना [धारा 131 (2) (xiv) व (xv)]** :– 1) सहकारी सोसाइटी तुलन पत्र, लाभ तथा हानि लेखा, व्यापारिक लेखा और लेखों से सम्बन्धित ऐसे अन्य विवरण, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें, सहकारी वर्ष के अन्त के तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप में तैयार करेगी जो रजिस्ट्रार द्वारा अधिकथित किया जाये ।

    2) यदि रजिस्ट्रार ऐसा निदेश करता है, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विवरण की एक प्रति सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को उस तिथि तक भेजी जायेगी । जो वह विनिर्दिष्ट करें ।

80. **लेखा परीक्षा फीस [धारा 131 (1)]** :– 1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिये अपने लेखों की लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित सहकारी सोसाइटियों के वर्ग के सम्बन्ध में, जिससे यह सम्बद्ध है, सरकार के पूर्वानुमोदन से रजिस्ट्रार द्वारा नियत किये गये मान के अनुसार सरकार को फीस का भुगतान करेगी।

    2) रजिस्ट्रार, सरकार द्वारा अधिकथित की गई शर्तों के अधीन रहते हुये उप–नियम (1) के अधीन किसी वर्ष अथवा अन्य विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सहकारी सोसाइटी तथा सहकारी सोसाइटियों के किसी वर्ग द्वारा भुगतान योग्य पूर्ण अथवा फीसों के किसी एक भाग को माफ कर सकता है ।

## अध्याय XIV

## विवादों का निपटान

81. **विवादों का संदर्भ [धारा 131 (2)(xix)]** :–जब धारा 102 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट विवाद से सम्बन्धित पक्षकार विवाद का अवधारण उक्त धारा के अनुसार करवाना चाहता है, तो पक्षकार विवाद का सारांश, दूसरे पक्षकार का नाम तथा पतों का उल्लेख करते हुये रजिस्ट्रार को लिखित रूप में आवेदन करेगा।

82. **माध्यस्थम फीस [धारा 131 (2) (xix)]** 1) रजिस्ट्रार को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह धारा 102 की उपधारा (1) के अधीन विवाद दायर करने वाले व्यक्ति से मांग कर सकता है कि वह विवाद के निर्णय के लिये रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, पेशगी के रूप में जमा करवाये ।

    2) रजिस्ट्रार ऐसे मामलों में, जिसमें वह उचित समझे, फीस का भुगतान मध्यस्थ को करने के आदेश दे सकता है ।

    3) मध्यस्थ को तब तक कोई फीस भुगतान योग्य नहीं होगी जब तक कि उसको निर्दिष्ट विवाद का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता ।

4) रजिस्ट्रार अपने विवेक से, उप–नियम (1) के अधीन एकत्र की गई सारी अथवा, फीसों के किसी भाग को माफ कर सकता है ।

83. **सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की संसूचना [धारा 131 (2)(xxix)]** :– माध्यस्थम की कार्यवाही में, रजिस्ट्रार अथवा मध्यस्थ, जैसी भी स्थिति हो, सभी सम्बद्ध पक्षकारों को विवाद की सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की संसूचना देगा ।

84. **अव्यस्कों आदि के लिए अभिभावक नियुक्त करने की शक्ति [धारा 131 (2)(xix)]** :– रजिस्ट्रार अथवा मध्यस्थ, जैसी भी स्थिति हो, को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह विवाद से सम्बन्धित ऐसे पक्षकार के लिए, जो अव्यस्क है अथवा जो विकृत चित अथवा मानसिक कमजोरी के कारणों से अपने हित की रक्षा करने के लिये असमर्थ है, अभिभावक को नियुक्त कर सकता है अथवा हटा सकता है ।

85. **विवादों की सुनवाई [धारा 131 (2)(xix)]** :–रजिस्ट्रार अथवा मध्यस्थ, जैसी भी स्थिति हो, पक्षकारों, उनके विधि प्रतिनिधियों की तथा उपस्थित साक्षियों की सुनवाई करेगा । ऐसे साक्ष्यों के आधार पर और किसी दस्तावेजी साक्ष्य, जो किसी भी पक्षकार द्वारा पेश किया गया हो, पर विचार करने के पश्चात् वह न्याय, समानता और सद्भावना के अनुसार पंचाट देगा । पक्षकारों के सम्बन्ध में घोषित पंचाट को लेखाबद्ध किया जायेगा । और रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज किया जायेगा । किसी भी पक्षकार की स्वेच्छा से अनुपस्थिति में, जिसे उपस्थित होने के लिए सम्यक् रूप से समन भेजा गया हो, विवाद का निर्णय एक तरफा किया जा सकता है ।

86. **पंचाट तैयार करने के लिये समय–सीमा [धारा 131 (2)(xi)]** :– मध्यस्थ अथवा रजिस्ट्रार, मुकद्दमा दायर करने के पश्चात् छह् मास के भीतर अथवा ऐसे बढ़ाये हुए समय के भीतर जिसे अगला उच्चतर प्राधिकारी अनुज्ञात करें, अपना पंचाट देगा ।

87. **मध्यस्थता का खर्चा [धारा 131 (2)(xix)]** :– मध्यस्थ अथवा रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, को शक्ति प्राप्त होगी कि वह विवाद का निर्णय करने में खर्चे अथवा किसी भी पक्षकार का खर्च विवाद के ऐसे पक्षकार अथवा पक्षकारों द्वारा वहन किये जाने के आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

88. **मध्यस्थता के अभिलेख का अनुसरण [धारा 131 (2) (xix)]** :– 1) मध्यस्थता कार्यवाहियों का अभिलेख ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति में रखा जायेगा जैसा कि रजिस्ट्रार निर्देश करें ।

2) पंचाट की एक प्रति आवेदन देने पर प्रतियां प्राप्त करने के लिये विहित फीसों के भुगतान पर रजिस्ट्रार द्वारा पक्षकार को दी जायेगी ।

## अध्याय XV

## सहकारी सोसाइटियों की समाप्ति

89. **परिसमापकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियायें [धारा 131 (2)(xxvii)]** :– 1) ज्योंही सहकारी सोसाइटी की समाप्ति के आदेश प्रभावी होते है परिसमापक ऐसे साधनों द्वारा जिसे उचित समझे, सहकारी सोसाइटी जिसकी समाप्ति के आदेश दिये गये है, के विरूद्ध सभी दावों की मांग वाला एक नोटिस प्रकाशित करेगा जो सहकारी सोसाइटी को नोटिस के प्रकाशन के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा । सहकारी सोसाइटी की लेखा पुस्तकों में अभिलिखित सभी दायित्व इस उप–नियम के अधीन इसी तथ्य से उसे सम्यक् रूप से प्रस्तुत की गई समझी जायेगी ।

2) सहकारी सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों जो, उस तिथि को विद्यमान हों, जिसकों सोसाइटी की समाप्ति के आदेश दिये जाते हैं, का निपटान करने के पश्चात् परिसमापक इसके बाद धारा 107 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन इसके प्रत्येक सदस्य, भूतपूर्व सदस्य द्वारा अथवा मृतक सदस्यों के नाम निर्देशतियों, उत्तराधिकारियों अथवा विधिक प्रतिनिधियों की सम्पदाओं द्वारा अथवा सोसाइटी की आस्तियों को किसी अधिकारी (अधिकारियों) अथवा किसी भूतपूर्व अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा किये जाने वाले अभिदान को निश्चित् करेगा । यदि आवश्यकता पड़ती है, वह ऐसे अंशदार के सम्बन्ध में पूरक आदेश करेगा और ऐसे आदेश उसी रीति में लागू होंगे जिसमें वास्तविक आदेश लागू होगा ।

3) परिसमापक किसी भी समय, सदस्यों अथवा लेनदारों की एक बैठक अथवा सदस्यों और लेनदारों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और ऐसी बैठक ऐसे समय और स्थान पर ऐसी रीति में बुलाई, आयोजित और संचालित की जायेगी, जिसे परिसमापक ठीक समझे ।

90. **रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन अथवा परिसमापक के आदेश [धारा 131 (2)(xxvii)]** :– धारा 107 की उप–धारा (2) खण्ड (ख) के अधीन परिसमापक द्वारा पारित किया गया आदेश उस द्वारा अनुमोदन हेतु रजिस्ट्रार को भेजा जायेगा । **रजिस्ट्रार कारण अभिलिखित करने के बाद ऐसे आदेा को उपान्तरित कर सकता है** अथवा आगामी जांच अथवा कार्यवाही के लिये परिसमापक को वापस भेज सकता है ।

91. **परिसमापक द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना [धारा 131 (2)(xxvii)]** :– परिसमापक सहकारी सोसाइटी के परिसमापन में की गई प्रगति को दर्शाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा जिसे रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे ।

92. **परिसमापक द्वारा निधियां जमा करवाना [धारा 131 (2)(xxvii)]** :– परिसमापक के भारसाधन में सभी निधियां ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति के पास जमा करवाई जायेंगी, जिन्हें रजिस्ट्रार अनुमोदित करें ।

93. **परिसमापक द्वारा उपगत खर्च [धारा 31(2)(xxvii)]** :– सहकारी सोसाइटी की समाप्ति के सम्बन्ध में किये गये सभी खर्च रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन रहते हुऐ होंगे।

94. **आस्तियों का वितरण [धारा 131 (2)(xxvii)]** :– परिसमापक **दावेदारों में** प्राप्त आस्तियों का वितरण ऐसी रीति में और ऐसी प्राथमिकता से करेगा, जैसा कि रजिस्ट्रार निर्देश करे ।

95. **परिसमापकों को पारिश्रमिक [धारा 131 (2) (xxvii)]** :– धारा 106 की उप–धारा (1) के अधीन नियत किये गये पारिश्रमिक को परिसमापक के खर्च में शामिल किया जायेगा जो सहकारी सोसायटी की आस्तियों में से भुगतान योग्य होगा । इसे अन्य सभी दावों से प्राथमिकता दी जायेगी ।

96. **अधिशेष आस्तियों का निपटान [धारा 131 (2)(xxvii)]** :– सहकारी सोसाइटी के दायित्वों का उन्मोचन करने और अंश पूंजी के पुनः भुगतान के पश्चात् परिसमापक निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए अधिशेष आस्तियां, यदि कोई हों, का उपयोग कर सकता है :–

क) सहकारी बैंक में राशि जमा करना, जब तक कार्य के समान क्षेत्र वाली कोई नई सहकारी सोसाइटी पंजीकृत नहीं हो जाती, जब यह नई सहकारी सोसाइटी की आरक्षण निधि में जमा करवाई जायेगी ।

ख) रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए सहकारी आन्दोलन के विकास से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए ;

ग) सदस्यों की भावनाओं को यथोचित मान देते हुए चुनिंदा और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य के लिए ।

97. **उन दावेदारों को देय देयता जिनके ठोर ठिकाने का पता नहीं [धारा 131 (2)(xxvii)] :-** यदि किसी देयता का निपटान दावेदारों के ठोर ठिकानों का पता न होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से परिसमापक द्वारा नहीं किया जा सकता है तो ऐसे निपटान न की गई देयता के अन्तर्गत आई राशि उस क्षेत्र के केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा करवा दी जायगी जिस के अधिकार क्षेत्र में सहकारी सोसाइटी काम कर रही थी और तीन वर्ष की अवधि के लिए दावेदारों के नियन्त्रणधीन रहेगी । इसके बाद न निकलवाई गई राशि, यदि कोई हो, सहकारी शिक्षा में जमा करने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ को अंतरित कर दी जायेगी ।

98. **परिसमापक को हटाना [धारा 131 (1)]** :– परिसमापक को रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर वह परिसमापन के अधीन सोसाइटी से सम्बन्धित समस्त सम्पत्ति तथा दस्तावेज ऐसे व्यक्तियों को सौंप देगा जैसा कि रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करें ।

99. **परिसमापक द्वारा लेखों का अनुरक्षण [धारा 131(2)(xxvii)]** :– परिसमापक ऐसी पुस्तकें और लेखे रखेगा जो रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर अधिकथित किये जायें । रजिस्ट्रार किसी भी समय ऐसे पुस्तकों तथा लेखों की लेखा परीक्षा करवा सकता है ।

100. **परिसमापक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट [धारा 131 (2)(xxvii)]** :– परिसमापक, सोसाइटी की देयताओं को पूरा करने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में अन्तिम रिपोर्ट भेजेगा जो समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये ।

101. **अभिलेख का निपटान [धारा 131 (2)(xxvii)]** :– किसी सहकारी सोसाइटी जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, की सभी पुस्तके तथा अभिलेख रद्दकरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रार के आदेशों के अधीन न्यायालय में सम्बन्धित लम्बित मामले के सिवाय, नष्ट किया जा सकता है।

## अध्याय XVI

## पंचाटों, डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन

102. **प्रभार लागू करना [धारा 52 और धारा 131 (1) ]** :– अधिनियम या इन नियमों से सम्बन्धित वसूली की किसी अन्य पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या इस सम्बन्ध में उस द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य अधीनस्थ व्यक्ति, सहकारी सोसाइटी के आवेदन पर सोसाइटी के किसी वर्तमान या भूपपूर्व सदस्य अथवा मृतक सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय किसी ऋण अथवा किसी बकाया राशि अथवा उस पर किसी ब्याज के भुगतान के लिए सम्पत्ति की बिक्री द्वारा निर्देश दे सकता है, जो धारा 52 या धारा 53 के अधीन प्रभार के अधीन रहते हुए होगा :

परन्तु इस नियम के अधीन तब तक कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या नामनिर्देशिती उत्तराधिकारी या मृत–सदस्य के विधिक प्रतिनिधि को नियम 105 में दी गई रीति में नोटिस न दिया गया हो ।

2) सम्पत्ति की बिक्री या उप नियम (1) के अधीन उस पर ब्याज लगाने की प्रक्रिया वहीं होगी जो नियम 104 में अधिकथित की गई है ।

103. **नोटिस की रीति तथा तामील** :– नियम 102 के अधीन दिये जाने वाले नोटिस में सहकारी सोसाइटी को देय मांग या ऋण का सारांश बताया जायेगा और यह समन की तामील के लिए अधिकथित की गई रीति में दिया जायेगा । नियम 102 के अधीन, तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि नोटिस की तामील की तिथि से तीन दिन की अवधि पूरी न हो जाये ।

104. **पंचाट आदि के निष्पादन में प्रक्रिया** :– 1) धारा 110 के खण्ड (ख) में उपबन्ध लागू किये जाने का इच्छुक कोई भी डिक्रीधारी वसूली अधिकारी को आवेदन करेगा, जिस की अधिकारिता में व्यतिक्रमी रहता है अथवा कारबार करता है अथवा व्यतिक्रमी की सम्पत्ति स्थित है ।

2) ऐसा प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जायेगा और वह डिक्रीधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा । डिक्रीधारक यह उपदर्शित कर सकता है कि वह डिक्रीधारक को प्रभावित अथवा बन्धकित अथवा अन्य चल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है या चल सम्पत्ति की कुर्की प्राप्त करना चाहता है ।

3) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर वसूली अधिकारी, रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों, यदि कोई हों, के साथ आवेदन में दिये गये ब्यौरों के सहीपन और यथार्थता को सत्यापित करेगा तथा रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में दो प्रतियों में लिखित मांग नोटिस तैयार करेगा, जिस में व्यतिक्रमी का नाम तथा पता और देय राशि लिखेगा और इसे बिक्री अधिकारी को भेज देगा ।

4) जब तक कि डिक्री धारक ने किसी विशेष क्रम में कार्यवाही किये जाने की इच्छा व्यक्त न की हो, जैसा कि उपनियम (2) में अधिकथित किया गया है कार्यान्वयन साधारणतः निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा :–

(i) सब से पहले व्यतिक्रमी की चल सम्पत्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, किन्तु ऐसी अचल सम्पत्ति, जिस के विरुद्ध आवश्यकता की स्थिति में साथ–साथ कानूनी कार्यवाही की जा रही है, प्रभारित नहीं की जायेगी ।

(ii) यदि कोई चल सम्पत्ति नहीं है, या यदि कुर्क और बेची गई चल सम्पत्ति या सम्पत्तियों के विक्रय, आगम, बिक्री धारक की पूरी मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो डिक्रीधारक को प्रभावित अथवा बन्धकित अचल सम्पत्ति या व्यतिक्रमी से सम्बन्धित अन्य अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

5) चल सम्पत्ति अभिगृहीत करने और उसकी बिक्री हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

क) बिक्री अधिकारी, डिक्री धारक तथा व्यतिक्रमी को पूर्व नोटिस देने के पश्चात् उस गांव या परिक्षेत्र में जायेगा जहां व्यतिक्रमी रहता है अथवा जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति स्थित है और व्यतिक्रमी को मांग नोटिस देगा, यदि वह उपस्थित है । यदि खर्चों सहित देय राशि का तत्काल, भुगतान नहीं किया जाता तो बिक्री अधिकारी कुर्की का परवाना तैयार करेगा, और व्यतिक्रमी को कुर्क सम्पत्ति की सूची या तालिका तुरन्त भेजेगा और उस स्थान और दिन तथा समय की सूचना देगा जब उसके द्वारा देय राशि भुगतान अदा न करने पर कुर्क सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी । यदि व्यतिक्रमी व्यक्ति अनुपस्थित है, तो बिक्री अधिकारी उस के परिवार के किसी व्यस्क सदस्य या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को मांग नोटिस दे देगा अथवा यदि नोटिस इस प्रकार नहीं दिया जा सकता, तो वह मांग नोटिस की एक प्रति उसके निवास स्थान के किसी सहज – दृश्य स्थान पर चिपका देगा । इसके बाद वह कुर्की का परवाना तैयार करने का कार्य

करेगा और व्यतिक्रमी व्यक्ति के सामान्य निवास स्थान पर कुर्क सम्पत्ति की सूची लगा देगा जिस में इस स्थान का हवाला देगा जहां सम्पत्ति जमा की गई अथवा रखी जा सकती है और बिक्री का स्थान, दिन और समय भी बतायेगा ।

ख) कुर्की हो चुकने के पश्चात् बिक्री अधिकारी कुर्क सम्पत्ति की अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा । यदि बिक्री अधिकारी अपेक्षा करता है कि डिक्री धारक सम्पत्ति की अभिरक्षा करें तो वह ऐसा करने के लिए अवद्ध होगा और उसकी लापरवाही के कारण होने वाली किसी प्रकार की हानि डिक्री धारक द्वारा पूरी की जायेगी । यदि कुर्क सम्पत्ति पशुधन है तो डिक्री धारक उस के लिए आवश्यक भोजन की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा । बिक्री अधिकारी व्यतिक्रमी या दावा करने वाले तथा हितबद्ध किसी व्यक्ति के अनुरोध पर उसे गांव या स्थान पर छोड़ सकता है जहां यह सम्पत्ति ऐसे व्यतिक्रमी अथवा व्यक्ति के भारसाधन में कुर्क की गई थी, यदि वह मांग किये जाने पर ऐसी सम्पत्ति को प्रस्तुत करने के लिए एक या अधिक प्रयप्ति प्रतिभूतियों सहित रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में बन्धपत्र देता है ।

ग) यह कुर्की सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले की जायेगी तथा किसी अन्य समय में नहीं की जायेगी ।

घ) कुर्की से उगाही जाने वाली राशि, व्यतिक्रमी द्वारा ब्याज सहित देय राशि, और कुर्की, निरोध तथा बिक्री सम्बन्धी सभी आनुषंगी खर्चों के यथासंभव अनुपात से अधिक नहीं होंगी ।

ड़) यदि व्यतिक्रमी से सम्बन्धित भूमि की फसलों या इकट्ठे न किये गये उत्पादों की कुर्की की जाती है, तो बिक्री अधिकारी, बेच सकता है, कटाई अथवा इकट्ठा करने के लिए उचित समय पर उसे अथवा अपनी इच्छा से मौसम के अनुसार उसकी कटाई करवा सकता है और उसे इकट्ठा करवा कर बेचे जाने तक उचित स्थान में उसका भण्डार करवा सकता है । बाद वाली स्थिति में ऐसी फसलों की कटाई अथवा उत्पादों को इकट्ठा करने और उन्हें भण्डार करने सम्बन्धी खर्चे व्यतिक्रमी से या तो उस द्वारा अपनी सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए अदा की गई राशि से अथवा उसे बेचे जाने की स्थिति में उसके विक्रय आगमों से पूरे किये जायेंगे ।

च) बिक्री अधिकारी, बैलों या पशुओं से काम नहीं लेगा या कुर्क माल या चीज–वस्तु का उपभोग में नहीं लायेगा और वह पशुओं या पशुधन के लिए आवश्यक भोजन की व्यवस्था करेगा । उन पर आने वाला खर्च व्यतिक्रमी द्वारा या तो उनके द्वारा अपनी सम्पत्ति को छुड़ाने के लिये चुकाई गई राशि से अथवा उसे बेचे जाने की स्थिति में उसके विक्रय आगमों से पूरा किया जायेगा ।

छ) बिक्री अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अस्तबल, गौशाला, अन्नभंडार, गोदाम, बाहरी मकान या अन्य भवन को बलपूर्वक खोल सकता है और वह किसी भी आवास गृह में प्रवेश कर सकता है, जिसका बाहरी द्वारा खुला हो और वह व्यतिक्रमी से सम्बन्धित सम्पत्ति और जहां व्यतिक्रमी रहता है, को कुर्क करने के लिये ऐसे आवास गृह के किसी भी दरवाजे को तोड़ सकता है या किसी भी कमरे को खोल सकता है, किन्तु अधिकारी के लिये यह किसी भी स्थिति में विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह इस के बाद उपबन्धित को छोड़ कर निवास गृह के कक्ष में ऐसे जनाना या महिला के लिये उचित आवास स्थान को खोले या उसमें प्रवेश करे ।

ज) जहां बिक्री अधिकारी के पास यह मानने का कारण कि व्यतिक्रमी की सम्पत्ति, उस आवास गृह

में है, जिस का बाहरी दरवाजा बन्द हो सकता है या महिलाओं से सम्बद्ध किसी भाग में है, जिसको रूढि या प्रथा के अनुसार प्राइवेट समझा जाता है, तो बिक्री अधिकारी तत्वों की सूचना समीपस्थ पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को देगा । ऐसे प्रतिवेदन पर उक्त स्टेशन का भारसाधक अधिकारी उस स्थल पर पुलिस अधिकारी को भेजेगा जिस की उपस्थिति में बिक्री अधिकारी ऐसे आवास गृह के बाहरी दरवाजे को बलपूर्वक खोल सकता है और इसी रीति में जनाना के सिवाय घर के किसी भी कमरे के दरवाजे को तोड़ कर खोल़ सकता है । बिक्री अधिकारी, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, जनाना में से महिलाओं को हटाने के लिये सम्यक नोटिस देने के बाद और उन्हें उपयुक्त रीति में हटाने के साधन जुटाने के बाद, यदि वे इस किस्म की महिलाएं हैं, जो रूढ़ि या प्रथा के अनुसार लोगों के सामने नहीं आ सकती, व्यतिक्रमी की सम्पत्ति यदि वहां पर कोई जमा की हुई है, कुर्क करने के प्रयोजनार्थ जनाना में प्रवेश कर सकता है, परन्तु ऐसी सम्पत्ति, यदि पाई जाती है, ऐसे कमरे से तुरन्त हटा ली जायेगी, इसके बाद वह कमरा पूर्ववर्ती अधिभोगियों के लिये खुला छोड़ दिया जायेगा ।

झ) बिक्री अधिकारी, बिक्री करने से एक दिन पहले और उसी दिन उस गांव या परिक्षेत्र में जहां व्यतिक्रमी रहता है और ऐसे अन्य स्थानों में भी जहां अधिकारी बिक्री के प्रचार हेतु आवश्यक समझे, डोंडी पीट कर आशयित बिक्री के समय और स्थान की घोषणा करवायेगा । उस तिथि से पंद्रह दिन की अवधि समाप्त होने तक जब खण्ड (क) में विहित रीति में बिक्री का नोटिस दिया गया अथवा चिपकाया गया, कोई बिक्री नहीं की जायेगी, परन्तु जहां भिगृहीत सम्पत्ति शीघ्र तथा कुदरती तौर पर खराब होने वाली है, या जहां इसे अभिरक्षा में रखने में होने वाला खर्च इसके मूल्य से बढ़ जाने की सम्भावना है, वहां बिक्री अधिकारी पंद्रह दिन की उक्त अवधि से पहले किसी भी समय इसे बेच सकता है, जब तक कि देय राशि का तुरन्त भुगतान नहीं कर दिया जाता ।

ञ) नियम समय, सम्पत्ति को एक या अधिक भागों में रख दिया जायेगा, जैसा कि बिक्री अधिकारी उपयुक्त समझे और उसे सब से अधिक बोली देने वाले को बेच देगा :

परन्तु बिक्री अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली स्वीकार करने से इन्कार कर दे जहां दिया जाने वाला मूल्य अत्याधिक कम हो अथवा इसके कोई अन्य कारण हों । जहां सम्पत्ति को देय राशि से अधिक मूल्य में बेचा जाता है, वहां वह अधिक राशि ब्याज और प्रक्रिया के खर्च और प्रभार काटने के बाद व्यतिक्रमी को दे दी जायेगी :

परन्तु यह और कि वसूली अधिकारी या बिक्री अधिकारी अपने विवेक से ऐसे स्थगन के कारण अभिलिखित करते हुए विनिर्दिष्ट दिन तथा समय तक बिक्री स्थगित कर सकता है । जहां बिक्री का इस प्रकार स्थगन सात दिन से अधिक अवधि के लिये किया जाता है, वहां खण्ड (i) के अधीन एक नई उद्घोषणा की जायेगी, जब तक कि व्यतिक्रमी को ऐसा करने की सहमति न हो ।

ट) उसके बाद ज्योंहि बिक्री अधिकारी की नियुक्ति की जाती है सम्पत्ति का भुगतान बिक्री के समय नकद राशि में किया जायेगा । और खरीददार को तब तक सम्पत्ति का कोई भाग ले जाने नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह उस के लिये पूरा भुगतान नहीं कर देता । जहां खरीददार, क्रयधन का भुगतान नहीं कर पाता, सम्पत्ति को पुनः बेच दिया जायेगा ।

ठ) जहां सक्षम अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसी कोई सम्पत्ति जो इन नियमों के अधीन कुर्क की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अथवा गुप्त रूप से हटा ली गई है, वहां न्यायालय ऐसी सम्पत्ति को बिक्री अधिकारी के पास जमा करने के तुरन्त आदेश दे सकता है ।

ड) जहां बिक्री के लिये नियत दिन से पहले, व्यतिक्रमी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा कुर्क सम्पत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, देय समूची राशि अदा कर देता है, जिसमें ब्याज और सम्पत्ति को कुर्क करने पर आने वाला अन्य खर्च भी शामिल है, तो बिक्री अधिकारी कुर्की आदेश रद्द कर देगा और सम्पत्ति को तुरन्त मुक्त कर देगा ।

ढ़) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5), की धारा 60 के परन्तुक में कुर्की से छूट प्राप्त तथा वर्णित चल सम्पत्तियां इन नियमों के अधीन कुर्की अथवा बिक्री के लिये दायी नहीं होंगी ।

6) जहां कुर्क की जाने वाली चल सम्पत्ति किसी सरकारी अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण अथवा फर्म या कम्पनी या किसी अन्य संस्था के कर्मचारी का वेतन या भत्ता अथवा मजदूरी हो, वसूली अधिकारी, बिक्री अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह आदेश दे सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के उपबन्धों के अधीन राशि, ऐसे वेतन या भत्तों अथवा मजदूरी में से या तो पूरी एक भुगतान में अथवा मासिक किस्तों में जैसा कि उक्त वसूली अधिकारी निर्देश दे, काट ली जायेगी और आदेश के नोटिस पर अधिकारी या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति, जिस का कर्तव्य ऐसा वेतन या भत्ते अथवा, मजदूरी वितरित करना है, रोक लेगा और आदेश के अधीन देय राशि अथवा मासिक किस्त, जैसे भी स्थिति हो, बिक्री अधिकारी को भेज देगा ।

7. i) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति सहस्वामियों के रूप में व्यतिक्रमी और अन्य व्यक्ति की चल सम्पत्ति उनके अंश या हित से मिल कर बनी हों, वहां कुर्की व्यतिक्रमी को नोटिस द्वारा, उसे अंश या हित अन्तरित करने से या उसे किसी रूप में प्रभावित करने से मना करते हुये, की जायेगी।

ii) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति, परक्राम्य लिखित है, जो न तो न्यायालय में जमा करवाई गई और न ही सरकारी अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसकी कुर्की वास्तविक कब्जाधारी द्वारा की जायेगी और लिखित कुर्की का आदेश दे कर वसूली अधिकारी के पास जमा करवाया जायेगा और उसके आगामी आदेशों तक उसे रखा जायेगा ।

iii) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या सरकारी अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी को नोटिस दे कर इस अनुरोध से की जायेगी कि ऐसी सम्पत्ति और उस पर भुगतान योग्य कोई ब्याज या लाभांश नोटिस जारी करने वसूली अधिकारी के आगामी आदेशों के अधीन रहते हुए, रख ली जाएगीः

परन्तु जहां ऐसी सम्पत्ति, किसी न्यायालय या किसी अन्य जिले के वसूली अधिकारी की अभिरक्षा में है , वहां डिक्री–धारक और किसी अन्य व्यक्ति, जो व्यतिक्रमी नहीं है जो किसी समनुदेशन द्वारा ऐसी सम्पत्ति में हित रखता है, के बीच हक अथवा प्राथमिकता का कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर कुर्की या अन्यथा ऐसे न्यायालय या वसूली अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित की जायेगी ।

8. i) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति या तो राशि के भुगतान के लिये या बन्धक अथवा प्रभार के प्रवर्तन में बिक्री के लिये डिक्री है, वहां कुर्की रजिस्ट्रार के आदेश से की जायेगी, यदि कुर्क की जाने वाली बिक्री धारा 103 के अधीन रजिस्ट्रार अथवा किसी मध्यस्थ द्वारा पारित की गई थी।

ii) जहां कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति उप–नियम (i) में निर्दिष्ट स्वरूप की डिक्री है, तो कुर्की वसूली अधिकारी द्वारा ऐसी डिक्री के धारक को किसी प्रकार के अन्तरण अथवा प्रभार को रोकते हुये नोटिस जारी कर के की जायेगी ।

iii) उप नियम (ii) के अधीन कुर्क डिक्री का धारक के निष्पादन करने वाले वसूली अधिकारी को आवश्यकता अनुसार सूचना और सहायता देगा ।

vi) कुर्क किये जाने के लिए चाही गई डिक्री का धारक आवेदन पर, कुर्की का आदेश देते हुये वसूली अधिकारी कुर्क डिक्री द्वारा आबद्ध निर्णीत ऋणी को ऐसे आदेश का नोटिस देगा, और वसूली अधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे नोटिस के प्राप्त होने के पश्चात् ऐसे आदेश के उल्लंघन में निर्णीत ऋणी द्वारा की गई कुर्क डिक्री के किसी भुगतान या समायोजन को मान्यता नहीं दी जायेगी, जब तक कि कुर्की लागू रहती है ।

9. जहां कुर्क की जाने वाली चल सम्पत्ति :–

क) प्रश्नगत व्यतिक्रमी द्वारा देय ऋण है; या

ख) निगम की पूंजी में अंश अथवा उस में निविष्ट की गई जमा राशि है; या

ग) अन्य चल सम्पत्ति है जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाय उस सम्पति के, जो किसी सिविल न्यायालय में जमा अथवा उसकी अभिरक्षा में है, की कुर्की वसूली अधिकारी द्वारा निम्नलिखित का निषेध करते हुए हस्ताक्षरित लिखित आदेश से की जायेगी :–

i) ऋण की दशा में, लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका भुगतान करने से ;

ii) अंश या जमा राशि की दशा में उस व्यक्ति को, जिसके नाम पर अंश निक्षेप जमा है, अंश अथवा जमा राशि अन्तरित करने से या उस पर किसी लाभांश अथवा ब्याज प्राप्त करने से, और

iii) उक्त के सिवाय अन्य किसी चल सम्पत्ति की दशा में उस व्यक्ति को जिसके कब्जें मे यह है, सम्पत्ति व्यतिक्रमी को देने से :–

ऋण की दशा में ऐसे आदेश की एक प्रति ऋणी को भेजी जायेगी, अंश या जमा निवेश की दशा में निगम के उपयुक्त अधिकारी को और यथोक्त के सिवाय अन्य किसी चल सम्पत्ति की दशा में उस व्यक्ति को जिस के कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है । ज्योंहि खण्ड (क) में निर्दिष्ट ऋण का खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निक्षेप की अवधि पूरी हो जाये, वसूली अधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को राशि के भुगतान का निर्देश दे सकता है । जहां अंश प्रत्याहरणीय नहीं है, वहां उक्त वसूली अधिकारी दलाल के माध्यम से इसकी बिक्री की व्यवस्था करेगा । जहां अंश प्रत्याहरणीय है, वहां इसका मूल्य उक्त वसूली अधिकारी को या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट पक्षकार को भुगतान किया जायेगा, सम्बद्ध व्यक्ति, इसे उक्त वसूली अधिकारी को सौंपेगा, जैसा कि यह व्यतिक्रमी को परिदेय बन जाता है ।

10. अचल सम्पति को डिक्री के निष्पादन में तब तक नहीं बेचा जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पति को पहले ही कुर्क न कर दिया गया हो :

परन्तु जहां डिक्री, ऐसी सम्पति के बंधक के आधार पर प्राप्त की गई है, वहां उसे कुर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

11. कुर्की में और अचल सम्पत्ति की कुर्की के बिना बिक्री में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

क) उप–नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन में उस अचल सम्पत्ति जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जानी है, का विवरण, जो उस की पहचान के लिए पर्याप्त होगा, यदि ऐसी सम्पत्ति की पहचान सीमाओं, बन्दोबस्त अथवा सर्वेक्षण के अभिलेख में दी गई सीमाओं या संख्याओं द्वारा की जा सकती है तो डिक्री धारक के सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार ऐसी सीमाओं या संस्थाओं की विशिष्ट और व्यतिक्रमी के अंश की विशिष्ट और ऐसी सम्पत्ति का ब्याज जहां तक वह उसे सुनिश्चित कर सका है, दिया जायेगा ।

ख) उप–नियम (3) के अधीन वसूली अधिकारी द्वारा जारी मांग नोटिस में व्यतिक्रम का नाम, देय राशि, जिसमें खर्चे यदि कोई हैं शामिल हैं, भुगतान के लिये दिया गया समय होगा और भुगतान न किये जाने की दशा में कुर्क की जाने वाली और बेची गई या कुर्की के बिना बेची जाने वाली, जैसी भी स्थिति हो, सम्पतियों का ब्यौरा दिया जायेगा । मांग नोटिस प्राप्त होने के बाद बिक्री अधिकारी, मांग नोटिस की एक प्रति व्यतिक्रमी को या उसके स्थाई निवास–स्थान पर उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को देगा या दिलवायेगा, या यदि ऐसी निजी तामील सम्भव नहीं है तो कुर्की की आने वाली और बेची गई अथवा कुर्की के बिना बेची जाने वाली, जैसी भी स्थिति हो, अचल सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर उसकी एक प्रति चिपकायेगा ।

परन्तु जहां वसूली अधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि व्यतिक्रमी, अपने विरुद्ध निष्पादन कार्यवाही में देरी करने या उसे निष्फल बनाने के आशय से अपनी समूची सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग को बेचने वाला है, तो वहां उप–नियम (3) के अधीन वसूली अधिकारी द्वारा जारी किये गये मांग नोटिस के अनुसार व्यतिक्रमी को उसके द्वारा देय राशि के भुगतान के लिये उसे कोई समय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और व्यतिक्रमी की सम्पत्ति तुरन्त कुर्क कर दी जायेगी ।

ग) यदि व्यतिक्रमी अनुज्ञात समय के अन्दर, मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो बिक्री अधिकारी, आवेदन में निष्पादन के लिये उल्लिखित अचल सम्पत्ति को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रीति में कुर्क कर देगा और बिक्री या कुर्की के बिना बिक्री कर देगा ।

घ) यहां बिक्री से पहले कुर्की अपेक्षित है, वहां बिक्री अधिकारी, यदि सम्भव हो तो व्यक्तिगत रूप से व्यतिक्रमी को कुर्की का नोटिस देगा । जहां व्यक्तिगत सम्भव न हो, वहां नोटिस व्यतिक्रम के अन्तिम जानकारी वाले निवास स्थान, यदि कोई हो, के किसी सहजदृश्य भाग में चिपका दिया जायेगा । कुर्की के तथ्य की उद्घोषणा डौंडी पिटवा कर या ऐसी सम्पत्ति के आस–पास के किसी स्थान और किसी अन्य स्थान या स्थानों पर उद्घोषणा किसी अन्य रुढ़िक ढंग से की जायेंगी जैसा कि वसूली अधिकारी, बिक्री के लिये सम्यक, प्रचार हेतु आवश्यक समझे । कुर्की के नोटिस में वह बताया जायेगा कि जब तक ब्याज और खर्चे सहित देय राशि का भुगतान उसमें उल्लिखित तिथि के भीतर नहीं कर दिया जाता, सम्पत्ति बेच दी जायेगी । एक प्रति बिक्री धारक को भेज दी जायेगी । जहां डिक्री अधिकारी ऐसा निवेश देता है वहां कुर्की राजपत्र में सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा अधिसूचित की जायेगी ।

ड़) बिक्री की उद्घोषणा का प्रचार बिक्री के लिये नियत तिथि से कम से कम तीन दिन पहले वसूली अधिकारी के कार्यालय और तहसील कार्यालय में नोटिस लगा कर किया जायेगा और बिक्री की तिथि

से पहले लगातार दो दिनों तक और बिक्री बाले दिन बिक्री शुरु करने से पहले उस गांव या बस्ती में डौंडी पिटवा कर उद्‌घोषणा की जायेगी । जहां कुर्की, बिक्री से पहले अपेक्षित है, ऐसी उद्‌घोषणा कुर्की होने के बाद की जायेगी । डिक्री धारक और व्यतिक्रमी को इस का नोटिस भी दिया जायेगा । उद्‌घोषणा में बिक्री का समय और स्थान बताया जायेगा और उसमें यथा सम्भव पूर्णतया और सही तौर पर निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

i) बेची जाने वाली सम्पत्ति ;

ii) ऐसा कोई भार, जिसके लिये सम्पत्ति दायी हो ;

iii) वसूली की गई राशि, जिसके लिये बिक्री का आदेश किया गया है ; और

iv) कोई अन्य मामला, जिसे बिक्री अधिकारी, सम्पत्ति के स्वरूप और मूल्य का अनुमान लगाने के लिये खरीददार के लिये तत्विक समझे ।

च) जहां कोई अचल सम्पत्ति, इन नियमों के अधीन बेची जाती है, वहां बिक्री सम्पत्ति के पूर्ववर्ती, भारों, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगी । यदि वसूली की राशि जिसके लिये बिक्री की गई है, 100 रुपये से बढ़ जाती है, तो बिक्री–धारक उस समय के अन्दर जो बिक्री, अधिकारी या वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जाये, बेची जाने वाली सम्पत्ति की कुर्की की तिथि से कम से कम बारह वर्ष पहले तक की अवधि के लिये पंजीकरण विभाग से लिया गया भार प्रमाण–पत्र बिक्री अधिकारी को भेजेगा अथवा उप–नियम (10) के परन्तु क के अधीन आने वाले मामलों में, उक्त प्रमाण–पत्र निष्पादन के लिये दिये गये आवेदन पत्र की तिथि से पहले भेजेगा। भार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के समय को बिक्री अधिकारी या वसूली अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है । बिक्री, सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी, और सब से अधिक बोली देने वाले के नाम होगी, परन्तु बिक्री अधिकारी को वहां यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली को स्वीकार करने से इन्कार कर दे, जहां दिया जाने वाला मूल्य असम्यकरूप से कम हो या इस के कोई अन्य कारण हों परन्तु यह और भी कि वसूली अधिकारी या बिक्री अधिकारी अपनी इच्छा से विनिर्दिष्ट दिन और समय तक बिक्री स्थगित कर सकता है, वह ऐसे स्थगन के कारण अभिलिखित करेगा । जहां बिक्री का इस प्रकार स्थगन सात दिन से अधिक की अवधि के लिये किया जाता है, तो खण्ड (ण) के अधीन एक नई घोषणा की जायेगी जब तक कि निर्णित ऋणी ऐसे निर्णय को छोड़ देने की सहमति नहीं देता । यह बिक्री कम से कम तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् की जायेगी, जिसकी गणना उस तिथि से की जायेगी, जब उद्‌घोषणा का नोटिस वसूली अधिकारी के कार्यालय में चिपकाया गया था । बिक्री का समय और स्थान वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा और बिक्री का स्थान ऐसा गांव या परिक्षेत्र होगा, जहां बेची जाने वाली सम्पत्ति स्थित है अथवा आस–पास का ऐसा प्रमुख सार्वजनिक स्थान होगा, जो उक्त वसूली अधिकारी द्वारा नियत किया जाये :

परन्तु जहां सम्बद्ध अभिलेख के नष्ट हो जाने के कारण भार प्रमाण–पत्र प्राप्य न हों, वहां गांव के पटवारी को ज्ञात भारों सम्बन्धी, शपथ–पत्र, जो पंजीकरण विभाग के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा कि सम्बद्ध अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण भार–प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता, भार प्रमाण–पत्र के स्थान पर स्वीकार कर लिया जायेगा ।

छ) अचल सम्पत्ति के मूल्य के 15 प्रतिशत के समान राशि, खरीद के समय खरीददार द्वारा बिक्री

अधिकारी के पास जमा करवाई जायेगी और इस प्रकार राशि जमा करवाने के व्यतिक्रम में सम्पत्ति की तुरन्त पुनः बिक्री कर दी जायेगी :

परन्तु जहां डिक्रीधारी खरीददार है और खण्ड (ट) के अधीन क्रयधन से मुंजरे का हकदार है, बिक्री अधिकारी इस नियम की अपेक्षाओं को समाप्त कर देगा ।

ज) क्रयधन का बकाया तथा प्रमाण–पत्र के लिये सामान्य स्टाम्प हेतु अपेक्षित राशि, बिक्री की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर भुगतान किया जायेगा :

परन्तु स्टाम्प खर्च के अभुगतान के लिये समय को, उचित या पर्याप्त कारणों से वसूली अधिकारी के विवेक पर, बिक्री की तिथि से तीस दिन तक बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु यह और कि खण्ड के अधीन भुगतान की जाने वाली राशियों की गणना करने में, खरीददार को किसी भी मुजरे का लाभ प्राप्त होगा जिस के लिये वह खण्ड (ट) के अधीन हकदार हो ।

झ) अन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में वर्णित अवधि के भीतर भुगतान के व्यतिक्रम में जमा राशि, बिक्री के खर्चों को चुकाने के पश्चात् यदि वसूली अधिकारी इसे उचित समझता है, समपहत हो जायेगी, और व्यतिक्रमी खरीददार सम्पति के सभी दावों अथवा राशि, जिसके लिये इसे बाद में बेचा जा सकता है, के किसी भी भाग को खो देगा ।

ञ) खण्ड (ज) में वर्णित राशियों का भुगतान ऐसे भुगतान के लिये अनुज्ञापत अवधि के भीतर के व्यतिक्रमों में प्रत्येक अचल सम्पत्ति की पुनः बिक्री, बिक्री के लिये, इससे पहले विहित अवधि और रीति में नई उद्‌घोषणा के जारी करने के पश्चात् की जायेगी ।

ट) जहां डिक्रीधारी सम्पत्ति खरीदता है, वहां क्रयधन और मांग राशि एक दूसरे के प्रति मुजरा की जायेगी, और बिक्री अधिकारी तदानुसार पूर्ण मांग अथवा उसके किसी भाग के समायोजन में दर्ज कर लेगा ।

12. जहां बिक्री के लिये नियत तिथि से पूर्व, व्यतिक्रमी अथवा उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति अथवा बेची जाने वाली सम्पत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति ब्याज सहित पूरी राशि का तथा इसके साथ सम्पत्ति को बेचने में किये गये यात्रा सम्बन्धी खर्चों तथा अन्य खर्चों, जिसमें कुर्की का खर्च, यदि कोई हो, भी शामिल है, का भुगतान कर देता है, बिक्री अधिकारी, जहां सम्पत्ति कुर्क कर ली गई हो वहां कुर्की के आदेश को रद्द करने के पश्चात् सम्पत्ति को तुरन्त उन्मुक्त कर देगा ।

13. i) जहां अचल सम्पत्ति बिक्री अधिकारी द्वारा बेच दी गई हो, वहां कोई व्यक्ति, जो यह तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामित्व अथवा ऐसी बिक्री से पहले अर्जित हक के आधार पर इसमें हित रखता है, वसूली अधिकारी के पास निम्नलिखित राशि जमा करवा कर बिक्री को अपास्त करने के लिये आवेदन कर सकता है :–

क) खरीदार को क्रयधन के पांच प्रतिशत के समान राशि का भुगतान करने के लिये ; और

ख) डिक्रीधारी का भुगतान करने के लिये, बिक्री की उद्‌घोषणा में विनिर्दिष्ट बकायों की राशि, जिसकी वसूली के लिये बिक्री के आदेश दिये गये थे और उस पर ब्याज सहित कुर्की और बिक्री के सम्बन्ध में खर्च, यदि कोई हो और ऐसी राशि के सम्बन्ध में अन्य देय खर्चों में से वह राशि घटा कर जो डिक्रीधारी द्वारा ऐसी उद्‌घोषणा से पहले प्राप्त कर ली गई हो ।

ii) यदि ऐसी राशि बिक्री की तिथि से तीस दिन के भीतर जमा करवा दी जाती है और आवेदन पत्र दिया जाता है तो वसूली अधिकारी बिक्री को रद्द करते हुए एक आदेश पारित करेगा और खरीदार को क्रयधन जो अब तक जमा करवाया गया हो तथा आवेदक द्वारा जमा कराई गई पांच प्रतिशत राशि सहित उसे पुनः भुगतान कर देगा :

परन्तु यदि इस उप–नियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों ने राशि जमा करवाई हो और आवेदन दिया हो, तो बिक्री को अपास्त करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रथम जमाकर्ता के आवेदन को मंजूर किया जायेगा ।

iii) यदि किसी व्यक्ति के अचल सम्पत्ति की बिक्री को अपास्त करने के लिये उप नियम (14) के अधीन आवेदन किया हो, वह इस उप–नियम के अधीन आवेदन देने का हकदार नहीं होगा ।

14. i) अचल सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से तीस दिन के भीतर किसी भी समय, डिक्रीधारी अथवा आस्तियों के आनुपातिक वितरण के अंश का हकदार कोई व्यक्ति अथवा ऐसा कोई व्यक्ति बिक्री द्वारा, जिसके हित प्रभावित होते हों, वसूली अधिकारी को तात्विक अनियमितता या गलतियां इसके प्रचार या संचालन में कपट के आधार पर बिक्री को समाप्त करने के लिये आवेदन दे सकता है :

परन्तु कोई भी बिक्री अनियमितता अथवा कपट के आधार पर तब तक अपास्त नहीं की जायेगी जब तक कि उक्त वसूली अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि आवेदक को ऐसी अनियमितता, गलती अथवा कपट के कारण पर्याप्त क्षति पहुंची है ।

ii) यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उक्त वसूली अधिकारी बिक्री को अपास्त कर देगा और नई बिक्री के लिये नया निर्देश देगा ।

iii) बिक्री की तिथि से तीन दिन की समाप्ति पर यदि बिक्री को अपास्त करने के लिये कोई आवेदन नहीं दिया जाता है, अथवा यदि ऐसा आवेदन दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है, उक्त वसूली अधिकारी, डिक्री को पुष्ट करने के आदेश करेगा :

परन्तु यदि उसके पास यह विचार करने का कारण हो कि बिक्री अपास्त कर दी जानी चाहिये, किसी बात के होते हुये भी कि ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया जाता है या दिये गये आवेदन में, जिसे रद्द कर दिया गया है, अधिकथित आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर वह अपने कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात् बिक्री को अपास्त कर सकता है ।

iv) जब कभी किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि नहीं की जाती है या अपास्त कर दी जाती है, जमा राशि अथवा क्रयधन, जैसी भी स्थिति हो, खरीदार को वापस कर दी जायेगी ।

v) ऐसी किसी बिक्री की पुष्टि के पश्चात्, उक्त वसूली अधिकारी, ऐसे प्ररूप में, जो रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किया जाये, बिक्री का एक प्रमाण–पत्र खरीदार को देगा जिस पर उसकी मुहर तथा हस्ताक्षर होंगे और ऐसे प्रमाण–पत्र में, बेची गई सम्पत्ति का तथा खरीदार के नाम का उल्लेख होगा और यह प्रमाण–पत्र ऐसे सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों में खरीद के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा, जहां इसे सिद्ध करना अनिवार्य हो, और वसूली अधिकारी की मुहर अथवा हस्ताक्षर के प्रमाण की तब तक कोई आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि प्राधिकारी, जिसके समक्ष यह प्रस्तुत किया जाता है, के पास इसकी विशुद्धता के प्रति संदेह के लिये कारण नहीं होंगे ।

15. जहां अचल सम्पत्ति के किसी विधिपूर्ण खरीदार का सम्पत्ति पर सद्भावना से कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति (जो व्यतिक्रमी न हों) के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति खरीदी गई अचल सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने में प्रतिरोध करता है और उसे रोकता है, सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय, आवेदन देने पर और उप–नियम (14) द्वारा उपबन्धित बिक्री का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उसी ढंग से ऐसे खरीदार को कब्जा दिलवाने के प्रयोजनार्थ उचित कार्यवाही करेगा मानों कि न्यायालय के निर्णय द्वारा खरीदार को खरीदी गई अचल सम्पत्ति की डिक्री दे दी गई हो ।

16. बिक्री अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह देय राशि के चुकाने में व्यतिक्रमी की समूची अचल सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग को बेच सकता है :

    परन्तु जहां तक व्यवहार्य है, अचल सम्पत्ति का उस से बड़ा अनुभाग अथवा भाग नहीं बेचा जायेगा, जो कुर्की और बिक्री के ब्याज और खर्चों, यदि कोई हो, से देय राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त हो ।

17. जहां इन नियमों के अधीन कुर्की की गई है, वहां कुर्की के अधीन लागू सभी दावों के विरूद्ध कुर्की की गई सम्पत्ति का अथवा उस पर ब्याज का कोई गैर–सरकारी अन्तरण अथवा परिदान और किसी ऋण, लाभांश अथवा ऐसी कुर्की के प्रतिकूल अन्य राशि का भुगतान व्यतिक्रमी को नहीं किया जायेगा ।

18. व्याख्या–इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ, कुर्की के अधीन लागू दावों में, उप–नियम 24 के अधीन आस्तियों के अनुपातिक वितरण के लिये दावे शामिल होते हैं ।

19. जहां अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री अथवा इस नियम के अधीन कुर्की और बिक्री अथवा कुर्की के बिना बिक्री के सम्बन्ध में हुये खर्च और प्रभार, डिक्रीधारी द्वारा जमा करवाई गई खर्च की राशि से बढ़ जाता है वहां ऐसी अधिक रशि बेची गई सम्पत्ति के विक्रय आगम से अथवा व्यतिक्रमी द्वारा भुगतान की गई राशि से, जैसी भी स्थिति हो, बांट ली जायेगी और शेष राशि डिक्रीधारी को दिलवा दी जायेगी ।

20. वसूली, जिसके लिये आवेदन दिया गया है, के लिए किसी देय धन के सम्बन्ध में भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, बिक्री अधिकारी अथवा इस निमित्त वसूली अधिकारी द्वारा सशक्त अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई राशि की रसीद के लिए हकदार होगा । ऐसी रसीद में भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम और विषय–वस्तु जिस के सम्बन्ध में भुगतान किया गया है, का उल्लेख होगा ।

21. क) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की के लिए कोई दावा किया जाता है अथवा कोई आपत्ति की जाती है कि ऐसी सम्पत्ति ऐसी कुर्की की दायी नहीं है और बिक्री अधिकारी ऐसे दावे या आपत्ति की जांच करेगा और गुणों के आधार पर उसका निपटान करेगा :

    परन्तु जब बिक्री अधिकारी यह समझे कि दावा अथवा आपत्ति तुच्छ है तो ऐसी जांच नहीं की जायेगी ।

    ख) जहां सम्पत्ति की बिक्री के लिये जिस का सम्बन्ध दावे या आपति से है, विज्ञापन दिया जा चुका है, बिक्री अधिकारी, दावे या आपत्ति की जांच तक बिक्री को स्थगित कर सकता है ।

    ग) जहां कोई दावा या आपत्ति की जाती है तो पक्षकार जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, आदेश की तिथि से छह मास के भीतर अधिकार प्राप्त करने के लिये मुकदमा दायर कर सकता है जिस विवादास्पद सम्पत्ति पर अधिकार के लिए उसने दावा किया है, परन्तु मुकदमें, यदि कोई है, के परिणामस्वरूप किया गया आदेश निश्चायक होगा ।

22. i) मूल्य में हुई कोई कमी, जो खरीददार के व्यतिक्रमी के कारण उप–नियम (11) के खण्ड (ड.) के अन्तर्गत की गई पुनः बिक्री के समय हो सकती है, और ऐसी पुनः बिक्री के सम्बन्ध में हुए सभी खर्च, बिक्री अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके वसूली अधिकारी को भेजे जायेंगे और डिक्रीधारी व्यतिक्रमी के अनुरोध पर वह खर्च इस नियम के उपबन्धों के व्यतिक्रमी खरीदार से वसूली योग्य होगा ऐसी वसूली पर आये अनुसंगिक खर्च भी, यदि कोई हो, व्यतिक्रमी खरीददार द्वारा वहन किये जायेंगे ।

ii) जहां सम्पत्ति दूसरी बार बिक्री करने पर पहली बार की गई बिक्री से अधिक मूल्य पर बेची जाती है, तो पहले बिक्री वाले व्यतिक्रमी खरीदार का ऐसे अन्तर अथवा वृद्धि पर कोई दावा नहीं होगा ।

23. जहां कोई सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है, किन्तु डिक्रीधारी के व्यतिक्रमी के कारण वसूली अधिकारी निष्पादन हेतु आवेदन पर आगामी कार्यवाही नहीं कर सकता, तो वह या तो आवेदन रद्द कर देगा अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से कार्यवाही को किसी आगामी तिथि तक स्थगित कर देगा । ऐसे आवेदन को रद्द कर दिये जाने पर, कुर्की समाप्त हो जायगी ।

24. क) जहां बिक्री अधिकारी किसी ऐसी सम्पत्ति की कुर्की करता है या उसने कुर्की की है, जो किसी न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है और जो किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में की जाने वाली कुर्की के अन्तर्गत आती है, ऐसी सम्पत्ति को न्यायालय प्राप्त या वसूल करेगा और उस के सम्बन्ध में किये गये दावों तथा उसकी कुर्की सम्बन्धी आपत्तियों को निश्चित करेगा :

परन्तु जहां सम्पत्ति डिक्री के निष्पादनार्थ एक से अधिक न्यायालयों में कुर्की के अधीन है, वहां वह न्यायालय, जो ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त या वसूल करेगा और उसके किसी दावे तथा कुर्की सम्बन्धी किसी आपत्ति को निश्चित करेगा, उच्चत्तम श्रेणी का न्यायालय होगा, या जहां ऐसे न्यायालयों में श्रेणी का कोई अन्तर नहीं है, तो वह न्यायालय होगा, जिसकी डिक्री के अधीन सम्पत्ति की पहली कुर्की की गई थी ।

ख) जहां आस्तियां बिक्री अधिकारी द्वारा धारित की गई हैं और ऐसी आस्तियां प्राप्त होने से पहले उसी व्यतिक्रमी के विरुद्ध पंचाट या आदेश के लिए आवेदन के अनुसरण में मांग नोटिस एक से अधिक डिक्री धारकों से प्राप्त हो चुके हैं और डिक्री धारक उनसे संतुष्ट न हो तो वसूली के खर्चों को काटकर आस्तियों का बिक्री अधिकारी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 73 में उपबन्धित रीति से ऐसी सभी बिक्री धारकों में अनुपातिक वितरण कर दिया जायगा ।

25. जहां मांग पूरी होने से पहले किसी व्यतिक्रमी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आवेदन दिया जा सकता है और इस नियम के सभी उपबन्ध, इस उप–नियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, उसी प्रकार लागू होंगे, मानो यही विधिक प्रतिनिधि व्यतिक्रमी था । जहां पंचाट या आदेश ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित किया जाता है, वह मृतक की सम्पत्ति के लिए केवल उस सीमा तक उत्तरदायी होगा, जिस सीमा तक सम्पत्ति उसके अधिकार में आई है और जिसका सम्यक् रूप से निपटान नहीं किया गया है और ऐसा दायित्व सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, पंचाट कोई आदेशिका जारी करने की अपेक्षा करता है या किसी जारी की गई आदेशिका पर आक्षेप करता है या किसी पारित आदेश पर आक्षेप करता है ।

## अध्याय XVII
## तामील का ढंग

105. **तामील का ढंग [धारा 131 (2)(xxx)]** :– 1) अधिनियम के अधीन जारी प्रत्येक समन लिखित रूप में होगा, जारी करने वाले अधिकारी की मुहर, तामील का ढंग द्वारा प्रमाणीकृत होगा और ऐसे अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे इस सम्बन्ध में उस द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा हस्ताक्षरित होगा । इस द्वारा समन किये गये व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह बताई गई तिथि, समय तथा स्थान पर उक्त अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हो और इसमें वह भी निर्दिष्ट होगा कि उसकी उपस्थिति साक्ष्य देने के लिये या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये अथवा दोनों प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है, और किसी विशिष्ट दस्तावेज, जिसके प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, समन में वर्णन किया जायेगा ।

2) किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिये समन किये बिना दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये समन किया जा सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये समन किया गया हो, यदि वह व्यक्ति उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने की बजाये किसी से दस्तावेज प्रस्तुत करवाता है, तो उससे यह समझा जायेगा कि उसने समनों की अनुपालना की है ।

3) इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति पर समय की तामील निम्नलिखित तरीके में से किसी से की जा सकती है :–

क) ऐसे व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके ; या

ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, तो उसके अन्तिम निवास–स्थान या व्यापार स्थल पर छोड़ कर अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को देकर या निविदत्त करके ; या

ग) यदि ऐसे व्यक्ति का पता रजिस्ट्रार या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति जानता है तो उसे पावती सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर ; या

घ) यदि उक्त उपायों में से कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उसके अन्तिम ज्ञात निवास या व्यापार स्थान के किसी सहज दृष्य भाग पर चिपका कर ।

4) जहां तामील अधिकारी प्रतिवादी को समनों की प्रति व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अभिकर्त्ता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को देता है या निविदत्त करता है वह मूल समनों पर पृष्ठांकित तामील की रसीद पर उस व्यक्ति से हस्ताक्षर लेगा जिसे इसकी प्रति दी गई है या निविदत्त की गई है ।

5) ऐसे सभी मामलों, जिनमें उप–नियम (4) के अधीन समनों की तामील की गई है, तामील अधिकारी, मूल समनों के साथ एक विवरणी संलग्न अथवा पृष्ठांकित करेगा या संलग्न करवायेगा अथवा पृष्ठांकित करवायेगा जिसमें समन तामील किये जाने का समय और रीति और उस व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, देते हुये जिससे समन तामील किये जाने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके परिवार या समन की तामील के बारे में साक्ष्य दिया हो।

6) जहां समन किया गया पक्षकार कोई सरकारी कर्मचारी है या किसी कम्पनी अथवा स्थानीय प्राधिकरण या किसी संस्था का कर्मचारी है तो समन जारी करने वाला अधिकारी, यदि यह प्रतीत होता हो कि समन की अत्यन्त सुविधापूर्वक इस प्रकार से तामील की जा सकती है, वह समन किये जाने वाले पक्षकार को देने के लिये पावती के लिये पूर्व संदत्त रजिस्ट्री डाक द्वारा उन मूल सपनों पर पृष्ठांकित की जाने वाली प्रति सहित उस कार्यालय के अध्यक्ष को भेज देगा, जिसमें वह नियोजित है ।

## अध्याय XVIII

## विविध

106. **अपीलें [धारा 131 (2) (xxvii)] :-** धारा 114 के प्रयोजनार्थ, कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक उस आदेश की एक प्रति साथ नहीं लगाई जाती, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

107. **दस्तावेजों का निरीक्षण [धारा 131 (2) (xxxv)]** :– जनता के किसी भी सदस्य को किसी विधिपूर्ण प्रयोजन के लिये रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियों के कार्यालय में दायर किये गये किसी सार्वजनिक दस्तावेज (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123, 124, 128 तथा 131 के अधीन विशेषाधिकृत सार्वजनिक दस्तावेज को छोड़कर) के निरीक्षण करने की, निरीक्षण के प्रत्येक अवसर के लिये पांच रुपये की फीस का भुगतान करने पर, अनुमति दी जायेगी और विशेषकर निम्नलिखित दस्तावेजों की, अर्थात् :–

1) पंजीकरण रजिस्टर ;
2) सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र ;
3) सोसाइटी की पंजीकृत उपविधियां और ऐसी उप–विधियों में किया गया संशोधन ;
4) सोसाइटी के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश ;
5) पंजीकृत सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने वाले आदेश ;
6) सोसाइटी के वार्षिक लेखे ;
7) रजिस्ट्रार का कोई निर्णय या मध्यस्थ का पंचाट।

108. **सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रतियों के लिये फीसें । धारा 131 (2) (xxxv)]** :– किन्हीं सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिये निहित फीसें, जिन्हें पूर्ववर्ती नियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण का अधिकार होगा, निम्नानुसार होगा :–

1) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के लिये ....... 10.00 रुपये
2) अन्य दस्तावेजों के मामलें में निम्नलिखित दरों पर संगणित राशि :–
   i) पहले दो सौ अथवा इस से कम शब्दों के लिये 1.50 रुपये
   ii) प्रत्येक अतिरिक्त सौ शब्दों या उसके भाग के लिये ..0.75 रुपये

109. **आदेश का प्ररूप [धारा 131 (2) (xxix)]** :– धारा 107 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा खण्ड (ड) के अधीन परिसमापक का आदेश परिशिष्ट 'ख' में दिये हुये प्ररुप में होगा ।

110. **विशेष नियम [धारा 131 (2) (xii) (viii)]** :– 1) इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, इस नियम में अधिकथित प्रक्रिया ऐसी सोसाइटी पर लागू होगी, जहां सरकार ने :–

क) सहकारी सोसाइटी की अंश पूंजी में अभिदान दिया है : अथवा
ख) सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबैंच्चरों के सम्बन्ध में मूल राशि तथा ब्याज की गारंटी दी है ; अथवा
ग) सोसाइटी को दिये गये कर्जे तथा पेशगियों के सम्बन्ध में मूल राशि तथा ब्याज की गारंटी दी है ; अथवा

घ) सोसाइटी को कम से कम एक लाख रुपये के कर्जे तथा अनुदानों से सहायता दी है ।

i) सामान्य निकाय समिति की बैठक के लिये तिथि, स्थान, समय और कार्यसूची को दर्शाने वाला कम से कम पन्द्रह दिन का स्पष्ट नोटिस और उनमें से किसी द्वारा स्थापित किसी लघु निकाय की बैठक के लिये कम से कम सात दिन का स्पष्ट नोटिस, चाहे वह बैठक रजिस्ट्रार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा या अन्यथा बुलाई गई हो, सामान्य निकाय/समिति अथवा लघु, निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के सभी सदस्यों को दिया जायेगा :

परन्तु सामान्य निकाय/समिति अथवा लघु निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के सभी सदस्यों को थोड़े समय का नोटिस रजिस्ट्रार की अनुमति से अथवा उसके निदेश अधीन दिया जा सकता है ;

ii) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से अथवा उस को दिये गये संदर्भ पर, खण्ड (1) में संदर्भित बैठक की कार्यवाहियों को अविधिमान्य घोषित कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि बैठक उचित नोटिस के बिना अथवा बैठक के लिये सभी सदस्यों को नोटिस प्राप्त हुये बिना की गई थी अथवा यदि बैठक उपयुक्त स्थान और समय पर आयोजित नहीं की गई थी; और

iii) किसी भी मामले पर, रजिस्ट्रार की अनुमति अथवा निदेश के बिना, सामान्य निकाय, समिति की बैठक में अथवा उनमें से किसी भी द्वारा स्थापित किसी लघु निकाय की बैठक में तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि मामला उस कार्यसूची में विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाता, जो सभी सदस्यों को कम से कम क्रमशः पूरे पन्द्रह दिन अथवा सात दिन पहले परिचालित किया जाता है ;

iv) यदि समिति के नामनिर्देशित सदस्य और उसके अन्य सदस्यों के बीच किसी मामले पर राय के संबंध में मतभेद पैदा हो जाता है, तो नामनिर्देशित सदस्य की राय को नामनिर्देशित सदस्य के शब्दों में बैठक की कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जायेगा और कार्यवृत्त पर नामनिर्देशित सदस्य के हस्ताक्षर भी करवाये जायेंगे । जैसा कि धारा 29 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित है, अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यथाशीध्र सम्भव सरकार को इस का प्रतिनिर्देश देगा और यदि बैठक की तिथि से सात दिनों के भीतर कोई प्रतिनिर्देश नहीं दिया जाता, तो रजिस्ट्रार नामनिर्देशित सदस्य से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उसका निर्णय प्राप्त करने के लिये प्रतिनिर्देश सरकार को भेजेगा ।

2) ऐसी सोसाइटी में जिनमें सरकार द्वारा अंश अभिदान किये गये हैं और जिसकी कोई अन्य सहकारी सोसाइटी एक सदस्य है, रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिससे वह उचित समझे, और सम्बद्ध

व्यक्ति के कारण बताने का उचित अवसर देने के पश्चात् समिति के किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकता है जो ऐसी किसी भूल अथवा चूक का व्यतिक्रमी है जिसके परिणामस्वरूप समिति को वित्तीय हानि हुई है ।

111. **आदेश आदि की तामील [धारा 131 (2)(xi)]** :– किसी सहकारी सोसाइटी अथवा किसी व्यक्ति को, अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अन्तर्गत दिये जाने के लिये अपेक्षित कोई आदेश, निर्णय, अथवा पंचाट, अधिनियम अर्थात् ऐसे नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय दिया जायेगा :–

क) यदि दस्तावेज सहकारी सोसाइटी के नाम भेजा जाता है :–

i) सचिव, प्रधान, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्धक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे उस समय के लिये सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी का प्रबन्ध सौंपा जाता है, के सुपूर्द करके, या

ii) उप–खण्ड (i) में वर्णित व्यक्तियों को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज कर ;

ख) यदि दस्तावेज सदस्य, लेनदेन अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम भेजा जाता है :–

i) उसको निविदान अथवा परिदान करके ; या

ii) उसको रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज कर ; या

iii) यदि ऐसे व्यक्ति का पता न चल सकता हो, तो उसके व्यवसाय अथवा निवास–स्थान के अन्तिम ज्ञात स्थान के किसी सहज–दृश्य भाग पर चिपका कर ; या

iv) यदि उपर्युक्त कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता तो इसे 'सहकारी प्रकाश' और किसी प्रसिद्ध हिन्दी समाचार पत्र, जिसका परिक्षेत्र में व्यापक परिचालन है, में प्रकाशित करके।

112. **किसी अधिकारी के रिश्तेदारों की नियुक्ति [धारा 131 (2)(xxxix)]** :– उत्पादक सोसाइटी के सिवाय, समिति के किसी सदस्य के अथवा सहकारी सोसाइटी के अन्य अधिकारी के किसी रिश्तेदार को, रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय सहकारी सोसाइटी में कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

113. **निरसन** । :–पंजाब सहकारी सोसाइटी नियम, 1963 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इसके द्वारा निरसित नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई कार्रवाई, जारी किया गया आदेश, बनाई गई उपविधियां, जहां तक ये इन नियमों के उपबन्धों से संगत नहीं हैं, इस नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई, जारी किया गया या बनाई गई समझी जायेगी ।

## प्रारूप I

### (देखिए नियम 5)

### सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिये आवेदन

हम, अधो–हस्ताक्षरी, इसके द्वारा सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण का आवेदन करते हैं, जैसा कि हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984, की धारा 7 (ii) के अधीन यहां इसके नीचे प्रस्तावित है, और उपविधियों की तीन प्रतियां, जैसे कि नियम 8 द्वारा अपेक्षित हैं, इसके साथ संलग्न करते हैं :–

1. प्रस्तावित सहकारी सोसाइटी का नाम ।
2. सहकारी सोसाइटी का वर्ग और क्या सीमित है अथवा असीमित ।
3. पंजीकृत किया जाने वाला पता ।
4. कार्यक्षेत्र ।
5. मूल उद्देश्य ।
6. इस समय सदस्यों की संख्या ।
7. सदस्यों का व्यवसाय ।
8. अंशों, दाखिला–फीसें तथा निक्षेप, यदि कोई हों, के ब्यौरों सहित पूंजी ।
9. अंश का मूल्य तथा भुगतान का ढंग ।
10. प्रवर्तक सदस्यों द्वारा चुने गये प्रबन्ध–समिति के सदस्यों के नाम ।
11. रजिस्ट्रार द्वारा पत्र–व्यवहार के प्रयोजनों के लिये आवेदक का नाम ।
12. प्रवर्तक सदस्यों की विशिष्टियां :–

| क्रमांक | नाम और पिता का नाम | आयु | व्यवसाय | निवास–स्थान (गांव तथा डाकखाना) | अभिदत्त अंशों की संख्या | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

## प्रारूप II

### (देखिए नियम 7)

### पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984, के उपबन्ध के अनुसरण में .................................................................................................................. सहकारी सोसाइटी, लि॰ ........................................ डाकखाना ............................................ तहसील ..........................................

स्थान का नाम

जिला .......................................................... को आज ............................................... नम्बर के अनुसार पंजीकृत कर दिया गया है ।

यह प्रमाण–पत्र आज .................................. मास के .................................. दिन मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन दिया गया ।

1 हस्ताक्षर ...................................................

2. पंजीकरण प्राधिकारी

का नाम ...................................................

3. पदवी .......................................................

4. पता .........................................................

..................................................................

**प्रारूप III**

**(देखिए नियम 7)**

**कार्यालय का नाम ....................................**

**हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984, के अधीन पंजीकृत सोसाइटियों का रजिस्टर ।**

| क्रमांक | आवेदन प्राप्त होने की तिथि | पंजीकरण की तिथि | पंजीकरण संख्या | सोसाइटी का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| सोसाइटी का पंजीकृत पता | कार्यक्षेत्र | प्रवर्तक सदस्यों की संख्या | प्रवर्तक सदस्यों द्वारा चुने गये समिति सदस्यों के नाम |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |

| इसे समापन किये जाने की तिथि | रद्दकरण की तिथि | विशेष कथन |
|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 |

## प्रारूप IV

### (देखिए नियम 37)

### हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 22) की धारा 53 (ख) के अधीन प्रभार /बन्धक की घोषणा ।

मैं ............................................................ (आयु ............................) निवास स्थान ........................................ ......................................................................................... सोसाइटी लि. की सदस्यता में शामिल होने के नाते और सोसाइटी से कर्जा लेने का इच्छुक होने के कारण घोषणा करता हूं कि मैं इस के द्वारा कर्ज और उन पर ब्याज के लिये अपने आवेदन पत्र के अनुसरण में, जो उक्त सोसाइटी मुझे दे, के कर्जे की राशि के भुगतान के लिये इस घोषणा की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, निर्माण अथवा अचल सम्पत्ति अथवा ब्याज पर भार/बन्धक सृजन करता हूं ।

2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि यह भार/बन्धक का सृजन, मुझे ऐसे सभी भावी कर्जे (कर्जों) और ऐसे कर्जे (कर्जों) की राशि (राशियों) पर ब्याज सहित, यदि कोई हों, जो उक्त सोसाइटी ............... ............................ रुपयों की अधिकतम राशि तक मुझे देगी, के लिये आबद्ध करेगा ।

3. मैं घोषणा करता हूं कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मेरे स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है । मैं इसके द्वारा इस घोषणा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता हूं :–

क) सम्पत्ति के स्वामित्व के प्रमाण में दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्रमाणित प्रति/प्रतियां ;

ख) सक्षम प्राधिकारी से भारमुक्ति का प्रमाण पत्र ।

4. मैं घोषणा करता हूं कि सोसाइटी को धन अथवा उसके किसी भाग का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, सोसाइटी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त, बन्धक/भारित सम्पत्ति को बेच सकती हैं ।

1. तिथि ............................................
2. स्थान ............................................

साक्षी :

1. घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ............................................
2. पूरा नाम ......................................................
3. पिता का नाम ............................................
4. पता ..............................................................

   ...................................................................

**अनुसूची**

| हदबस्त सहित गांव का नाम | तहसील का नाम | जिले का नाम | भार/बन्धक की घोषणा के अधीन भूमि/निर्माण/अचल सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति सहित |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किये जाने के लिये)

तिथि ..............................

साक्ष्यांकित

स्थान .............................. (मोहर)

2. घोषणा को साक्ष्यांकित करने वाले राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर

...................................................................

2. राजपत्रित अधिकारी का नाम

...................................................................

3. पदनाम ....................................................

4. पता ..........................................................

...................................................................

**सत्यापन**

मैं, ............................................ प्रबन्धक ............................................ सोसाइटी, कथित करता हूं कि मैंने घोषणा पत्र की विषय वस्तु सत्यापित कर ली है जो ठीक पाई गई है ।

1. तिथि ............................................
2. स्थान ............................................ (मोहर)

1. सोसाइटी के प्रबन्धक के हस्ताक्षर
2. प्रबन्धक का नाम ....................................
3. .....................................................................

## रजिस्ट्रीकृत / पावती

उप–रजिस्ट्रार .............................................. को (दो प्रतियों में) सादर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस निमित्त अपने द्वारा रखे गये रजिस्टर में इस घोषणा पत्र के तथ्य दर्ज कर लें । पंजीकरण के पश्चात् घोषणा पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को वापिस भेजने की कृपा करें ।

तिथि ............................................ 1. प्रबन्धक के हस्ताक्षर ............................

स्थान ............................................ 2. प्रबन्धक का नाम ....................................

3. सोसाइटी की मोहर ................................

.......................................................................

2. प्रबन्धक, ........................................................................................ सोसाइटी को सादर वापिस की जाती है । इस घोषणा के अधीन सृजित बन्धक / भार पंजीकृत कर दिया गया है और इस निमित्त रखे गये रजिस्टर में सम्यक रूप से दर्ज कर दिया गया है।

तिथि ............................................ 1. उप–रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर ..................

स्थान ............................................ 2. उप–रजिस्ट्रार का नाम ..........................

3. उप–रजिस्ट्रार की मोहर .......................

.......................................................................

3. तहसीलदार राजस्व अधिकारी ......................................................... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि ...................................... सोसाइटी के पक्ष में सृजित बन्धक / भार की विशिष्टियां, उस भूमि से सम्बन्धित हकदारी रिकार्ड में दर्ज की जाएं जिसके लिये भूमि को बन्धक / भार सृजित किया गया है । आवश्यक कार्यवाही कर लेने के पश्चात् कृपया इसे वापिस भेज दें ।

तिथि ............................................ 1. प्रबन्धक के हस्ताक्षर ............................

स्थान ............................................ 2. प्रबन्धक का नाम ....................................

3. सोसाइटी का नाम .................................

.......................................................................

## प्रारूप V

### (देखिए नियम 37)

### हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984, की धारा 53 (ख) के अधीन भारकर्ता/बन्धककर्ता का घोषणा रजिस्टर ।

| क्रमांक | घोषक का नाम | पिता का नाम | पता | घोषणा की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| भार/बन्धक के अधीन रखी गई सम्पत्ति के | क्या भार के अधीन है अथवा बन्धक के अधीन है | अधिकतम राशि जिस के लिये पारित/बन्धक किया गया |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |

| उप–रजिस्ट्रार की अपने पते सहित घोषणा भेजने की तिथि | घोषणा का सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम और पद का नाम | घोषणा का साक्ष्यांकन करने वाले राजपत्रित अधिकारी का नाम व पद का नाम |
|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 |

| घोषणा की साक्षी देने वाले व्यक्ति का नाम | उप रजिस्ट्रार से घोषणा की प्रतियां प्राप्त करने की तिथि | तहसीलदार/राजस्व अधिकारी की घोषणा की प्रति भेजने की तिथि |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |

| तहसीलदार/राजस्व अधिकारी से घोषणा की प्रति प्राप्त करने की तिथि | कर्जा (कर्जे) देने की तिथि | दिये गये कर्जे (कर्जों) की राशि |
|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 |

| ये प्रविष्टियां करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर | विशेष कथन |
|---|---|
| 18 | 19 |

**प्रारूप VI**

{देखिए नियम 43 (1)}

**हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 72 के अधीन उत्पाद और/अथवा बड़ी फसलों की कुर्की और विक्रय के आवेदन पत्र ।**

सेवा में,

..................................................................

..................................................................

1. आवेदक (सोसाइटी का नाम) ..................................................................

2. व्यतिक्रमी का नाम .................................................................. सुपुत्र ..................................................................

गांव .................................................................. डाकखाना ..................................................................

पुलिस स्टेशन ...................................... तहसील ...................................... जिला ......................................

3. बंधकित की गई अथवा भारित जमीन के विशिष्टियां ब्यौरे :

गांव का नाम .................................................. खसरा सं॰ ..................................................

क्षेत्रफल .................................................................. डाकखाना ..................................................

पुलिस स्टेशन ...................................... तहसील ...................................... जिला ......................................

4. व्यतिक्रम करने की तिथि ......................... पहली किश्त ......................... अगली किश्त .........................

5. दिनांक ................................................ को व्यतिक्रमित राशि ..................................................................

i) मूलधन ..................................................................

ii) ब्याज ..................................................................

iii) जोड़ ..................................................................

आवेदक निवेदन करता है कि व्यतिक्रमित राशियों की वसूली ऊपर ब्यौरो के अनुसार बंधकित की गई भारित भूमि की उपज और या खड़ी फसलों की कुर्की और बिक्री द्वारा की जाये । अधोहस्ताक्षरी को, सोसाइटी के प्रस्ताव सं॰ .................................................................. दिनांक .................................................... (प्रति संलग्न है) के अनुसार यह आवेदन करने के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है ।

दिनांक ...................................

स्थान ...................................

1. सोसाइटी की समिति द्वारा इस निमित प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

2. यह आवेदन देने वाले व्यक्ति का नाम और पता

# प्रारूप VII

{देखिए नियम 43 (2)}

## हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 73 के अधीन मांग नोटिस ।

सेवा में,

.....................................................................

.....................................................................

(व्यतिक्रमी)

c

1. आवेदक (सोसाइटी का नाम) ..............................................................................................................................

2. व्यतिक्रमी का नाम ...................................................................... सुपुत्र .............................................................

   गांव ........................................................................ डाकखाना ..............................................................................

   पुलिस स्टेशन ...................................... तहसील ....................................... जिला ........................................

3. ........................................................................... तिथि को व्यतिक्रमी राशि :

   i) मूलधन .......................................................................

   ii) ब्याज ..........................................................................

   iii) जोड़ ..........................................................................

   कुर्कीकर्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है ।

दिनांक ............................................ 1. हस्ताक्षर ....................................................

स्थान .............................................. 2. नाम ...........................................................

3. पता ..........................................................

.......................................................................

## प्रारूप VIII

**{देखिए नियम 43 (3)}**

## कुर्की के वारंट (जब्तकर्ता)

सेवा में,

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... (जब्तकर्ता)

चूंकि ............................................................ के कारण श्री ..................................................... (व्यतिक्रमी का नाम) से ........................................................................ की वसूली के लिये हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 72 के अधीन ...................................... (सोसाइटी का नाम) द्वारा एक आवेदन दिया गया है ।

और चूंकि सन्तुष्टि हो जाने के पश्चात् अधो हस्ताक्षरी ने ................................ रुपये ............................ ब्याज सहित की अदायगी करने के लिये एक मांग नोटिस जारी किया है ।

अतः ये वारंट आप को, अनुसूची में दी गई भूमि की उपज को तथा उस पर खड़ी फसल को जब्त करने का अधिकार देते हैं ।

दिनांक ..............................................

स्थान ...............................................

1. हस्ताक्षर ................................ (रजिस्ट्रार)
2. नाम ............................................................
3. पता ............................................................

## अनुसूची

**भारित अथवा बन्धकित भूमि की विशिष्टियां**

| क्रमांक | गांव का नाम | डाकखाने का नाम | पुलिस स्टेशन का नाम | तहसील का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| जिला का नाम | भाराधीन भूमि की खसरा संख्या | बन्धकाधीन भूमि की खसरा संख्या | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |

# प्रारूप IX

## {देखिए नियम 46 (1)}

## मांग

सेवा में,

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... (व्यतिक्रमी)

चूंकि ........................................................ रुपये की वसूली के लिए ........................................................ (रजिस्ट्रार) द्वारा जारी कुर्की वारंट संख्या .................................................... दिनांक ..................................... के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित भूमि (भूमियों) की उपज अथवा खड़ी फसलों अथवा दोनों की कुर्की कर ली है :—

| क्रमांक | गांव का नाम | भूमि का खसरा संख्या | भूमि का क्षेत्रफल | डाकखाना |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| पुलिस स्टेशन | तहसील | जिला | उपज अथवा खड़ी फसल अथवा दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |

और चूंकि अधोहस्ताक्षरी की .................................................... (रजिस्ट्रार) से, आप से ................................... रुपये की वसूली करने के लिये मांग नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसकी एक प्रति संलग्न की जाती है ।

अतः अब इसके द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ........................................................ मांग नोटिस के अनुसार वसूली–योग्य ..................................................................... रुपये की राशि इस मांग नोटिस की प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर जमा करवा दें, ऐसा न कर पाने पर कुर्क सम्पत्ति जो ऊपर लिखित है, दिनांक ..................................................... को ..................................................... बजे .................................................. स्थान पर बेच दी जायेगी ।

1. कुर्की कर्ता के हस्ताक्षर ............................................................................
2. कुर्की कर्ता का नाम ............................................................................
3. कुर्की कर्ता का पता ............................................................................

............................................................................

दिनांक : ..............................................

स्थान : ................................................

# प्रारूप X

## (देखिए नियम 57)

## बन्धकित सम्पत्ति की बिक्री के लिए आवेदन

सेवा में,

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... (रजिस्ट्रार)

1. आवेदक (सोसाइटी) का नाम ..............................................................................................................................

2. बन्धकर्ता (व्यतिक्रमी) का नाम ....................................................... सुपुत्र ..................................................... गांव .................................................. डाकखाना ..................................... पुलिस स्टेशन............................................ ............. तहसील ....................................................... जिला .......................................................

3. बन्धकित सम्पत्ति का वर्णन :—

| क्रमांक | गांव का नाम | डाकखाने का नाम | पुलिस स्टेशन का नाम | तहसील |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| जिला | बन्धकाधीन जमीन की खसरा संख्या | क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |

4....................................................... को वसूली के लिये देय राशि :—

i) मूलधन .................................................................

ii) ब्याज ....................................................................

iii) बैंक द्वारा उपगत खर्चे.....................................

जोड़ ......................................................................

5. उस (उन) व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम (के नाम) और पता (पते) जिसे (जिन्हें) धारा 75 (2) (ख) के अधीन लिखित रूप में नोटिस (नोटिसों) की तामील की गई है ।

| क्रमांक | पूरे पते सहित नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | |

6. निवेदन किया जाता है कि बन्धकित सम्पत्ति, जिसका ब्यौरा ऊपर दिया गया है, बेच दी जाये और देय राशियां वसूल कर ली जायें ।

7. आवेदक सोसाइटी ने प्रस्ताव संख्या ............................ दिनांक ............................ (प्रति संलग्न है) द्वारा अधिनियम की धारा 75 के अधीन अधोहस्ताक्षरी को सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर दिया है ।

दिनांक : ..............................

1. सोसाइटी की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ...................................

स्थान : ..............................

2. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ........................

3. प्राधिकृत व्यक्ति का पता ........................

## प्रारूप XI
### (देखिए नियम 57)
### नोटिस का प्ररूप

सेवा में,

1. ..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................(व्यतिक्रमी)

2. ..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................(जमानत देने वाला/
जमानत देने वाले)

3. ..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................(बन्धकित सम्पत्ति पर हित
रखने वाला/रखने वाले व्यक्ति)

चूंकि अधिनियम की धारा 75 (2) (ख) के अधीन .................................................... (सोसाइटी) द्वारा आवेदन दिया गया है,

अतः अब, इसके द्वारा आप को इस अपेक्षा के साथ यह नोटिस दिया जाता है कि आप ................ ........................................ रुपये की राशि, जो आप से प्राप्य है, आप द्वारा अदा करें (ब्यौरे इसमें इसके बाद दिये गये हैं) ऐसा न करने पर बन्धकित सम्पत्ति (ब्यौरो इस में इसके बाद में दिये गये हैं) को .............. ............................................. तिथि .................................... (स्थान) ........................... बजे बेच दिया जायेगा ।

2. दिनांक ............................................ को देय राशि ।

i) मूलधन ...................................................................

ii) ब्याज .......................................................................

iii) उपगत खर्चे .........................................................

जोड़ .........................................................................

5. भुगतान न करने की स्थिति में बेची जाने वाली सम्पत्ति की विशिष्टियां ।

| क्रमांक | गांव का नाम | डाकखाने का नाम | पुलिस स्टेशन का नाम | तहसील |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| जिला | बन्धकित भूमि का खसरा नं॰ | क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |

स्थान : ..............................

दिनांक : ..............................

1. बिक्री अधिकारी के
   हस्ताक्षर ......................................................
2. बिक्री अधिकारी का
   नाम ..............................................................
3. बिक्री अधिकारी का
   पता ..............................................................

## प्रारूप XII
### (देखिए नियम 59)
### नियम 63 के अधीन बिक्री की उद्घोषणा

1. आवेदक (सोसाइटी का नाम) ..........................................................................................
2. व्यतिक्रमी व्यक्ति का नाम और पता ...............................................................................
3. बिक्री की तिथि ....................................................................................................................
4. बिक्री का समय ...................................................................................................................
5. बिक्री का स्थान ..................................................................................................................
6. बेची जाने वाली सम्पत्ति की विशिष्टियां :–

| क्रमांक | गांव का नाम | डाकखाने का नाम | पुलिस स्टेशन का नाम | तहसील | जिला | बन्धकित भूमि की खसरा संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| क्षेत्रफल | भुगतान योग्य भू–राजस्व या किराया |
|---|---|
| 8 | 9 |

7. दिनांक ............................................ को वसूली के लिये देय राशि :–
   i) मूलधन ..............................................................
   ii) ब्याज .................................................................
   iii) उपगत खर्चे ......................................................
   जोड़ ....................................................................

टिप्पणी :– ब्याज अधावधिक परिगणित किया जाना है ।

8. अन्य ब्यौरे, यदि कोई हों ।

1. बिक्री अधिकारी के हस्ताक्षर ..................................................................

स्थान : .............................

दिनांक : ..............................

2. बिक्री अधिकारी का नाम ...................................
3. बिक्री अधिकारी का पता .....................................

## परिशिष्ट 'क'

**(देखिए नियम 25)**

**भाग I**

## सहकारी सोसाइटियों की समिति के चुनाव की प्रक्रिया

1. **लागूकरण** :— यह प्रक्रिया निम्नलिखित को छोड सभी सहकारी सोसाइटियों को लागू होगी :

   i) कोई दूध उत्पादक सोसाइटी और डैरी विकास सहकारी प्रसंघ की समिति के सदस्य अपनी उप–विधियों के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे ।

   ii) कोई सहकारी सोसाइटी जिसके सभी सदस्य इसकी समिति के प्रतिनिधित्व करते है ।

   iii) कोई सहकारी सोसाइटी जिसका प्रत्येक सदस्य बिना चुनाव के बारी–बारी से कमेटी का प्रतिनिधित्व करता है ।

   iv) कोई सहकारी सोसाइटी जो समापन प्रक्रिया के अधीन है ।

2. **परिभाषाएं** :— इस परिशिष्ट में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

   क) 'उम्मीदवार' से अभिप्राय है, एक मतदाता, जो चुनाव लड़ने के लिये अपना नामनिर्देशन पत्र भरता है ;

   ख) 'चुनाव' से अभिप्राय है, समिति का चुनाव ;

   ग) 'प्रबन्धक' से अभिप्राय है, किसी सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये अथवा चुनाव के प्रयोजन के लिये रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त या समिति के सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति ;

   घ) 'मतदान केन्द्र' से अभिप्राय है, मतदान करने के लिये विनिर्दिष्ट स्थान :

   ड़) 'पीठासीन अधिकारी' से अभिप्राय है, मतदान के प्रयोजन के लिये मतदान केन्द्र के भारसाधक के रूप में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

   च) 'रिटनिंग अधिकारी' से अभिप्राय है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी जो सहायक रजिस्ट्रार की पदवी से नीचे का न हो, जिसे विशेष अथवा साधारण आदेश द्वारा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये ;

   छ) 'मतदाता' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो या तो अंशधारी है या चुनाव में भाग लेने के लिये सम्यक् रूप से अर्हित किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य का प्राधिकृत प्रतिनिधि है तथा इसमें अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के अनुसार निर्वाचित या प्रवरित किसी सहकारी सोसाइटी का कोई प्रतिनिधि शामिल है ।

**भाग II**

शीर्ष या केन्द्रीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों, गन्ना उत्पादक सहकारी सोसाइटियों, विपणन या विपणन एवं प्रसंस्करण सोसाइटियों चीनी मिल्ज़ तथा शहरी बैंकों के चुनाव के नियम ।

3. **अंचलों तथा मतदाताओं की सूची तैयार करना :–**

(1) किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी का प्रबन्धक, जिसकी अन्य सहकारी सोसाइटी सदस्य हैं समिति या प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, की पदावधि समाप्त होने के कम से कम एक सौ बीस दिन पहले सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की उस सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के चुनाव में भाग लेने के लिये अधिनियम की धारा 21 के उपबन्ध के अधीन रहते हुये एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिये आवश्यक लिखित रूप में नोटिस देने की अपेक्षा करेगा ।

2) उप–पैरा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सदस्य सोसाइटी, प्रतिनिधि नियुक्त करने के प्रस्ताव की प्रति सहित प्रतिनिधि का नाम तथा पता भेजेगी ।

3) प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के अतिरिक्त प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का प्रबन्धक (प्राथमिक भूमि विकास बैंक, गन्ना उत्पादक सहकारी सोसाइटी, विपणन या विपणन एवं संसाधन सोसाइटी, चीनी मिल्ज तथा शहरी बैंकों के अतिरिक्त) समिति या प्रशासक, जैसी भी स्थिति हो, की पदावधि की समाप्ति से कम से कम पचहत्तर दिन पहले उप–पैरा (4) के अधीन गठित आंचलिक समिति को अंचलों और मतदाताओं की अन्तिम सूची भेजेगा जिसमें उप–पैरा (2) के अधीन सदस्य सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के नाम भी शामिल किये जायेंगे ।

4) आंचलिक समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :–

i) शिखर सहकारी सोसाइटी के लिये –

क) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां द्वारा नामनिर्देशित अपर–रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां या संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां ; और

ख) सम्बद्ध सोसाइटी की समिति द्वारा नामनिर्देशित समिति के दो सदस्य अथवा प्रशासक या एकाधिक प्रशासक, जैसी भी स्थित हो; और

ii) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिये –

क) बैंक का भारसाधक उप–रजिस्ट्रार ; और

ख) सम्बद्ध सोसाइटी की समिति या प्रशासक अथवा प्रशासकों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, नामनिर्देशित समिति के दो सदस्य; और

iii) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, गन्ना उत्पादक सहकारी सोसाइटी या, कोई विपणन या विपणन एवं संसाधन सोसाइटी, चीनी मिल्ज़ तथा शहरी बैंकों या अन्य केन्द्रीय सोसाइटियों के लिए:–

क) सोसाइटी का भारसाधक सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां; और

ख) सम्बद्ध सोसाइटी की समिति अथवा प्रशासक या प्रशासकों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, नामनिर्देशित समिति के दो सदस्य ।

5) आंचलिक समिति की किसी बैठक के लिये गणपूर्ति दो सदस्यों से होगी।

6) आंचलिक समिति, अंचलों तथा उनमें मतदाताओं की अन्तिम सूचियां प्राप्त होने पर मामले पर उचित विचार करने के बाद, अंचलों तथा मतदाताओं की अन्तिम सूचियों को अनुमोदन प्रदान कर देगी ।

7) सहकारी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में व्यापक परचिालन वाले दैनिक समाचार पत्र में एक नोटिस

प्रकाशित किया जायेगा जिसमें समिति के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि, अंचलों तथा मतदाताओं की अन्तिम सूचियों की तैयारी, अन्तिम सूचियां प्रदर्शित करने की तिथियों तथा स्थानों, आक्षेप दायर करने के स्थानों और आंचलिक समिति द्वारा अन्तिम सूचियों के आक्षेपों पर सुनवाई के बारे में सहकारी सोसाइटी के सदस्यों को सूचित किया जायेगा ।

8) प्रबन्धक आंचलिक समिति द्वारा अनुमोदित अंचलों तथा मतदाताओं की अन्तिम सूची कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के लिये निम्नलिखित स्थानों पर प्रदर्शित करेंगे :–

क) सहकारी सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय तथा शाखा कार्यालय, यदि कोई हो,

ख) सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी के सहायक रजिस्ट्रार तथा उप–रजिस्ट्रार का कार्यालय, और

ग) सहकारी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जैसा आंचलिक समिति निदेश दे ।

9) सहकारी सोसाइटी का कोई मतदाता या अंशधारी, सूची के प्रदर्शन की अवधि के दौरान, आक्षेप की सुनवाई की निर्धारित तिथि और समय पर या उससे पहले आंचलिक समिति को अंचलों तथा मतदाताओं की सूची के विषय में अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है :

परन्तु ऐसे आक्षेप प्रबन्धक के पास भी दायर किये जा सकते हैं ।

10) प्रबन्धक आक्षेप सुनने की तिथि और समय पर या उससे पहले सभी आक्षेप आंचलिक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा । आंचलिक समिति, आक्षेपों पर विचार करने के बाद अंचलों और मतदाताओं की अन्तिम सूची तैयार करेगी । यदि आक्षेपों पर विचार करने के दौरान यह पाया जाता है कि अन्तिम मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम बिना उचित संकल्प के सम्मिलित किया गया है या अन्यथा दोषपूर्ण है या जहां किसी सोसाइटी ने उप–पैरा (1) के अधीन अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया है तथा ऐसा न करने के पर्याप्त आधार हैं, तो आंचलिक समिति सोसाइटी को अन्तिम मतदाता सूची में मतदाता के रूप में उक्त प्रतिनिधि का नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिये कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, एक नया संकल्प पारित करने के लिये निदेश देगी । यदि सोसाइटी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा नहीं करती, तो उसे चुनाव में मतदान करने का कोई अधिकार नही होगा :

परन्तु यदि सूचियों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण उसमें अभिलिखित किये जायेंगे।

11) जहां समिति अपने कार्यकाल के दौरान या प्रशासक या एकाधिक प्रशासक, अधिनियम की धारा 33 व 34 के अधीन अपनी नियुक्त के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, आंचलों और मतदाताओं की सूचियों को अन्तिम रूप देने में असफल रहता है/रहते हैं तो प्रबन्धक, रजिस्ट्रार को अंचलों और मतदाताओं की अन्तिम सूचियों को अन्तिम रूप देने के लिये प्रस्तुत करेगा ।

12) उप–पैरा (11) के अधीन क्षेत्रों और मतदाताओं को अन्तिम सूचियां प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार पैरा 6 से 10 में विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें अन्तिम रूप देगा ।

**4. चुनाव की तिथि नियत करना :–**

(1) प्रबन्धक रजिस्ट्रार को सूचित करेगा कि अंचलों और मतदाताओं की सूची को अन्तिम रूप दे दिया

गया है और यह तिथि भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसको समिति का कार्यकाल समाप्त होगा । ऐसी सूचना समिति का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से कम के कम पैतालीस दिन पूर्व भेजी जायेगी ।

2) रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी के चुनाव की तिथि नियत करेगा और चुनाव करवाने के लिये रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा । चुनाव की तिथि रिटर्निंग अधिकारी और प्रबन्धक को चुनाव की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले सूचित की जायेगी ।

5. **चुनाव कार्यक्रम :–**

(1) रिटर्निंग अधिकारी चुनाव करवाने के लिये नियत तिथि के सम्बन्ध में संसूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर निम्नलिखित रूप में तिथि, समय और स्थान को विनिर्दिष्ट करते हुये चुनाव कार्यक्रम बनायेगा :–

| क्रम संख्या | कार्यक्रम | तिथि | समय | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

i) नामनिर्देशन पत्र दायर करना ;

ii) नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा ;

iii) वैध नामित उम्मीदवारों की सूची का प्रदर्शन ;

iv) नामनिर्देशन पत्र वापिस लेना ;

v) चिन्हों का आबंटन ;

vi) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का vii) मतदान करवाना, यदि आवश्यक हो ।

2) रिटर्निंग अधिकारी से चुनाव कार्यक्रम के साथ अंचलों और मतदाताओं की अन्तिम सूची मिलने के एक सप्ताह के भीतर ही ये प्रबन्धक द्वारा कम से कम सात दिन के लिये निम्नलिखित स्थानों पर प्रदर्शित की जायेंगी :–

क) सहकारी सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय और शाखा कार्यालय पर, यदि कोई हो ;

ख) सम्बद्ध सहकारी सोसाइटियों के सहायक रजिस्ट्रार और उप–रजिस्ट्रार के कार्यालय पर ; और

ग) सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर, जिन्हें रिटर्निंग चुनाव अधिकारी लिखित रूप से निर्दिष्ट करें ।

**3) उप–पैरा (2) के अधीन निर्वाचन प्रोग्राम के प्रदर्शन के पंच दिन के भीतर, प्रबन्धक जहां सोसाइटियों की सदस्य संख्या 500 से अधिक नही है वहां एक डाक प्रमाणाधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी मतदाताओं को उसकी प्रतियां भेजेगा तथा यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 500 से अधिक है वहां सोसाइटी के संचालन के क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले एक हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन द्वारा।**

6. **उम्मीदवारों का नामनिर्देशन :–**

(1) नामनिर्देशन पत्र दायर करने के लिये नियत तिथि, समय और स्थान पर अथवा पूर्व उम्मीदवार अपने

नामांकन पत्र यथा संलग्न प्ररूप 'क' में पूरा करके स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उचित पावती लेकर रिटर्निंग अधिकारी को देगा ।

2) प्रत्येक उम्मीदवार का नामनिर्देशन अलग नामनिर्देशन पत्र पर किया जायेगा ।

3) रिटर्निंग अधिकारी यथा संलग्न प्ररूप 'ख' में प्राप्त सभी नामनिर्देशन पत्रों की सूची रखेगा ।

4) रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय और सहकारी सोसाइटी के कार्यालय पर उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित करेगा ।

**7, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा : –**

(1) चुनाव अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा चुनाव कार्यक्रम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट स्थान, तिथि और समय पर करेगा और किसी उम्मीदवार की पात्रता के सम्बन्ध में किसी आक्षेप–कर्त्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किये गये आक्षेप यदि कोई हों, सुनेगा और ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, आक्षेपों का निपटान करेगा । नामनिर्देशन पत्रों की अस्वीकृति या स्वीकृति का विनिश्चय और उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण नामनिर्देशन पत्र पर अभिलिखित किया जायेगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा । नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा करते समय चुनाव अधिकारी निम्नलिखित कर सकता है :–

क) नामनिर्देशन पत्रों में सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय त्रुटि सही करने के लिये अनुज्ञात कर सकता है ताकि उन्हें मतदाताओं की आंचलिक सूची की तत्स्थानी प्रविष्टियों के अनुरूप लाया जा सके ; और

ख) जहां आवश्यक हो, उक्त प्रविटियों में किसी लिपिकीय या मुद्रण त्रुटियों की उपेक्षा कर सकता है ।

2) उप–पैरा (1) के अधीन आक्षेप करने वाला व्यक्ति मतदाता अवश्य होना चाहिये ।

**8. नामनिर्देशन पत्र वापस लेना :–**

(1) कोई भी उम्मीदवार अपना नामनिर्देशन लिखित रूप में नोटिस देकर वापिस ले सकता है जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और रिटर्निंग अधिकारी को प्रयोजन के लिए विहित अवधि की समाप्ति से पहले दिया जाएगा ।

2) किसी भी उम्मीदवार को जिसने उप–पैरा (1) के अधीन वापसी के लिये नोटिस दिया है अपने नामनिर्देशन की वापसी को रद्द करने या उसी चुनाव के लिये एक उम्मीदवार के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये अनूज्ञात नहीं किया जायेगा ।

**9. उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आबंटन :–**

(1) नामनिर्देशन पत्र वापस लेने के लिये नियत अवधि की समाप्ति पर रिटर्निंग अधिकारी विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट प्रत्येक उम्मीदवार को नीचे दी गई चिन्हों की सूची में से एक चिन्ह आबंटित करेगा :–

क) छकड़ा

ख) बहते पानी के साथ ट्यूबवैल

ग) घड़ा

घ) साईकल

ड.) बंदूक

च) वृक्ष

छ) बकरी

ज) घोड़ा

झ) छतरी

ञ) मेज

(2) रिटर्निंग अधिकारी उप–पैरा (1) में दी गई सूची में परिवर्तन कर सकता है परन्तु उम्मीदवारों को आबंटित किये जाने के लिये इस प्रकार परिवर्धित चिन्हों का कोई राजनैतिक या धार्मिक स्वरूप नहीं होगा ।

10. **उम्मीदवारों की सूची का प्रदर्शन** :– प्रत्येक उम्मीदवार को चिन्ह आबंटित किये जाने के तुरन्त बाद रिटर्निंग अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की वर्णानुक्रम में (हिन्दी भाषा में) एक सूची तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक उम्मीदवारों के सामने आबंटित चिन्ह दर्शित किया जायेगा और उसे अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करेगा । वह सूची की प्रति सहकारी सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय और शाखा कार्यालयों के बाहर और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिये जो रिटर्निंग अधिकारी लिखित रूप में निर्दिष्ट करें, सहकारी सोसाइटी के प्रबन्धक के पास भी भेजेगा ।

11. **जब केवल एक उम्मीदवार हो तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया** :– यदि संविक्षा या वापस लेने के बाद अंचल में केवल एक ही विधिमान्य प्ररूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार रह जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करेगा ।

12. **यदि एक से अधिक उम्मीदवार हों तो मतदान का कराया जाना** :– यदि किसी अंचल में एक से अधिक विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार हों, तो चुनाव कराने के लिये नियत तिथि, समय और स्थान पर मतदान कराया जायेगा ।

13. **मतदान से पूर्व उम्मीदवार की मृत्यु** :– यदि किसी ऐसे उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, जो विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है और गांव के राजस्व पटवारी या नगरपालिका के सचिव द्वारा जैसी भी स्थिति हो, सम्यक रुप से हस्ताक्षरित मृत्यु प्रमाण – पत्र रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी को मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान प्रत्यादिष्ट कर देगा और उस विशिष्ट अंचल में चुनाव सम्बन्धी सभी कार्यवाहियां नये सिरे से आरभ की जायेंगी ।

14. **पीठासीन अधिकारी आदि की नियुक्ति** :–

(1) रिटनिंग अधिकारी प्रत्येक अंचल में मतदान कराने के लिये पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा ।

2) रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिये मतदान अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा, और यदि मतदान से पहले या मतदान के समय पीठासीन अधिकारी या मतदान

अधिकार इस रुप में काम करने में असमर्थ होते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में काम करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

3) पीठासीन अधिकारी, उस पर अधीरोपित अन्य कर्त्तव्यों के पालन के अतिरिक्त मतदान केन्द्र के सभी प्रबन्धों का सामान्य कार्यभारी होगा और मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की तिथि और मतदान केन्द्र में अथवा उसके आप–पास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आदेश जारी कर सकता है ।

15. **शासकीय चिन्ह** :– रजिस्ट्रार यह निर्देश कर सकता है कि मतदान केन्द्र में किसी मतदाता को कोई मत–पत्र देने से पहले उस पर ऐसा शासकीय चिन्ह अंकित किया जाए जो इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये और इस प्रकार विनिर्दिष्ट शासकीय चिन्ह गुप्त रखा जायेगा ।

16. **मतदान केन्द्र पर प्रदाय की जाने वाली सामग्री** :– प्रबन्धक, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निम्नलिखित वस्तुएं उपलब्ध करायेगा :–

क) मतपेटियों की आवश्यक संख्या :

ख) वर्णानुक्रम में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वाले पर्याप्त संख्या में मत्र–पत्र (हिन्दी में बायीं ओर नाम लिखे हुये तथा दायीं ओर चिन्ह लगे हुये) ;

ग) पीठासीन अधिकारी की मुहरें एक पीतल की और एक रबड़ की ;

घ) स्याही पैड और स्याही बोतल, प्रत्येक एक–एक ;

ङ) मतदाताओं द्वारा मतपर्ची को चिन्हित करने के प्रयोजन के लिये क्रॉस चिन्ह की तीन रबड़ की मुहरें ;

च) मतपेटियों के तालों को ढकने और मुहर बन्द करने के प्रयोजन के लिये लाख, मोमबत्ती, माचिस, गोंद, सुई धागे का गोला और कपड़े का टुकड़ा ;

छ) गिने हुए मतपत्रों को रखने के लिये कपड़े का मध्यम आकार का थैला जिसे मुहरबन्द किया जा सके ;

ज) सम्बद्ध अंचल के मतदाताओं की दो अन्तिम सूचियां ;

झ) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की दो अन्तिम सूचियां ; और आवश्यक अन्य चुनाव सामग्री ।

17. **उम्मीदवार और उसके अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में प्रवेष करने के लिये अनुज्ञात किया जाना** :– पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारों को या उनके अभिकर्ताओं को मत कक्ष के अतिरिक्त मतदान केन्द्र में मतदान के दौरान प्रवेश करने के लिये अनुज्ञात करेगा ।

18. **मतदान प्रारम्भ होने से पहले की प्रक्रिया** :–

1) मतदान शुरू होने से तुरन्त पहले, पीठासीन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों मतपेटी दिखायेगा ताकि वे ये देखलें कि मतपेटी खाली है । इसके बाद, वह उस पर ताला लगाये और पेटी पर अपनी मुहर तथा साथ ही उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं की मुहर यदि वे इसके इच्छुक हों, ऐसी रीति में लगायगा, ताकि ऐसी मुहरों को तोड़े बिना उसे खुलने से निवारित किया जा सके ।

2) मतपेटी अधिकारी के सामने रखी जायेगी ताकि उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को वह दिखाई देती रहे ।

**19.** **मतदान** :– चुनाव गुप्त मत–पर्ची द्वारा किया जायेगा और मतदाता उस अंचल में अपना मतदान करेगा जिसमें उसे मतदाता के रूप में दर्ज किया गया हो । प्रत्येक मतदाता जो अपना मत देना चाहता है व्यक्तिगत रूप में दी जाने वाली मत–पर्ची द्वारा ऐसा करेगा जिस पर उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह, उसके पिछली ओर सहकारी समिति की मुहर और ऐसा शासकीय चिन्ह, यदि कोई हो, अंकित होगा जो पैरा 15 मे विनिर्दिष्ट किया जाये ।

**20.** **मतदान का प्रारम्भ और समाप्ति** :– मतदान पैरा 5 के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बनाये गये चुनाव कार्यक्रम में इस प्रयोजन के लिये नियत समय पर प्रारम्भ और समाप्त होगा । समाप्ति के समय से पहले मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदाता अपना मत देने के हकदार होंगे ।

**21.** **मत देने से पहले की प्रक्रिया** :– इससे पूर्व कि मत–पत्र दिया जाये, मतदाता अपना नाम और अन्य विशिष्टियां मतदान अधिकारी को बतायेगा जो उसका मिलान मत–दाताओं की आंचलिक सूची से करेगा । मतदान अधिकारी, मतदाताओं की आंचलिक सूची की प्रति पर, उस मतदाता की क्रम संख्या पर यह सूचित करने के लिये कि उसने मतपत्र प्राप्त कर लिया है, निशान लगा देगा और मतदाता को जारी किये गये मतपत्र की क्रम संख्या, मतदाताओं की आंचलिक सूची में सम्बद्ध मतदाता से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने भी लिखी जायेगी ।

**22.** **मतदाता से पूछे जाने वाले प्रश्न** :– किसी मतदाता को मतपत्र देने से पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी स्वयंविवेक से, यदि उसके पास किसी मतदाता की पहचान के संबंध में कोई सन्देह का कारण है तो मतदाता से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है और यदि उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा इस की अपेक्षा की जाती है तो पूछेगा :–

1) क्या आप निम्न रूप से दर्ज किये गये व्यक्ति है (मतदाताओं की आंचलिक सूची से पूरी प्रविष्टि पढ़ते हुये) ;

2) यदि मतदाता प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक देता है तो उसे मत देने के लिये अनुज्ञान किया जायेगा ।

**23.** **मत देने की प्रक्रिया** :– मतदाता से मत पर्ची जारी किये जाने पर मतदान कक्ष की ओर अग्रसर होने की अपेक्षा की जायेगी और उस से उस उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर उसे क्रास चिन्ह की रबड़ मोहर अंकित करने की अपेक्षा की जायेगी जिसके पक्ष में वह मत देना चाहता है, वह पर्ची को सम्यक् रूप में तह करके मतपेटी में डाल देगा ।

**24.** **निविदित्त मत** :–

1) यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाताओं की आंचलिक सूची में नामित कोई विशिष्ट मतदाता कह कर ऐसा मतदाता के रूप में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मत दिये जाने के बाद मतपर्ची के लिये निवेदन करता है तो वह, ऐसे प्रश्नों के सम्यक् रूप से उत्तर देने के पश्चात् जिन्हें पीठासीन अधिकारी पूछे, मत देने का हकदार होगा, परन्तु उसकी मत पर्ची (जिस में इसके बाद यथा संलग्न प्ररूप 'ग' में विहित निविदत्त मत पर्ची कहा गया है) मतपेटी में डालने के लिये उसे देने की बजाये पीठासीन अधिकारी को दी जायेगी जो मतदाता को उस उम्मीदवार का नाम लिखने के लिये कहेगा जिसे वह मत देना चाहता है, या यदि मतदाता अनपढ़ है तो वह स्वयं मत पर्ची के पिछली और लिखेगा और फिर मतदाता

का नाम मतदाताओं की आंचलिक सूची में उसकी क्रम संख्या या पृष्टांकित करेगा और मतपत्र को अलग बंडल में रखेगा ।

2) 'निविदित्त मत सूची' शीर्षक वाली सूची में मतदाताओं का नाम, मतदाताओं की आंचलिक सूची में उसकी क्रम संख्या उस मतदान केन्द्र का नाम जिससे सूची सम्बन्धित है, प्रविष्ट किया जायेगा । ऐसी मत पर्ची निविदत्त करने वाला व्यक्ति उस सूची में प्रविष्टि के सामने उस पर अपना नाम तथा पता हस्ताक्षरित करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा ।

3) 'निविदत्त मत–सूची' इन नियमों के साथ यथा संलग्न प्ररूप 'घ' में पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी ।

**25. आक्षेप किया गया मत :–** यदि कोई उम्मीदवार या अभिकर्ता यह घोषणा करता है और यह सिद्ध करने का जिम्मा लेता है कि मत पर्ची के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति ने प्रतिरूपण का अपराध किया है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आक्षेप किये गये मत सूची में नाम और पता प्रविष्टि करने की या यदि वह लिखने में असमर्थ है तो उस पर अंगूठे का निशान अंकित करने की और वह ऐसे वयक्ति से पहचान का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है । यदि पीठासीन अधिकारी की मतदाता के रूप में उसकी पहचान का सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाती है तो उसे मत देने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा । पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मामले में चाहे आक्षेप किये गये व्यक्ति को मत डालने के लिये अनुज्ञात किया गया है अथवा नहीं, यथा संलग्न प्ररूप 'ड' में आक्षेप किये गये मतों की सूची में परिस्थितियों की एक टिप्पणी देना ।

**26. मतदाता और मतपर्ची की वापसी :–**

1) यदि कोई मतदाता मत देने के प्रयोजन के लिये मत–पर्ची प्राप्त करने के बाद उसे प्रयोग न करने का निश्चय करता है, तो वह मत पर्ची पीठासीन अधिकारी को लोटा देगा और इस प्रकार वापस की कई मत–पर्ची पर तब 'वापस की गई के रूप मे रद्द की गई' चिन्हित किया जायेगा और प्रयोजन के लिये पृथक रखे गये अलग लिफाफे में रखा जायेगा और ऐसी सभी मत पर्चियों का अभिलेख पीठासीन अधिकारी द्वारा रखा जायेगा ।

2) यदि कोई ऐसी मत पर्ची, जो किसी मतदाता को मत देने के प्रयोजन के लिये जारी की गई हो, मतपेटी में नहीं डाली जाती किन्तु यह मतदाता द्वारा मतदान केन्द्र पर ही छोड़ी पाई जाये तो उसे रद्द समझा जायेगा और उस पर उप–पैरा (1) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह पीठासीन अधिकारी को लौटा दी गई हो ।

**27. मतपेटियों के नष्ट हो जाने या प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण नया मतदान :–**

1) यदि किसी चुनाव पर कोई मतपेटी विधि विरुद्ध तथा पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से ली जाती है या किसी अन्य प्रकार से बिगाड़ दी जाती है या दुर्घटनावश नष्ट हो जाती है या खो जाती है तो मामले की सूचना पीठासीन अधिकारी द्वारा तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी ।

2) यदि कानून और व्यवस्था के भंग होने की आशंका हो या क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो किसी भी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित करना पीठासीन अधिकारी की क्षमता में होगा । पीठासीन अधिकारी यथा शीघ्र मामले की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को करेगा ।

3) उप–पैरा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी जांच करेगा और यदि रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतदान को शून्य घोषित कर देगा और उस मतदान केन्द्र पर नये सिरे से मतदान कराने के लिये तिथि, समय और स्थान नियत करेगा ।

4) उप–पैरा (2) के अधीन पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर, रिटर्निंग अधिकारी मतदान या नये सिरे से मतदान के लिये, जैसी भी स्थिति हो, कोई अन्य तिथि समय और स्थान नियत करेगा ।

**28.** **मतों की गणना** :– पीठासीन अधिकारी मतदान की समाप्ति के बाद यथा शीघ्र और किसी उम्मीदवार या मतदान अधिकर्त्ताओं की उपस्थिति में, जो भी वहां उपस्थित होगा :–

क) मत पेटियों और उनकी मुहरों का निरीक्षण करेगा और उम्मीदवारों या उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी निरीक्षण करने का अवसर देगा ताकि उन्हें इस बात की संतुष्टि हो जाये कि वे ठीक स्थिति में हैं ;

ख) मत पेटियों को खोलेगा और पेटियों से मत–पत्रों को बाहर निकालेगा और उन्हें सुविधाजनक बण्डलों में व्यवस्थित करेगा और विधिमान्य मत पत्रों को उन मत पत्रों से अलग करेगा जो उसने रद्द किये हैं ;

ग) उम्मीदवारों और उनके अभिकर्त्ताओं को, जो वहां उपस्थित हो, उन सभी मत पत्रों का निरीक्षण करने का उचित अवसर देगा, जो पीठासीन अधिकारी की राय में रद्द किये जाने के योग्य हैं परन्तु उन्हें उन मत पत्रों को या अन्य किसी मत पत्र को संभालने की अनुमति नहीं देगा। पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रत्येक मत पत्र पर जिसे रद्द कर दिया गया है 'रद्द' पृष्ठांकित करेगा । यदि कोई उम्मीदवार या उसका अभिकर्त्ता किसी मत पत्र के रद्दकरण के सहीपन के संबंध में प्रश्न करता है, तो पीठासीन अधिकारी उस मत पत्र पर उसे रद्द करने के आधार भी अभिलिखित करेगा ।

घ) मतों की गणना के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सहायता से प्रत्येक उम्मीदवार को डाले गये विधिमान्य मतों की गणना करेगा और उस व्यक्ति के चुनाव की घोषणा करेगा जिसने सब से अधिक विधिमान्य मत प्राप्त किये हैं; और

ड़) मत पेटियों में मत पत्रों की गणना का कार्य पूरा होने करने के बाद, पीठासीन अधिकारी एक विवरण तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की संख्या दर्शाई जायेगी ।

**29.** **मत–पत्रों का रद्दकरण** :– मत पेटी में रखे किसी मत–पत्र को रद्द किया जाएगा, यदि–

क) उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेखन हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती है ; या

ख) ऐसे मामलें में, जहां पैरा 15 के अधीन यह निर्देश जारी किया गया हो कि मत–पत्र पर शासकीय चिन्ह होगा, उस पर शासकीय चिन्ह न हो या उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हों ; या

ग) उस पर सोसाइटी की मुहर न लगी हो ; या

घ) पीठासीन अधिकारी की इस बात से संतुष्टि हो कि मत–पत्र नकली है या वह इस प्रकार से नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है प्रामाणिक मत–पत्र के रूप में उसकी पहचान सिद्ध नहीं हो सकती ; या

ड.) मत–पत्र क्रॉस चिन्ह की रबड़ मुहर इस प्रकार लगी हो, जिससे वह स्पष्ट न होता हो कि मत किसके पक्ष में डाला गया है ।

30. **बराबर की स्थिति में प्रक्रिया** :– यदि मतों की गणना पूरी होने के बाद मतों का बराबर होना पाया जाता है और एक मत अतिरिक्त उम्मीदवारों में से किसी एक को चुना गया घोषित किये जाने का हकदार बनता हो तो पीठासीन अधिकारी सभी उम्मीदवारों की डालकर पर्ची निश्चित करेगा और इस प्रकार कार्यवाही करेगा जैसा कि उस उम्मीदवार ने जिस की पर्ची निकली है एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है ।

31. **विवरणियां तैयार करना** :– जब पैरा 28 और 30 के अधीन मतों की गणना का काम पूरा हो गया हो और परिणाम घोषित कर दिया गया हो, तो पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित दर्शित करते हुये तुरन्त एक विवरणी तैयार करेगा :–

i) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम ;

ii) प्रत्येक उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े विधिमान्य मतों की संख्या ; और

iii) चुने गए घोषित उम्मीदवार का नाम और चुने गये घोषित उम्मीदवार के नाम सहित विवरणी की एक प्रति तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी, सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी के प्रबन्धक और रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा ।

32. **चुनाव कागज पत्रों को प्रबन्धक को अग्रेशित करना** :– पीठासीन अधिकारी अलग–अलग बंडल बनाकर, जिनके ऊपर उनकी विषय–वस्तु का ब्यौरा पृष्ठांकित हो और उन्हें अलग बंडलों में मुहर बन्द करके निम्नलिखित को रसीद प्राप्त करके, प्रबन्धक को सौंप देगा :–

क) विधिमान्य रूप में गणना किये गये मत पत्र ;

ख) अविधिमान्य रूप में रद्द किये गये मत पत्र ;

ग) अप्रयुक्त मत पत्र ;

घ) जारी किये गये निविदत्त मत पत्र ;

ड.) निविदत्त अप्रयुक्त मत पत्र ;

च) रद्द किये गये और वापिस किये गये मत पत्र ;

छ) आक्षेप किये गये मतों की सूची ;

ज) निविदत्त मतों की सूची ;

झ) मत पत्रों का लेखा ; और

ञ) सहकारी सोसाइटी के मतदाताओं की आंचलिक सूची की चिन्हित प्रति ।

33. **चुनाव पत्रों की अभिरक्षा** :– प्रबन्धक पूर्ववर्ती पैरा के अधीन उसे सौंपे गये बंडलों को अगले चुनाव तक अपनी अभिरक्षा में रखेगा ।

## भाग III

**प्राथमिक सहकारी सोसाइटी की समितियों (प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों, गन्ना उत्पादक सहकारी सोसाइटियों और विपणन या विपणन एवं प्रसंस्करण सोसाइटियों, चीनी मिल्ज तथा शहरी बैंकों से अन्यथा) जिनकी सदस्य संख्या तीन सौ से अधिक है, के चुनाव की प्रक्रिया ।**

34. **चुनाव और मतदान के लिये तिथि का नियतन** :–

1) किसी सहकारी सोसाइटी के उपनियमों में किसी बात के होते हुये भी किसी भी प्राथमिक सहकारी सोसाइटी की समिति के चुनाव के लिये किसी अंचल का गठन नहीं किया जाएगा । चुनाव गुप्त

मतदान द्वारा होगा, और प्रत्येक मतदाता को चुनाव के उद्देश्य से बुलाई सहकारी सोसाइटी के किसी सामान्य निकाय की बैठक में चुनाव में खड़े हुए सभी उम्मीदवारों में से अपनी पसन्द के उम्मीदवार के लिये मत देने का अधिकार होगा ।

2) प्रत्येक प्राथमिक सहकारी सोसाइटी का प्रबन्धक, उस समिति का कार्यकाल पूरा होने से कम से कम साठ दिन पहले, उस सहकारी सोसाइटी में सहायक रजिस्ट्रार को (जिसे इसमें इसके बाद सहायक रजिस्ट्रार कहा गया है) जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्बद्ध सहकारी समिति आती है, वह तिथि जिस को समिति का कार्यकाल समाप्त होता है, सूचित करेगा ।

3) चुनाव सहायक, रजिस्ट्रार द्वारा नियत तिथि को होंगे । यदि प्रबन्धक उप–पैरा (2) के अधीन अपेक्षित तिथि सूचित करने में असफल रहता है तो सहायक रजिस्ट्रार , जब भी इस बात का ध्यान आता है कि समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है या समाप्त होने की सम्भावना है, तब से एक सप्ताह के भीतर चुनाव की तिथि नियत करेगा । चुनाव के लिये नियत की गई तिथि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के प्रबन्धक को संसूचित की जायेगी ।

4) चुनाव रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कराये जाएंगे।

**35. मतदाता सूची तैयार करना :–**

1) सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुये भी, प्रबन्धक चुनाव करवाने के सम्बन्ध में नियत तिथि की संसूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर पैरा 34 के उप–पैरा (3) में निर्दिष्ट संसूचना प्राप्त होने की तिथि को जो मतदाता थे उनकी सूची तैयार करेगा और रिटर्निंग अधिकारी को उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा ।

2) मतदाताओं की सूची को उपदर्शित करने वाला नोटिस रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तीन दिन की अवधि के लिये अपने कार्यालय पर और सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय और शाखा कार्यालय पर, यदि कोई हो, तथा प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, प्रदर्शित किया जायेगा ।

3) प्राथमिक सहकारी सोसाइटी का कोई भी सदस्य मतदाता सूची के प्रदर्शन के अन्तिम दिन उसमें संशोधन या सुधार के लिये रिटर्निंग अधिकारी को अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है ।

4) उप–पैरा (2) के अधीन प्रदर्शित नोटिस में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आक्षेपों की सुनवाई के लिये तिथि, समय उपदर्शित किया जायेगा, निर्वाचन अधिकारी आक्षेपों की सुनवाई करेगा और संक्षेप, विनिश्चित करेगा, और उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति कारणों सहित अभिलिखित की जायेगी । वह ठीक उसी समय मतदाताओं की सूची का अनुमोदन करेगा जो चुनाव के प्रयोजन के लिये निश्चायक होगी । इस प्रकार अनुमोदित मतदाता सूची एक समूल्य प्रकाशन होगी ।

**36. चुनाव कार्यक्रम :–**

1) रिटर्निंग अधिकारी चुनाव कार्यक्रम बनाएगा और निम्नलिखित रूप में तिथि, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए उसे प्रबन्धक को सूचित करेगा :–

| क्रम संख्या | कार्यक्रम | तारीख | समय | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

i) नियम 35 के उप–पैरा (2) के अधीन यथा–अपेक्षित मतदाताओं की सूची का प्रदर्शन ;

ii) पैरा 35 के उप–पैरा (4) के अधीन यथा–अपेक्षित मतदाताओं की सूची से सम्बन्धित आक्षेपों की सुनवाई ;

iii) नाम निर्देशन पत्र दायर करना ;

iv) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ;

v) वैध नामित उम्मीदवारों की सूची का प्रदर्शन ;

vi) नाम निर्देशन पत्र वापिस लेना ;

vii) उम्मीदवारों को चुनाव–चिन्हों का आबंटन ;

viii) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रदर्शन ; और

ix) मतदान कराना, यदि आवश्यक हो ।

2) चुनाव कार्यक्रम उपदर्शित करने वाला नोटिस रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पैरा 35 के उप–पैरा (2) के अधीन अधिकथित रीति में उसके जारी होने पर तुरन्त प्रदर्शित किया जाएगा । यह सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों में अधिकथित नोटिस जारी करने के ढंग के अतिरिक्त होगा तथा यह नोटिस नाम निर्देशन पत्र दायर करने के लिये नियत तिथि से कम से कम बीस दिन पहले तक प्रदर्शित रहेगा ।

3) **उप–पैरा (2) के अधीन निर्वाचन प्रोग्राम के प्रदर्शन के पांच दिन के भीतर, प्रबन्धक जहां सोसाइटियों की सदस्य संख्या 500 से अधिक नही है वहां एक डाक प्रमाणाधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी मतदाताओं को उसकी प्रतियां भेजेगा तथा यदि सोसाइटी की सदस्य संख्या 500 से अधिक है वहां सोसाइटी के संचालन के क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले एक हिन्दी तथा अंग्रेजी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन द्वारा।**

37. **उम्मीदवारों का नाम निर्देशन, चुनाव चिन्हों का आबंटन और मतदान का संचालन आदि** :– यदि उम्मीदवारों की संख्या समिति के लिये चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो चुनाव संचालित करने के लिये पैरा 6 से पैरा 33 तक के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे, सिवाय इसके कि केन्द्रीय तथा शिखर सोसाइटियों और अंचलों को लागू सभी उपबन्ध और निर्देश इस भाग के अधीन चुनाव के लिये शासित सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे । रिक्तियों को भरने की सीमा तक, विधिमान्य मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चुना हुआ घोषित किया जाएगा ।

## भाग IV

**प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों की समितियों (प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों, गन्ना उत्पादक सहकारी सोसाइटियों और विपणन या विपणन एवं प्रसंस्करण सोसाइटियों, चीनी मिल्ज तथा शहरी बैंकों से अन्यथा) जिनकी सदस्य संख्या तीन सौ से अधिक नहीं है, के चुनाव के लिये प्रक्रिया ।**

38. **सामान्य बैठक बुलाना** :–

1) पैरा 32 से पैरा 37 के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के

सदस्यों के चुनाव के लिये सामान्य बैठक, सहकारी सोसाइटी के प्रबन्धक द्वारा सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों में अधिकथित रीति में समिति के निदेश के अधीन आयोजित की जायेगी और सभी सदस्यों की बैठक की तिथि, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुये कम से कम पन्द्रह दिन का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा ।

2) यदि प्रबन्धक उप–पैरा (1) के अधीन यथाअपेक्षित बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सहकारी सोसाइटी आती है, ज्यों ही उसके नोटिस में यह आता है कि समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, चुनाव के लिये तिथि नियत करेगा और तुरन्त पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा ।

3) समिति के सदस्यों के चुनाव के लिये सामान्य बैठक का नोटिस, ऐसे अन्य ढंग के अतिरिक्त, जो उप–विधियों के अधीन विहित किया जाये, नोटिस की एक प्रति सहकारी सोसाइटी के कार्यालय, यदि कोई हो, पर लगातार तथा सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में उसकी उद्घोषणा करके दिया जाएगा ।

**39. सामान्य बैठक का पीठासीन अधिकारी :–**

(1) बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी । दोनो की अनुपस्थिति में, सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया एक व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा, परन्तु चुनाव चाहने वाला व्यक्ति इस प्रकार अध्यक्षता नहीं करेगा ।

2) यदि सामान्य पैरा 38 के उप–पैरा (2) के अधीन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आयोजित की जाती है, तो इसकी अध्यक्षता इस निमित्त सहायक रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा ।

**40. चुनाव लड़ने के लिये उम्मीदवारों का प्रस्ताव :–**

1) उम्मीदवारों के नाम, बैठक में उपस्थित मतदाताओं में से किसी के द्वारा प्रस्तावित और समर्पित किये जाएंगे। परन्तु यह तब तक उम्मीदवार अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों, सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधिकथित अर्हताएं पूरी करता हो ।

2) पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रस्ताव किए जाने के तुरन्त बाद उम्मीदवारों से पूछेगा और उन्हें अपना नाम वापिस लेने की अनुज्ञा देगा ।

**41. मतदान** :– यदि नाम वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों की संख्या समिति के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर या कम रह जाती है, तो सभी उम्मीदवारों को पीठासीन अधिकारी द्वारा चुना हुआ घोषित किया जायेगा । तथापि यदि उम्मीदवारों की संख्या चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो चुनाव हाथ खड़े करवा कर किया जायेगा ।

**42. चुनाव परिणाम :–**

1) जो उम्मीदवार गुणागुण के क्रम में अधिकतम मत प्राप्त करते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा चुने हुये घोषित किये जायेंगे । उस दशा में जब उम्मीदवार बराबर संख्या में मत प्राप्त करते हैं तो मामला पीठासीन अधिकारी द्वारा पर्ची निकाल कर विनिश्चित किया जायेगा ।

2) पीठासीन अधिकारी, घोषणा के तुरन्त बाद, चुने गए सदस्यों के परिणाम की संसूचना सहकारी सोसाइटी के प्रबन्धक को भेजेगा और उस की एक प्रति सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को और सहकारी वित्त संस्थान को, जिसके साथ सहकारी सोसाइटी सम्बद्ध हो, भेजेगा ।

3) सामान्य बैठक की कार्यवाहियां सहकारी समिति की कार्यवृत पुस्तक में भी लिखी जायेगी और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेंगी ।

43. **पदाधिकारियों का चुनाव** :– सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार निबंधन तथा शर्तें, जिनमें अधिनियम की धारा 30 के अधीन नियुक्त किए गए पारिश्रमिक का भुगतान भी शामिल है, निश्चित कर सकती है । ऐसे सभी खर्चों का भुगतान सोसाइटी की निधियों में से किया जायेगा ।

परन्तु ऐसा अध्यक्ष नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी को अपनी आस्तियों के सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा ।

44. **गुप्त मत्र पत्रों द्वारा चुनाव** :– भाग III में किसी बात के होते हुये भी, किसी ऐसी प्राथमिक सहकारी सोसाइटी की समिति का चुनाव जिसके सदस्यों की संख्या तीन सौ या इससे कम हो, गुप्त मतपत्रों द्वारा संचालित किया जाये यदि सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों में उसका उपबन्ध हो या सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी की समिति ऐसा विनिश्चित करती है या तत्समय सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई सम्बद्ध सहकारी सोसाइटियों के सहायक रजिस्ट्रार को, जिस के अधिकार क्षेत्र में वह समिति आती है, उसे पैरा 38 के अधीन सामान्य बैठक आयोजित किये जाने के लिये नियत वास्तविक तिथि से कम से कम चार दिन पहले, लिखित रूप में आवेदन करें । उस स्थिति में सहकारी सोसाइटियों के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पैरा 34 से 37 में विहित रीति में संचालित किये जायेंगे ।

45. **विविध** :– यदि भाग – I, II, III और IV में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया के उपबन्धों में से किसी के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो मामला हितबद्ध व्यक्ति या सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

## प्रारूप 'क'

## {(देखिए पैरा 1)}

## नाम निर्देशान

1. अंचल का नाम तथा संख्या जिससे उम्मीदवार संबंध रखता है तथा चुनाव चाहता है ।

2. उम्मीदवार के ब्यौरो :–

   क) बड़े अक्षरों में नाम ।

   ख) पिता का नाम ।

   ग) आयु ।

   घ) व्यवसाय (क्या वह कृषक है या नहीं) ।

   ड.) क्या वह अनुसूचित जाति का है या नहीं ।

   च) पूरा पता ।

   छ) सम्बद्ध अंचल की मतदाता सूची में उसके नाम की क्रम संख्या ।

   ज) उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सहकारी सोसाइटी का पता, यदि कोई हो ।

3. उम्मीदवार द्वारा घोषणा :–

मैं इसके द्वारा सत्यानिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूं कि :–

1) मैं उक्त नाम निर्देशन से सहमत हूं ।

2) मैं हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों में वर्णित निरर्हता में से किसी से ग्रस्त नहीं हूं ।

3) ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान : ..........................                                        उम्मीदवार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तिथि : ..........................

(हरियाणा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी, नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त या गांव के सरपंच द्वारा जिसमें उम्मीदवार रहता है, प्रमाणित किया जाये)

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं तथा इसने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं / अंगूठे का निशान लगाया है ।

स्थान : ................................. नाम सहित हस्ताक्षर

तिथि : ................................. पद नाम तथा पते ।

(रिटर्निंग अधिकारी के प्रयोग के लिए)

1. नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्त होने की तिथि तथा समय ।
2. नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किए गए है या अस्वीकृत (के लिए कारण संक्षेप में दें ।)
3. आबंटित चिन्ह ।

स्थान : ............................. रिटर्निंग अधिकारी के शासकीय पते सहित हस्ताक्षर

तिथि : .............................

## प्रारूप 'ख'
## {देखिए पैरा 6 (3)}
## नाम निर्देशन पत्रों की सूची

| अंचल की संख्या तथा नाम | उम्मीदवार का नाम तथा पूरा पता और प्रतिनिधित्व की गई सहकारी सोसाइटी का नाम, यदि कोई है | नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि | नामनिर्देशन पत्र का समय | रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## प्रारूप 'ग'

### {देखिए पैरा 26 (1)}

### निविदत्त मत–पत्र

1. सहकारी सोसाइटी तथा अंचल का नाम ।
2. मतदान केन्द्र ।
3. मतदान का नाम ।
4. मतदाता की आंचलिक–सूची में संख्या ।
5. उम्मीदवारों का नाम, जिन्हें यह निविदत्त किया गया ।

मतदाता के हस्ताक्षर अथवा
अंगूठे का निशान

तिथि :

1) उम्मीदवार का नाम .............................................

2) मतदाता का नाम .............................................

3) आंचलिक सूची में मतदाता की क्रम संख्या .............................................

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

## प्रारूप 'घ'

### {देखिए पैरा 26 (3)}

### निविदत्त मतों की सूची

1. सहकारी सोसाइटी तथा अंचल का नाम ................................................
2. मतदान केन्द्र ...............................................................................................

| क्रम सं. | मतदाता का नाम | मतदाताओं की आंचलिक सूची की संख्या | मतदाता के हस्ताक्षर यदि साक्षर है अथवा उसके पते सहित अंगूठे का निशान यदि निरक्षर है |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

तिथि : ............................

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

**प्रारूप 'ड.'**

{देखिए पैरा 27}

**आक्षेप किये गये मतदाताओं की सूची**

1. मतदान केन्द्र ......................................................

2. हस्ताक्षर शीट संख्या ......................................................

| सहकारी सोसाइटी का नाम | अंशधारियों की आंचलिक सूची के अनुसार | नाम तथा पता | मतदाता के हस्ताक्षर यदि साक्षर हो अथवा अंगूठे का निशान, यदि निरक्षर हो |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| पहचानने वाले का नाम यदि कोई हो | आक्षेपकर्ता का नाम | प्रत्येक मामले में पीठासीन अधिकारी के आदेश |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| | | |

तिथि :.............................

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

**प्रारूप 'ख'**

**{देखिए नियम 98}**

**समापन आदेश का प्रारूप**

मैं ........................................................................................................................ (परिसमापक)
(परिसमापक का नाम)

परिसमापन के अधीन ....................................................................................................................
(सोसाइटी का नाम)

तहसील .................................................................. जिला .................................................................. का परिसमापक हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 107 (2) (ख) तथा (ड.) के अधीन प्राधिकृत इस के द्वारा श्री ........................................... सुपुत्र श्री ........................................... जाति ........................................ निवासी स्थान ............................................................................................. तहसील ........................................... जिला .......................................................................................... को सोसाइटी की आस्तियों के लिए मृत सदस्य/भूतपूर्व अधिकारी/वर्तमान अधिकारी श्री .................................................................................... ............सुपुत्र श्री ................................................................. निवासी स्थान ..................................................... ............ के सदस्य/भूतपूर्व सदस्य/या तो नामनिर्देशिति अथवा विधि पर प्रतिनिधि के रूप में ऋण/अंशदान/यदि समापन खर्चे के रूप में .................................................................................................. .......... रुपये भुगतान करने के लिये आदेश देता हूं / निर्धारित करता हूं ।

स्थान : ......................

1. परिसमापक के हस्ताक्षर .......................................

दिनांक : ......................

2. परिसमापक का नाम .............................................
और पता

(हस्ताक्षर) ...............................................................
सचिव, हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग

## विषय सूचि


| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| I | प्रारम्भिक | 1 |
| II | सहकारी सोसाइटियों का पंजीकरण और उनकी उप–विधियां | 2 |
| III | सहकारी सोसाइटी के सदस्य, उनके अधिकार और दायित्व | 4 |
| IV | सामान्य बैठकें | 6 |
| V | संवर्ग सोसाइटियों की वार्षिक समीक्षाएं | 9 |
| VI | सहकारी समितियों के विशेषाधिकार | 9 |
| VII | लेख तथा अभिलेख | 10 |
| VIII | प्रभार कर्त्ता तथा बन्धक कर्त्ता | 10 |
| IX | कर्जे तथा उधार | 10 |
| X | उपज की बिक्री की प्रक्रिया | 11 |
| XI | सम्पत्तियां और निधियां | 17 |
| XII | कमजोर सोसाईटियों की पुनः स्थापना | 18 |
| XIII | लेखा परीक्षा और लेखा | 24 |
| XIV | विवादों का निपटान | 24 |
| XV | सहकारी सोसाइटियों की समाप्ति | 25 |
| XVI | पंचाटों, डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन | 27 |
| XVII | तामील का ढंग | 39 |
| XVIII | विविध | 40 |